सत्यमेव जयते

मंगलवार,
१८ मई, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

विषय-सूची

(अंक ५--५ मई से २१ मई, १९५४)

बुधवार, ५ मई, १९५४

	पृष्ठ भाग
सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
आय नियम, १९५४	४६४९
विभिन्न आश्वासनों इत्यादि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को बताने वाला विवरण	४६४९—४६५२
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--- आठवें प्रतिवेदन का उपस्थापन	४६५२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना---चनपतिया तथा बेतिया के बीच रेल गाड़ी का पटरी से उतर जाना	४६५२—४६५५
सदस्य की दोष सिद्धि	४६५५—४६५६
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव---असमाप्त	४६५६—४७१०

बृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र---	
वित्त विधेयक पर हुये विवाद के दौरान में सदस्यों द्वारा पूछे गये कई प्रश्नों के सम्बन्ध में टिप्पणियां	४७११—४७१६
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	४७१६—४७१७
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाना--- कोलम्बो में हुए एशियाई प्रधान मंत्री सम्मेलन में मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन और इसराईल के सम्बन्ध में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों के विषय में समाचार पत्रों की रिपोर्ट	४७१७—४७१९
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--- संयुक्त समिति को सौंपने तथा जनमत के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने वाला श्री एस० वी० रामस्वामी द्वारा प्रस्तुत विधेयक प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव--- असमाप्त	४७१९—४७७६

शुक्रवार, ७ मई, १९५४

संसद सदस्य श्री बी० एल० तुडू का देहावसान	

राज्य परिषद् से सन्देश ४७७७

बाल विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ४७७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करना--इस्पात के नये कारखाने की स्थापना का स्थान ४७७८--४७८०

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

निष्क्रान्त सम्पत्ति के प्रश्न पर पाकिस्तान से हुई बातचीत के सम्बन्ध में विवरण ४७८०--४७८१

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव--असमाप्त ४७८१--४८१०

शनिवार, ८ मई, १९५४

आश्वासन समिति--

प्रथम प्रतिवेदन का उपस्थापन ४८११

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--याचनाओं का उपस्थापन ४८११--४८१२

सदन पटल पर रखे गये पत्र--

चन्द्रनगर जांच आयोग की सिफारिशों के बारे में भारत सरकार के निर्णय ४८१२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक--पुरःस्थापित ४८१२--४८१३

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपा गया ४८१३--४८४४

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८४४--४८७५

शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्मसातकरण विधेयक--संशोधित रूप में पारित ४८७५--४८७७

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक--प्रवर समिति को सौंपने और परिचालित करने के प्रस्ताव--असमाप्त ४८७७--४९०६

सोमवार, १० मई, १९५४

लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--सिंगरैनी कोयला खान, कोथागुडियम, हैदराबाद में दुर्घटना ४९०७--४९१०

समितियों के लिये चुनाव--

प्राक्कलन समिति ४९१०

लोक लेखा समिति ४९१०--४९११

लोक लेखा समिति में राज्यपरिषद् के सदस्यों का रखा जाना ४९११--४९१२

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ४९१२

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ४९१२—४९२५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राजयपरिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये के प्रस्ताव—असमाप्त ४९२५—४९४८

शान्ति के कामों के लिये अणुशक्ति का प्रयोग ४९४८—४९८२

मंगलवार, ११ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

दिल्ली राज्य बिजली बोर्ड का १९५३-५४ का पुनरीक्षित प्राक्कलन और १९५४-५५ का आय व्ययक प्राक्कलन, और १९५४—५५ के आय व्ययक प्राक्कलनों के सम्बन्ध में व्याख्यात्मक टिप्पणी ४९८३

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ४९८३—४९८४

सदन का कार्य—

भाषणों के लिये समय सीमा ४९८४—४९८५

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ४९८५—५०४४

बुधवार, १२ मई, १९५४

विशेषाधिकार प्रश्न ५०४५—५०५०

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

प्रशिक्षण तथा नियोजन सेवा संगठन समिति की रिपोर्ट ५०५०

राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणन जांच समिति की रिपोर्ट ५०५०

अनुदान की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में विवरण ५०५०—५०५१

प्राक्कलन समिति—सातवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

गैर सरकारी विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—नवीं रिपोर्ट का प्रस्तुत करना ५०५१

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—याचिकायें प्राप्त ५०५१—५०५२

रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व को देय लाभांश की दर पर पुनर्विलोकन करने के लिये संसदीय समिति की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत ५०५२—५०५३

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव—असमाप्त ५०५३—५१०८

राज्य परिषद से सन्देश ५१०८

विशेष विवाह विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५११८

बृहस्पतिवार, १३ मई, १९५४

राज्य परिषद् से सन्देश ५११९—५१११

न्यनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

पुस्तक प्रदाम (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—परिषद् द्वारा संशोधित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५१११

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

सुदूर पूर्व के अंतर्राष्ट्रीय सैनिक न्यायाधिकरण के सदस्य के रूप में भारत सरकार द्वारा अपने अधिकारों तथा न्याय क्षेत्र के बारे में प्रेस विज्ञप्ति ५१११—५११२

अचल सम्पति अधिग्रह तथा अर्जन अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत अधिसूचना ५११७

भाग 'ग' राज्यों की सरकारें (संशोधन) विधेयक--याचिकायें उपस्थापित ५११७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना--जापानी युद्ध अपराधियों के विषय में क्षमा-दान प्रबन्ध में पाकिस्तान का अविश्राम भारत के वैध उत्तराधिकारी के रूप में सम्मिलित किया जाना ५११२--५११७

विशेषाधिकार का प्रश्न ५११७—५१२३

निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन—चर्चा असमाप्त ५१२३—५१७६

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--वापस लिया गया ५१७६—५१७७

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित ५१७७

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक--

संयुक्त समिति को सौंपने के विषय में राज्य परिषद् की सिफारिश से सहमति के लिए प्रस्ताव--स्वीकृत ५१७७--५१९५

शुक्रवार, १४ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

१९५४-५५ के लिए अनुदानों की मांगों (रेलवे) के सम्बन्ध में सदस्यों से प्राप्त हुये कुछ ज्ञापनों के उत्तर देने वाले विवरण ५१९९

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५४—याचिका उपस्थापित ५१९९—५२००

४ दिसम्बर, १९५३ को पूछे गये अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५२००

हाउस आफ पीपुल और पार्लियामेंट सेक्रेटेरियट का हिन्दी और अंग्रेजी में नामकरण ५२०१

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक--पुरःस्थापित ५२०१—५२०२

संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते सम्बन्धी विधेयक—संशोधित रूप में पारित ५२०२--५२५३

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में चर्चा ५२५३—५२६८

शनिवार, १५ मई, १९५४

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में संकल्प—चर्चा असमाप्त ५२६९--५३५४

मंगलवार, १८ मई, १९५४

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५३५५

राज्य परिषद् से संदेश ५३५५—५३५७

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक--परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया ५३५७—५३५८

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन ५३५८

अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५८—५३५९

तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि ५३५९

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक—पुरःस्थापित ५३५९—५३६०

अन्तर्राष्ट्रीय-स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत ५३६०—५४०९

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४०९—५४१०

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४१०

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—राज्य परिषद् द्वारा किया गया संशोधन स्वीकार किया गया ५४११—५४१३

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत ५४१३—५४५१

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण ५४५२—५४५४

बुधवार, १९ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (असैनिक) १९५२—भाग १ ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग १—पुनर्विलोकन ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के विनियोग लेखे, भाग २—विस्तृत विनियोग लेखे ५४५५

१९५१-५२ के भारतीय रेलवेज के अवरुद्ध लेखे (जिसमें वे पूंजी-विवरण भी सम्मिलित है, जिनमें ऋण लेखे भी दिये हुये हैं), आयव्यय विवरण पत्र तथा हानि लाभ लेखे ५४५६

१९५१–५२ के रेलवे की कोयला खदानों के आयव्ययक विवरण पत्र तथा कोयले आदि की कुल लागत के विवरण ५४५६
लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, रेलवेज़, १९५३ ५४५६
सामदायिक परियोजनाओं सम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन ५४५७
चलचित्र जांच समिति की सिपारिशें ५४५७
अनुदानों की मांगों (रेलवे) सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर ५४५७
विस्थापित व्यक्तियों की शिकायतों सम्बन्धी याचिकाएं ५४५७—५४५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर ध्यान दिलाना—उड़ीसा में चावल का अतिरिक्त स्टाक ५४५८—५४६०
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक—प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव—स्वीकृत ५४६०—५५०१
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—असमाप्त ५५०१—५५४६

बृहस्पतिवार, २० मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
तारांकित प्रश्न संख्या ९३२ के एक अनुपूरक प्रश्न के दिये गये उत्तर को ठीक करने वाला वक्तव्य ५५४७—५५४८
सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—तृतीय प्रतिवेदन उपस्थापित ५५४८
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ प्रस्ताव—परिषद् द्वारा पारित रूप में—असमाप्त ५५४८—५६१९
राज्य परिषद् से सन्देश ५६१९—५६२०

शुक्रवार, २१ मई, १९५४

सदन पटल पर रखे गये पत्र—
विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, प्रतिज्ञाओं तथा वचनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण ५६२१—५६२२
खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत अधिसूचनायें ५६२३
दामोदर घाटी निगम के विषय में राव समिति का प्रतिवेदन ५७१३
राव समिति के प्रतिवेदन पर सरकार के विनिश्चय ५७१४
प्राक्कलन समिति के पंचम प्रतिवेदन की सिपारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण ५७१४

प्राक्कलन समिति—आठवें तथा नवें प्रतिवेदनों का उपस्थापन ५६२३
याचिका समिति—तीसरे प्रतिवेदन का उपस्थापन ५६२३
अनुपस्थिति की अनुमति ५६२४
केन्द्रीय ट्रेक्टर संगठन के लिये ट्रेक्टर खरीदने सम्बन्धी वक्तव्य ५६२४—५६३३
भारतीय ढोर परिरक्षण विधेयक सम्बन्धी वक्तव्य ५६३३—५६४५
निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४५—५६४६
प्रादेशिक सेना (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित ५६४६
विशेष विवाह विधेयक—विचारार्थ—असमाप्त ५६४७—५७१२
राज्य परिषद् से सन्देश ५७१२

GIPD—HSD—918 LS—10-12-54—285

लोक-सभा

मंगलवार, १८ मई, १९५४

लोकसभा सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(प्रश्न नहीं पूछे गये : भाग १ प्रकाशित नहीं हुआ)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

उपाध्यक्ष महोदय : श्री अशोक मेहता शपथ लेने को हैं, पर अभी तक राजपत्र (गज़ट) में विज्ञप्ति नहीं निकली है । मैं नहीं समझता कि उस के बिना कोई माननीय सदस्य शपथ ले सकता है । मैं इस पर विचार करूंगा ।

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य परिषद से मिले निम्न पांच सन्देश प्रतिवेदित करने हैं :

(१) "राज्य परिषद् १३ मई, १९५४ को पारित एक प्रस्ताव के अनुसार समवाय विधेयक से संबंधित संयुक्त प्रवर समिति में भाग लेने को सहमत हो गई है और उस के लिये उस ने राज्य परिषद् के निम्न सदस्य नामनिर्देशित किए हैं :

१. डा० पी० सुब्बारयन
२. श्री एस० पी० जैन
३. श्री सोमनाथ पी० दवे
४. डा० आर० पी० दुबे
५. श्री बी० के० पी० सिन्हा
६. डा० नलिनाक्ष दत्त
७. श्री आर० एस० डूगर
८. श्री जसपत राय कपूर
९. श्री एस० चट्टनाथ कारयलर
१०. श्री अमोलक चन्द
११. श्री एम० सी० शाह
१२. श्री बी० के० धागे
१३. श्री जी० रंगा
१४. श्री सत्यप्रिय बनर्जी
१५. श्री बी० सी० घोष
१६. डा० पी० वी० काणे ।"

(२) "राज्य परिषद् १५ मई, १९५४ को पारित एक प्रस्ताव के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक से संबंधित संयुक्त प्रवर समिति में भाग लेने को सहमत हो गई है और उस के लिये उस ने राज्य परिषद् के निम्न सदस्य नामनिर्देशित किये हैं :

१. श्री के० एस० माधव मेनन
२. श्री टी० एस० पट्टाभिरमन

[श्री सचिव]

३. श्री बरकतुल्ला खां
४. श्री विश्वनाथ दास
५. श्री सुमत प्रसाद
६. श्री जसोद सिंह बिस्त
७. श्री गोपीकृष्ण विजयवर्गीय
८. दीवान चमन लाल
९. श्री कैलाश बिहारी लाल
१०. श्री पी० टी० ल्यूबा
११. श्री श्याम धर मिश्र
१२. श्री एम० पी० एन० सिन्हा
१३. श्री एस० एन० द्विवेदी
१४. श्री टी० भास्कर राव
१५. श्री पी० सुन्दरय्या
१६. श्री मुहम्मद रफीक ।"

(३) "राज्य परिषद् शिलांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनियां विधि आत्म-सात्करण विधेयक, १९५४ में लोक सभा द्वारा किये गये निम्न संशोधन से सहमत हो गई है:—

"कि पृष्ठ १, पंक्ति १ के स्थान पर यह रखा जाये—

"भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में संसद् द्वारा यह अधिनियमित किया जाये" ।"

(४) राज्य परिषद् हिमाचल प्रदेश तथा बिलासपुर (नया राज्य) विधेयक, १९५४, में लोक-सभा द्वारा किये गये निम्न संशोधन से सहमत हो गई है :

"कि पृष्ठ १, पंक्ति १ के स्थान पह रखा जाये—

"भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में संसद् द्वारा यह अधिनियमित किया जाये " ।"

(५) राज्य परिषद् द्वारा १५ मई, १९५४ को संशोधित रूप में पारित औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, १९५४ की एक प्रति भेजी जाती है ।

औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य परिषद् द्वारा

संशोधित रूप में पारित औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक १९५४ की एक प्रति सदन-पटल पर रखता हूं ।

सदन-पटल पर रखे गये पत्र

३१ दिसम्बर, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष के बारे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त का वार्षिक प्रतिवेदन

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : संविधान के अनुच्छेद ३३८ के अधीन मैं ३१ दिसम्बर, १९५३ को समाप्त होने वाले वर्ष के बारे में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एस—१७७।५४]

अल्पसूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : श्रीमान्, अल्पसूचना प्रश्न संख्या ७ के सम्बन्ध में सदन में ११ मार्च, १९५४ को श्री एस० एन० दास द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में मेरे द्वारा दिया गया यह वक्तव्य गलत था—"हां, श्रीमान् । हम ने शव की परीक्षा कराई थी और गोली का एक घाव शरीर के दाईं ओर मिला था और दो बाईं ओर"; क्योंकि इस घटना के सम्बन्ध में बाद में मिलने वाले समाचार से पता चला है कि शव-परीक्षा पाकिस्तानी अधिकारियों ने कराई थी । अतः मैं अपने पिछले वक्तव्य को सही करने के लिये आप

की अनमति चाहता हूं और उस के स्थान पर निम्न परिवर्तन करना चाहता हूं :—

"हां, श्रीमान् । उस के शव की परीक्षा पाकिस्तानी अधिकारियों ने की थी और गोली का एक घाव शरीर के दाईं ओर मिला था और दो बाईं ओर ।"

---

*तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि

वित्त मंत्री के सभासचिव (श्री० बी० आर० भगत) : श्रीमान्, ३ मई, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१९९ के सम्बन्ध में श्री बंसल द्वारा पूछे गये इस अनपूरक प्रश्न के उत्तर में कि "क्या वही व्यक्ति राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और राष्ट्रीय आय एकक दोनों का सभापति है," मैं ने कहा था कि "हां श्रीमान्, वही व्यक्ति है" । मैं उस वक्तव्य को निम्न रूप में शद्ध करना चाहता हूं :—

"न तो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण का कोई सभापति है और न राष्ट्रीय आय एकक का ।"

मुझे ख्याल इस बात का था कि मंत्रि-परिषद् के अवैतनिक सांख्यिकी-परामर्शदाता जो राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की कार्य-प्रणाली के बारे में भी परामर्श देते हैं, राष्ट्रीय आय समिति के भी सभापति थे जो अब तक राष्ट्रीय आय एकक के काम का पथप्रदर्शन करती थी ।

सहायक प्रादेशिक सेना विधेयक

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि एक सहायक प्रादेशिक सेना के निर्माण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"एक प्रादेशिक सहायक सेना के निर्माण का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री त्यागी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति संबंधी प्रस्ताव—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन प्रधान मंत्री के अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर विचार करने वाले प्रस्ताव और उस के संशोधनों पर आगे विचार करेगा । प्रधान मंत्री ९-१५ म० पू० पर उत्तर देंगे । तब तक कुछ माननीय सदस्य संक्षेप में बोल सकते हैं ।

श्री जोकीम आलवा (कनारा): मैं उस दिन आचार्य कृपलानी की बात का उत्तर देते हुए कह रहा था कि भारत और चीन के सम्बन्ध विगत ४००० वर्षों से सुमधुर रहे हैं और यदि कोई ऐसे समय पर छेड़-छाड़ करेगा वह भारत-चीन की दुनियां की १।५ धरती और १।३ जनसंख्या पर संकट बुलायेगा । भारत-चीन संधि ने जिस प्रकार बीच की सीमाएं दूर कर दी हैं, उसी प्रकार रूस और चीन की सीमायें भी दूर हो जायेंगी और तीनों देश सदैव शांतिपूर्वक रहेंगे ।

जापान के विषय में भारत को क्षमा-दान-कार्यवाहियों से पृथक् करने के बारे में प्रधान मंत्री ने अपनी गंभीर आपत्ति स्पष्ट कर दी है । जर्मनी में नाजी जनरलों को मित्र राष्ट्रों की जेलों से छुड़वाना आवश्यक समझा गया, पर अजीब बात है कि जापानी युद्ध-बंदियों के विषय में भी इसी मापदंड को नहीं अपनाया जा रहा है । भारत ने सदैव उच्च आदर्श अपनाए हैं और युद्धबन्दियों में कौन गलती पर था और कौन ठीक था, यह कोई नहीं कह सकता । अचंभे की बात

---

*३ मई, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१९९ के सम्बन्ध में अनुपूरक प्रश्न ।

[श्री जोकीम आलवा]

है कि ब्रिटेन और कनाडा ने भी अमरीका की इस बात का समर्थन किया है । यह अन्तर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र के इतिहास में अद्भुत घटना है ।

न्याय के बारे में ब्रिटेन और सं० रा० अमरीका की धारणा अजीब है । राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने सेनफ्रांसिसको संधि में साम्यवादी तथा राष्ट्रीय दोनों चीनों के प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर कराए थे । आज नए चीन को सँ० रा० संघ में स्थान नहीं दिया जा रहा है । जनरल फ्रैंको ने १९४१ में कहा था कि यदि जर्मनी ने न्ययार्क पर बम गिराये, तो उन्हें खुशी होगी । पर आज अमरीकन जनरल फ्रैंको के अपराधों को भूल बैठे हैं, और भारत को अहिंसा, दया और शत्रु के विषय में क्षमा की आवाज उठाने के कारण क्षमादान कार्य-वाहियों से पृथक् किया जा रहा है ।

हिन्दचीन का प्रश्न आज दुनियां के सामने है । फ्रांस ने वहां की जनता के ऊपर नेपाम बम गिराये हैं । और अणु बम तथा उद्जन बमों के परीक्षण करने वाला अमरीका वीतनाम के कठपुतली सम्राट् बाओ दाई से समझौता कर के जेनेवा सम्मेलन के पीछे-पीछे ब्रिटेन को भी फुसला रहा है, जिस से फ्रांस के हिंदचीन छोड़ कर चले जाने पर वह रिक्त स्थान की पूर्ति कर सके, और जेनेवा के शांति प्रयत्नों को विफल बना कर वीतमिन्ह सेना पर बम गिरा सके ।

सैनिक सहायता आदि समाप्त करने के लिये ईथिओपिया के हेल सिलासी, मिश्र के सैन्य पदाधिकारी और ईरान के भी सैन्य पदाधिकारी अमरीका जा रहे हैं । लंका को फुसलाया जा रहा है कि रबर के बारे में चीन से चलने वाले समझौते को तोड़ दे, यद्यपि अभी उस की समाप्ति में तीन वर्ष शेष हैं ।

राष्ट्रमंडल में रहने से हमें हानि ही उठानी पड़ती है । हमें उस से कोई लाभ नहीं है ।

खेद है कि कोलंबो सम्मेलन ने केनिया के बारे में कोई संकल्प पारित नहीं किया । वहां हमारे पचास हजार भाइयों पर ब्रिटेन द्वारा अत्याचार किये जा रहे हैं । कोलंबो सम्मेलन ने मोरक्को और ट्यूनीशिया के बारे में तो आवाज उठाई, पर ब्रिटेन के अत्याचारों का कोई उल्लेख नहीं किया ।

राष्ट्रमंडल के सम्बन्ध में मैं एक प्रश्न पूछूंगा । ब्रिटिश उच्चायुक्त ने कहा है कि ब्रिटेन अमरीका-पाक गठबन्धन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समर्थन करता है । अब यदि इस अमरीकी सहायता के साथ पाकिस्तान काश्मीर पर भयंकर आक्रमण करे, तो ब्रिटेन का रुख क्या होगा ? क्या वह इस देश में अपने भारी विनियोजनों के बावजूद पाकि-स्तान-अमरीका का समर्थन करेगा ?

ब्रिटिश संसद् में रखी गई बी० बी० सी० की १९५०-५१ की वार्षिक रिपोर्ट में एक बड़ा संगत पद आया है । ब्रिटिश जनमत के माध्यम बी० बी० सी० और समाचार पत्र इधर एक बात करते हैं और उधर दूसरी । इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के लिये हिन्दी और उर्दू की दो पृथक् प्रसारण-सेवायें चालू की गई हैं और पाकिस्तान में और भारत के बहुत से श्रोताओं में उर्दू सेवा बहुत सफल हुई है तथा हिन्दी सेवा की ओर भारत में बहुत से हिन्दू आकर्षित हुए हैं । यहां प्रयोग किये गये 'हिन्दू' शब्द पर हमें आपत्ति है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि संसार यद्धास्त्रों तथा अड्डों से भरा पड़ा है । परन्तु पूर्वी देशों में फैली हुई राष्ट्रीयता की धारा को समस्त युद्धास्त्र तथा डालर व अण बम समाप्त नहीं कर सकते । संयुक्त राज्य अमरीका के उच्चतम

न्यायालय के न्यायाधीश डुगलस ने अपनी पुस्तक, "स्ट्रेंज लैंड्स एण्ड फ्रेंडली पीपल" के पृष्ठ ३१७ पर कहा है कि जो आन्दोलन हो रहे हैं वे मूलतः साम्यवादी नहीं हैं। आन्दोलन करने वाले वे भखे लोग हैं जिन का शोषण अज्ञात समय से किया गया है। इन लोगों की भावना भी लगभग वही है जो फ्रांसीसी तथा अमरीकी आन्दोलनकारियों की थी। एशिया एक उद्देश्य में गठित है, अर्थात् विदेशी सत्ता से छुटकारा चाहता है ।

अब, गोआ के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। पोप ने संसार के दो भागों को दो देशों में बांट दिया था, मानो स्वयं स्वर्ग ही पुर्तगालियों स्पैनवासियों में विभक्त कर दिया गया हो। ठीक उसी समय पुर्तगालियों ने कुछ प्रतिबन्ध लगाये। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति धोती नहीं पहनेगा ; कोई स्त्री कुमकुम नहीं लगायेगी, कोई स्त्री साड़ी नहीं पहनेगी, तथा कोई तुलसी नहीं उगायेगा । पुर्तगाली प्राधिकारियों तथा साम्राज्यवादियों की ये चार उपघोषणायें गोआ में अधिक समय तक लागू रहीं। यह बड़े खेद की बात है कि गोआ में अधिकतर मेरे साथी कैथोलिक मातृ भूमि की अपेक्षा पुर्तगालियों के प्रति अति भक्ति व श्रद्धा रखते हैं। इसी कारण गोआ निवासी फ्रांसीसी बस्ती पाण्डीचेरी के निवासियों की भांति पुर्तगालियों का साहसपूर्ण सामना कर के उन से छुटकारा नहीं पा सके हैं।

अन्त में, मैं जानना चाहता हूं कि श्रीलंका स्थित अमरीकी राजदूत नैपाल क्यों गये थे। युद्ध काल में वह युद्ध-सेवाओं से सम्बद्ध थे। आप जानते हैं कि 'युद्ध-सेवा' से क्या अभिप्राय है। श्रीमान्, मैं चाहता हूं कि 'फोर्ड फाऊन्डेशन' जैसे कार्यालयों को उन की कार्यवाहियों को ढांपने वाला नहीं बनने दिया जाये। बर्मा ने टी० सी० ए० सहायता को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि अमरीकी सहायता केन्द्र उन के सीमावर्ती क्षेत्रों में थे। यदि बर्मा ने टी० सी० ए० सहायता को कथित कारण से अस्वीकार कर दिया है, तो विदेशी सहायता को अस्वीकार करना तथा हमारी सीमाओं पर जासूसी कार्यवाही के केन्द्रों की स्थापना करने की अनुमति न देना भारत के लिये क्यों उचित नहीं है।

अन्त में, मैं अपनी विदेश नीति के वाहकों पर कुछ कहूंगा। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है कि हमारी एक विदेश नीति है। हमारे एक प्रधान मंत्री हैं जिन्हों ने कदाचित हमें सर्वश्रेष्ठ विदेश-नीति प्रदान की है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी विदेश-नीति को प्रभावी होना पड़ेगा। हम उन व्यक्तियों को विदेशों में नहीं भेज सकते जो हमारी विदेश नीति में विश्वास नहीं करते, हम उन्हें विदेश नहीं भेज सकते जो उन देशों की महानता में विश्वास नहीं रखते, जहां वे भेजे जाते हैं। जब वे व्यक्ति योग्य, देशभक्त तथा हमारी मातृ-भूमि के ऐसे सच्चे प्रतिनिधि होंगे, जो हमारे देश की नवीन आकांक्षाओं तथा नवीन आशा को प्रकट कर सकें, तब ही हमारी विदेश नीति पूर्ण होगी।

श्री टंडन (जिला इलाहाबाद–पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस विवाद के सम्बन्ध में अधिक कहना नहीं है। एक बात मुझ को कुछ खटकती रही है। उस अपनी खटक को दूर करने के लिये विदेश मंत्रालय के सामने अपनी बात रख देना चाहता हूं। मुझे खेद है कि हमारे प्रधान मंत्री जी इस समय यहां नहीं हैं।

साधारण रीति से उन की जो संसार के सम्बन्ध में नीति है, विशेषकर संसार के दो आपस में विरोध करने वाले समहों से अलग रहने के सम्बन्ध में, उस का मैं समर्थन

[श्री टंडन]

करता हूं। मेरे विचार में उस नीति के सम्बन्ध में हमारे प्रधान मंत्री ने बुद्धिमानी से काम किया है। परन्तु मुझे जो बात खटकी है वह हाल की चीन के साथ हुई सन्धि है। तिब्बत के सम्बन्ध में चीन से इस प्रकार की सन्धि करना मुझ को खटकता है। मुझ को ऐसा लगता है कि हम ने औचित्य से उतर कर कुछ काम किया है।

तिब्बत लगभग १९१४ से स्वतंत्र रहा है। यह सच है कि बहुत पुराने समय से चीन ने उस के ऊपर एक अपना धुंधला सा अधिकार माना है परन्तु उस का कुछ बहुत अधिक मूल्य नहीं था। यह सच है कि तिब्बत के पास बहुत सेनायें नहीं रही हैं। वह संसार के उन विचित्र देशों में है, शायद सब से विचित्र देश, कि जिस ने बहुत अधिक सेनाओं में विश्वास नहीं किया है। कुछ थोड़ी बहुत तादाद तो रखी है परन्तु उन्हों ने अधिकतर अपने पड़ोसियों की शुभकामनाओं पर विश्वास किया है।

आचार्य कृपालानी (भागलपुर व पूर्निया): उसी का यह नतीजा है।

श्री टंडन : परन्तु चीन ने इधर ५० और ५१ में अपनी सेनायें तिब्बत में भेज कर तिब्बत को कुछ मजबूर किया कि वह चीन का आधिपत्य बहुत सी बातों में माने। मुझे याद है जब मैं कालिज में पढ़ता था और एक युवक था, तब १९०४ में कर्नल यंगहज़बंड तिब्बत के भीतर गये थे। हम लोगों को वह बहुत अच्छा नहीं लगा था। हम समझते थे कि तिब्बत को परेशान करने के लिये ब्रिटिश गवर्नमेंट की यह एक चाल है। परन्तु यह तो सच है कि कर्नल यंगहज़बंड सेना सहित गये, उन्होंने तिब्बत से शर्तें कीं, फैसला किया और तिब्बत के साथ उन्हों ने एक इकरार-नामा किया। चीन के साथ नहीं। उस समय तिब्बत के साथ उन की लिखा पढ़ी हुई। हां यह सच है कि उस के कुछ वर्षों बाद उसी विषय में उन की चीन के साथ भी लिखा पढ़ी हुई और एक इकरारनामा हुआ। तो यह तो मालूम होता है कि चीन बहुत वर्षों से तिब्बत के अपने सम्बन्ध को इस तरह समझता रहा है कि हमारी कुछ वहां हुकूमत है, जिसे अंग्रेज़ी में सूज़रेन्टी कहते हैं। तिब्बत वाले दूसरी तरफ यह समझते रहे हैं कि हम स्वतंत्र हैं और सन् १९१४, १५ में यह बात स्पष्ट हो गई। उस समय तिब्बत की ओर से कह दिया गया कि हम चीन के मातहत नहीं हैं और हम स्वतंत्र हैं। विशेषकर जिस समय पहला संसार युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय यह बात स्पष्ट हो गई थी कि तिब्बत चीन की हुकूमत नहीं मानता और तिब्बत वाले अपने को स्वतंत्र कहते हैं। यों कहने को तो चीन वालों ने नेपाल तक को अपनी हुकूमत के अन्दर माना है। उन का तो यह भी दावा है कि तिब्बत और नैपाल उन के पुराने मातहत हैं। जिस प्रकार बहुत दिन पहले नैपाल ने उस मातहती के दावे पर ठोकर मार दी उसी तरह तिब्बत ने भी ठोकर मार दी। नैपाल ने अपनी फौजें तिब्बत में भेज कर उस के बहुत से भाग पर कब्ज़ा कर लिया था। परन्तु पीछे वह हट आया। जिस प्रकार से नैपाल ने ठोकर मारी उसी प्रकार तिब्बत ने भी ठोकर मारी। फर्क इतना था कि गोरखा बन्दूक चला सकता है, लड़ सकता है और मर सकता है और तिब्बत वाले फकीर हैं।

मुझे जो बात अपने सम्बन्ध में खटकती है वह यह है कि हमारा जो कुछ अब तक तिब्बत से सम्बन्ध रहा है वह यह है कि हमारे वहां कुछ छोटे मोटे व्यापार सम्बन्धी अधिकार रहे हैं। हमारे कुछ आदमी वहां रहते थे और हमारे तारघर भी थे।

अब हम ने अधिकार दे दिया जहां तक कि हम अधिकार दे सकते हैं, कि चीन तिब्बत को अपने मातहत समझे। मेरा यह तो मतलब नहीं और मैं यह नहीं कहता कि तिब्बत के स्वातंत्र्य के लिये हम फौजें भेज कर लड़ते, यद्यपि पड़ौसी के स्वातंत्र्य के लिये कभी भी लड़ना पड़ता है। आज मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप को इस समय कोई लड़ाई उन से लेनी थी, लेकिन जो बात खटकती है वह यह है कि जो अन्याय के साथ चीन ने तिब्बत के ऊपर जो हमला किया और उन की स्वतंत्रता को हड़प किया जिस में और कालोनियलिज्म में कोई फ़र्क नहीं है, उस से हम ने लिखापढ़ी में मान लिया। पश्चिम के देशों ने विदेशों में कालोनी बनाने की जो नीति रक्खी थी, और वह पुरानी नीति आज भी है, उस नीति के विरोध में हमारे प्रधान मंत्री ने बहुत जगह और बार बार कहा है। उन्हों ने ठीक विरोध किया है। हमारा देश इस के लिये उन का आदर करता है और संसार का वह भाग जो कालोनी नहीं रखता, वह भी उन का आदर करता है। परन्तु यहां चीन ने क्या किया है ? एक ग़रीब देश जिस के पास सेना नहीं है जो किसी को सताता नहीं है, चीन से कुछ मांगता नहीं है, चीन के ऊपर हमला नहीं करता, एक अलग टुकड़े में छोटा सा देश जिस की बहुत आमदनी भी नहीं है, जिस की कोई बड़ी जनसंख्या भी नहीं है, जिस के पास सेना नहीं है और केवल नाम मात्र के कुछ सिपाही हैं, ऐसे देश से संसार के किसी भी देश को भय नहीं था और न हो सकता था, परन्तु चीन ने उस को हड़प लिया और हिन्दुस्तान ने उस हड़प करने की क्रिया को मान लिया, स्वीकार कर लिया, मुझ को यह चीज़ खटकती है। क्या यह ठीक किया ? ठीक है, बहुत सी अन्दर की बातें मैं नहीं जानता। सन् ५०, ५१ में जो पत्र व्यवहार हमारी गवर्नमेंट ने चीन से किया उस में उन्हों ने आपत्ति की कि तुम ने फ़ौज अपनी क्यों भेजी। हमारी सरकार ने इस प्रश्न को उठाया, चीन का जो जवाब आया उस जवाब में मुझे शील की कमी लगी और वह एक भद्दे तरह का जवाब लगा। दो पत्र यहां से गये और दो पत्र वहां से आये, वे पत्र छपे हुए हैं, उन को मैं ने देखा। उस में उन्हों ने बहुत अभिमान के साथ हम से कहा है कि आप को इस में कोई गरज़ नहीं है, आप दूसरे के बहकावे में आ कर एंतराज़ कर रहे हैं। उल्टे खुद हमारे विदेश विभाग के ऊपर एक चपत मारी कि आप तो दूसरे के बहकावे में आ कर हम को ऐसा लिख रहे हैं और तिब्बत जो उभरा है वह भी दूसरे देशों के भड़काने से उभर रहा है। आखिर यह जवाब उन का क्या था। मुझे तो एक गुंडापन मालूम हुआ। अपनी सेना के भरोसे जो काम उन्हों ने किया उस के ऊपर हम चुप हो गये। बहुत से संसार में गुंडे हैं जिन का अस्तित्व हम को स्वीकार करना पड़ता है, सब राज्य संसार के भलमनसी से नहीं चलते। गुंडापन बहुत से राज्यों के भीतर भी रहता है जैसे नागरिकों में गुंडों के रहते भी उन को बर्दाश्त करना पड़ता है वैसे ही हर प्रकार के राज्यों की स्थिति को कभी बर्दाश्त करना पड़ता है। हर जगह आदमी लड़ नहीं सकता। सो तो मैं मानता हूं और इसीलिये मैं लड़ने की बात नहीं कहता, परन्तु आगे के लिये, तिब्बत के भविष्य के लिये, हम ने चीन को उन का मालिक स्वीकार किया, यह चीज़ मुझे खटकती है और मैं चाहूंगा कि इस विषय पर हमारे विदेश मंत्रालय के मंत्री जी कुछ और अधिक स्पष्ट करें। मुझे तो यह बात खटकी और नैतिक स्तर से हंसी हुई मालूम पड़ी। इसीलिये मैं ने अपनी उस खटक को सामने रख दिया।

कुमारी एनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम) : श्रीमान्, उपाध्यक्ष महोदय, विगत कुछ वर्षों

[कुमारी ए/ी मस्करीन]

में अन्तर्राष्ट्रीय कार्यों के झुकाव से राजनीतिक विचारधारा में दो मूल विचार उत्पन्न हो गये हैं । एक शान्ति तथा मानवता की महान उच्चता की ओर अग्रसर होने का है तथा दूसरा भौतिक शक्ति के शिल्पिक सफलताओं की ओर, जिन में ग्रहों को अस्त व्यस्त करने की महान् शक्ति छिपी है, बढ़ने का है । जबकि उद्जन बम भयानक रूप ग्रहण कर रहा है तथा राष्ट्रों को भयभीत बना रहा है, शान्ति का मसीहा, अकेला तथा बिना किसी रक्षा के, शान्ति के उद्देश्य की पुष्टि करता है तथा कहता है "हम जीवित रहें तथा अन्य लोगों को जीवित रहने दें ।"

मानव जाति के इतिहास में यह प्रथम अवसर नहीं जबकि ऐसी मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न हुई है । मानवता के अनुभव में हम देख चुके हैं कि नैतिक शक्ति की, चाहे वह कितनी ही कमज़ोर तथा रक्षाहीन हो अन्त में विजय होती है । लगभग २००० वर्ष जबकि मानवता पूर्वी साम्राज्यों और रोम साम्राज्यों की संस्कृति तथा सभ्यता के बीच में थी, तब पूर्व में एक दैवी ध्वनि सुनाई पड़ी कि "शान्ति स्थापित करने वाले धन्य हैं क्योंकि वे ईश्वर के बालक कहलायेंगे ।" तत्पश्चात् राज्य उठे तथा विनाश को प्राप्त हुए । इस बीच में हम फिर वही शान्ति का प्राचीन सन्देश, कैण्डी में उस अद्भुत भवन से, भारत की ध्वनि द्वारा सुनते हैं : "शान्ति हमारे लिये हो, हमारे देश में शान्ति हो, तथा संसार में शान्ति हो । शान्ति को बनाये रखने की हमारी यह बड़ी बलवती इच्छा है । हम शान्ति के लिये ज़ोर देना चाहते हैं ।

संसार के राष्ट्रों ने एकाग्रचित्त हो कर शान्ति की इस अकेली ध्वनि को सुना । युद्ध चाहने वाले राष्ट्रों को अपनी योजनाओं का लज्जापूर्ण परित्याग करना पड़ा । पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को स्वीकार करना पड़ा कि उन का भारतीय भ्राता ठीक कहता है । श्री लंका के प्रधान मंत्री ने, जो भारत के प्रति छोटे भ्राता के भ्रातृभाव के अपने वचन को भूल गये थे, एक दम आंखें खोलीं तथा श्री जोन फोस्टर डलैस जैनेवा से भाग गये । और रक्त, शोषण तथा विनाश की प्यास कुछ समय के लिये दब गई ।

यह स्वीकार करना पड़ेगा कि एशिया के ऐतिहासिक सम्मेलन में भारत ने जो योग दिया वह उस पर गर्व कर सकता है । मैं समझती हूं कि एशियाई सम्मेलन की महानतम सफलता वह संकल्प है जिस में स्पष्ट रूप में कहा गया है कि एशिया के पूर्वी देश साम्यवादी तथा असाम्यवादी कार्यवाहियों से मक्त रहना चाहते हैं तथा वे जनता की इच्छानुसार लोकतंत्रीय संघ बनाना चाहते हैं ।

श्रीमान्, हमारी विदेश नीति का यही वास्तविक उद्देश्य है । सम्मेलन का परिणाम तत्काल ही वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर दृष्टिगोचर हुआ । हिन्दचीन जो युद्ध व विनाश में ग्रस्त था, अब लगभग, युद्धविराम पर आ गया है । मैं समझती हूं कि भारत का सुझाव, कि संबंधित देशों के बीच युद्धविराम वार्ता होनी चाहिये, कार्यान्वित किया जायेगा तथा हिन्द चीन में बहुत शीघ्र ही शान्ति स्थापित हो जायेगी ।

९ म० पू०

यह देख कर वास्तव में आश्चर्य होता है कि पश्चिम के देश किस प्रकार दृढ़ता से अपने उपनिवेशों को बनाये हुए हैं । मेरा विचार है कि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में, ११वें, १२वें तथा १३वें अध्याय में उपनिवेशों के सम्बन्ध में नीति का वर्णन है । यह पुस्तक

श्री जौन फौस्टर डलैस ने लिखी है। उन्हों ने उपनिवेशवाद पर एक अध्याय लिखा है जिस में उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य, जिन के हाथ में ऐसे देशों का प्रशासन है या उस का उत्तरदायित्व लेते हैं जहां की जनता की अभी स्वयं की सरकार नहीं है, यह सिद्धान्त स्वीकार करते हैं कि इन देशों की जनता का हित सर्वोपरि होगा। यह पुस्तक केवल दो या तीन वर्ष पूर्व ही लिखी गई थी और आज श्री डलैस हिन्द चीन के विरुद्ध फ्रांस को सहायता देने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी, जो अपने समस्त नैतिक सिद्धान्तों की शक्ति से मानव जाति के प्रति न्याय करने के लिये एक सामान्य संगठन के रूप में है, असफल हो गया है, क्योंकि उस की सम्पूर्ण नीति अमरीकी विदेश नीति पर आधारित होती है। अतः मझे आशा है कि आगामी सम्मेलन में, जिस में मध्यपूर्व के देश भी भाग लेंगे, संसार की आधी से अधिक जनसंख्या के प्रतिनिधि अपने विचार, अपने सिद्धान्त तथा प्रादेशिक संगठन की अपनी नीति निर्धारित करेंगे तथा इन तथाकथित मानवदयावादी गुटों से अपने आप को मक्त करेंगे।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद–दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जब हिन्दुस्तान चारों ओर से खतरे से घिरा हुआ है, ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि भारत की वैदेशिक नीति का समर्थन करना हम सबों का कर्त्तव्य है।

आप जानते हैं कि जब से अमरीका विश्व का नेतृत्व करने की फिक्र में पड़ा है तब से वह चारों ओर से विश्व के जितने भी महादेश हैं उन सभी महादेशों में अपना षड्यंत्र रच रहा है। पहले पहल अमरीका की दस्तन्दाज़ी अमेरिकन कांटीनेंट तक ही सीमित रहती थी और अमरीका वहां पर एक को दूसरे के विरुद्ध उभार कर और अपने आप को बड़ा बनाये रखने में मशगूल रहता था। प्रथम महायद्ध के बाद कुछ दिनों तक आइसोलेशनिस्ट पालिसी अख्तियार करने के बाद वह यूरोप के देशों के मामलों में दस्तन्दाज़ी करने लगा। और दूसरे महायुद्ध के बाद तो उस की हरकत तमाम विश्व में होने लगी यहां तक कि हमारे बार्डर पर भी अमरीकी खतरा उत्पन्न हो गया और पाकिस्तान को मिलिटरी एड दे कर अमरीका ने हिन्दुस्तान की सरहद को खतरापूर्ण बना दिया।

हम लोग विश्व में शान्ति का नारा लगाते हैं। सब व्यक्ति यह बात पसन्द करते हैं कि भारत की विश्व शान्ति की नीति है और इस को अच्छी नीति कहते हैं। पंडित जी ने अपनी सारी ताकत लगा कर यह चेष्टा की कि विश्व में शान्ति कायम की जाय लेकिन आज तक उन की यह चेष्टा उतनी फलवती नहीं हुई जितनी कि होनी चाहिये थी। इस का प्रधान कारण यह है कि अमरीका बार बार दस्तन्दाज़ी करता है और जितना ही भारत की ओर से शान्ति का नारा लगाया जाता है उतने ही युद्ध के बादल मंडराने लगते हैं।

पहिले यूरोप में कुछ जगहों पर लड़ाई का खतरा था लेकिन वह खतरा ज्यों ही दूर हुआ तो वही वारमांगर लोग कोरिया चले गये। हम ने कोरिया में अपनी शान्ति सेना भेजी और वहां जो शान्ति स्थापित हुई उस के लिये हम अपने को गौरवान्वित समझने लगे और हम समझते थे कि हम शान्ति के दूत हैं लेकिन उस का यह परिणाम निकलता है कि जितना ही हम शान्ति की फिक्र करते हैं उतना ही युद्ध को हम अपने नज़दीक बुलाते हैं। कोरिया में गई हुई हमारी सेना यहां

[डा० राम सुभग सिंह]

पहुंच भी नहीं पाई कि लड़ने वाले भारत के नज़दीक आने लगे और आज अमरीकन लोग हिन्दचीन में हवाई जहाज़ों से सेना भेजने लगे हैं। यों वह अभी अपनी सेना नहीं भेज रहे हैं, फ्रांस की सेना ही भेज रहे हैं। लेकिन अब वे कहने लगे हैं कि ज़रूरत पड़ने पर वे अपनी सेना भी भेजेंगे। ऐसी हालत में मैं समझता हूं कि हम लोगों को शान्ति के पीछे पागल नहीं होना चाहिये।

पंडित जी ने धर्म यद्ध का जो शब्द इस्तैमाल किया है मैं समझता हूं कि उस को असली रूप में इस्तैमाल करना चाहिये। जब पुराने काल में युद्ध होता था तो जो लोग युद्ध में जा कर लड़ते थे वह ही लड़ते थे और जो लोग नहीं लड़ते थे वे शान्तिपूर्वक अपना काम करते थे। हल चलाने वाला अपना हल चलाता था, पढ़ने वाला पढ़ता था, व्यापार करने वाला व्यापार करता था। मैं चाहता हूं कि जो लोग यद्ध में फंसे हैं उन को अच्छी तरह लड़ने दिया जाय ताकि जो असुर हैं उन का संघार हो जाय और हम इस को चुपचाप देखते रहें न कि अपने अच्छे अच्छे ब्रेन्स को बरबाद करें। आज हमारे बड़े बड़े ब्रेन्स दुनियां में शान्ति कायम रखने में लगे हुए हैं। नतीजा यह होता है कि अगर एक जगह युद्ध रुक जाता है तो दूसरी जगह शरू हो जाता है। यूरोप में युद्ध बन्द हुआ तो युद्ध कोरिया में चला गया और वहां से हिन्द चीन गया। और कोई नहीं कह सकता कि यदि हिन्दी चीन में शान्ति हो गई तो वह युद्ध पांडीचेरी में, गोआ में और काश्मीर में नहीं आ जायगा। मैं नहीं समझता कि जिस दिन हिन्द चीन में शान्ति हो जायगी उस दिन पांडीचेरी, गोआ और काश्मीर में भी शान्ति हो जायगी।

यूनाइटेड नेशन्ज़ की तारीफ करने में भी हम ने काफी शक्ति बरबाद की है। लेकिन आज तक यूनाइटेड नेशन्ज़ ने हमारा क्या काम किया है। एक ज़माना हुआ, सन् १९४७ में काश्मीर का मामला उस के सामने पेश किया गया। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रिटेन वाले और अमरीका वाले इस मामले में यूनाइटेड नेशन्ज़ में क्या कर रहे हैं। आज तक उस मसले का कुछ फैसला नहीं हुआ। आज जो डाक हैमरशोल्ड यू० एन० ओ० के सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने जो काश्मीर से अमरीकी अफसरों को हटाने के मामले में रुख अख्तियार किया है उस से मालूम होता है कि यू० एन० ओ० अपनी नीति में कहां तक निष्पक्षता से काम कर सकता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि आज जितने हमारे बड़े बड़े ब्रेन्स इस तरफ लगे हुए हैं वे उस तरफ ज्यादा ध्यान न दें, सिर्फ थोड़ा ध्यान इस तरफ दें, लेकिन बहुत महत्व न दें कि हमारी कास्ट पर यू० एन० ओ० हो चाहे कामनवैल्थ हो वे सारी दुनियां में शान्ति फैलायें चाहे यहां दिल्ली में और सारे हिन्दुस्तान में असन्तोष बढ़ता रहे।

कामनवैल्थ के बारे में भी बहुत लोगों ने उस का औचित्य बतलाया और कहा कि कामन वैल्थ में शामिल होना बहुत ज़रूरी है। मैं भी समझता हूं कि कुछ हद तक यह उचित हो सकता है लेकिन हमें देखना है कि कामनवैल्थ वाले दूसरे सदस्य हमारे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। डाक्टर मलान साउथ अफ्रीका में भारत की तौहीन करता है, दूसरे पाकिस्तान भारत को ज़लील करता है। कामनवैल्थ के दूसरे सदस्य जैसे आस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड और सीलोन भी कोई भारत के साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। कामनवैल्थ में और भी बहुत से मसले हैं। वहां पर साउथ रोडेशिया के प्रधान मंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने बैठते हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसी जगह रहना भारत

के लिये कहां तक उचित है । इसलिये मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से निवेदन करूंगा कि कामनवैल्थ के बारे में भी ज़रा ध्यान दें कि हम लोगों को कामनवैल्थ से जितना फायदा होता है उस से ज्यादा घाटा तो नहीं होता है ।

इस के साथ साथ मैं अपने देश के हालात पर आता हूं । आज हिन्दुस्तान में विभिन्न देशों के लोग आते हैं । अमरीका द्वारा यहां पर तरह तरह की हरकतें की जाती हैं । उन को मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं । जैसा कि मैं ने पहले बतलाया पहले अमेरिकन कांटिनेंट में बन्धा हुआ था लेकिन बाद में वह यूरोप में दखल देने लगा और दूसरे महायुद्ध के बाद फोर प्वाइंट एड के अन्तर्गत हमारे यहां अमरीका इकानामिक एड और टैकनिकल एड दे रहा है । उस की तरफ से यहां शिक्षा देने के लिये वर्कशाप खोले जा रहे हैं और अब फोर प्वाइंट प्रोग्राम के अन्तर्गत फिज़िकल ट्रेनिंग भी उस की तरफ से दी जाने लगी है । ऐसी हालत में हम को समझना चाहिये कि उन की हरकत क्या है ।

आज अमरीका में चारों ओर से हमारी सरकार को और प्रधान मंत्री को गालियां दी जाती हैं । उन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जोकि भारत की तारीफ करते हैं और यहां के प्रधान मंत्री की तारीफ करते हैं परन्तु ऐसे बहुत कम लोग हैं । इन की अपेक्षा अमरीका के शासन से सम्बन्ध रखने वाले ऐसे लोग ज्यादा हैं जोकि गाली देने वाले हैं । उन की स्पष्ट नीति यह है कि हम दुनियां को अपने चंगुल में रखें । इसलिये उन्होंने पहले ग्रीस और टर्की को सहायता दी और उस के बाद यूरोप को मार्शल एड के रूप में सहायता दी । तीसरे उन्होंने एटलांटिक ट्रीटी के रूप में एक संगठन खड़ा किया और आखिर में मिडिल ईस्ट में एक डिफेंस आर-गेनाइज़ेशन बनाने की चेष्टा की । लेकिन मिडिल ईस्ट वाले उन के चंगुल में नहीं आये । उस का परिणाम यह निकला कि डाक्टर मुसादिक की सरकार को उलट दिया गया और नाजिमुद्दीन की सरकार को खत्म कर दिया गया । आज डिमाक्रेटिक कहलाने वाले देश इस तरह के काम कर रहे हैं । आज हमारे प्रधान मंत्री बहुत ज्यादा पापुलर हैं । अगर वह अमरीका की नीति को अक्षरशः कार्यान्वित नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अमरीका इस पर भी तैयार हो जाय कि हमारे यहां भी अमरीकन नीति का समर्थन करने वाली सरकार बनावे । इसलिये हम को सावधान होना चाहिये । इसी नीति का पालन करने के लिये उन्होंने पाकिस्तान को मदद देना शुरू की है ।

आप श्री डलैस को जानते हैं । वह जिस तरह से पोलीटिकल इंट्रीग्स करते हैं उसी तरह से स्प्रिचुअल इंट्रीग्स भी करते हैं । यहां के विदेशी मिशनरियों पर पानी की तरह रुपया बहाया जाता है । आज मैं चाहता हूं कि हर आदमी को धार्मिक स्वतंत्रता हो चाहे वह किसी भी धर्म का हो । लेकिन अमरीका की शक्ति या सत्ता को जमाने के लिये आज हिन्दुस्तान में और बड़े बड़े देशों में रुपया भेजा जाता है । आज प्वाइंट फोर प्रोग्राम के अन्तर्गत अमरीका सारे देशों को पोलीटिकल, इकानामिक, स्प्रिचुअल, जितनी भी तरह की सहायता हो सकती है या जितने भी ढंग हो सकते हैं उन सभी ढंगों से अपने चंगुल में लाने का प्रयत्न कर रहा है । और मुझे दुःख है कि भारत सरकार भी इस मामले में अमरीका के सामने झुक गई है । हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री को और भारत सरकार को चाहिये था कि वे प्वाइंट फोर प्रोग्राम के अन्तर्गत तनिक भी इकानामिक और टैकनिकल एड अमरीका से न लेते । जिस तरह से प्रधान मंत्री जी को नेशनल

[डा० राम सुभग सिंह]

प्लान के लिये लोग करोड़ों रुपये का ऋण दे रहे हैं उसी तरह अगर तनिक भी भारत सरकार की तरफ से गौर होता तो हमारे देश की औरतें जिन के पास कुछ भी नहीं है वे प्रधान मंत्री के कहने पर उन के पैरों में अपने गहने रख देतीं ताकि विदेशी षड्यंत्र को खत्म किया जाता और जितनी ज़रूरत होती वह सभी पूंजी प्राप्त हो जाती ।

लेकिन भारत सरकार उस वक्त चूक गई और मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री अपनी उस चूक की, भारत सरकार उस ग़लती को कबूल करे और अमरीका से एड लेना बन्द करे । वैसे तो पन्द्रह परसेंट ऐड कम्युनिटी प्राजेक्ट्स के लिये मिलती है लेकिन जितने भी कुल ५५ या ५६ प्राजेक्ट्स हैं, लोग यही समझते हैं कि वह सारे प्राजेक्ट्स अमरीकन रुपये से चल रहे हैं, पांच पांच और ६-६ गाड़ियां एक एक जगह चलती हैं, ऐसी जगहों पर हिन्दुस्तान की भूमि में अमरीका का प्रचार नहीं होने देना चाहिये कि यहां पर अमरीका के साधारण एग्रीकलचर और इंजीनियरिंग स्कूल का कोई आदमी आये और वहां पर हिन्दुस्तान के कम्युनिटी प्राजेक्ट एरियाज़ में एस० डी० ओ० उस को सलाम करे और गांव में जब वह जाय तो गांव में लोग चारों ओर उसे सलाम करें, क्योंकि अगर यह चलने दिया जाता है तो लोग समझने लगते हैं कि सब कुछ अमरीका का है और कितनी जगह मैं ने सुना है कि उन प्रोजेक्ट्स को लोग अमरीकी प्रोजेक्ट्स कहते हैं । ऐसी हालत में हिन्दुस्तान को अमरीका के ख़तरे से बिल्कुल सजग हो जाना चाहिये । इस के साथ मैं उस आलोचना को भी ठीक नहीं मानता जो कुछ भाइयों ने जो अभी हाल में समझौता हुआ है उस के बारे में की है । मैं तो मानता हूं कि तिब्बत में जो हाल में चीनी कम्युनिस्ट सरकार वहां क़ायम हुई, कम्युनिस्टों ने जब तिब्बत पर अपना अधिकार जमा लिया, तो उस से कोई सन्धि करने की आवश्यकता थी । लेकिन आज चीन के साथ सन्धि कर के भारत ने एक रिऐलिटी को स्वीकार किया है । चीन हमारा पड़ौस का देश है, इन सभी देशों से हमें मित्रता का नाता जोड़ना चाहिये लेकिन जो विदेशी इम्पीरियलिस्ट्स हैं वे चाहते हैं कि जितने भी दुनियां के छोटे और कमज़ोर मुल्क हैं और जो हाल तक उपनिवेश रह चुके हैं उन सबों को अपने साम्राज्यवादी चंगुल में रक्खें, तो मैं कहूंगा कि दुनियां को ऐसे साम्राज्यवादी देशों से सावधान रहना चाहिये । मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी हिन्दुस्तान के ही नहीं बल्कि विश्व में एक शान्ति के प्रतीक हैं, ईमानदारी के प्रतीक हैं वह इस चीज़ को ले कर आगे बढ़ेंगे और दिखा देंगे कि साम्राज्यवादियों का षड्यंत्र कम से कम हिन्दुस्तान में नहीं चल पायेगा और उस का प्रभाव एशिया में भी पड़ेगा और इस तरह से विश्व में शान्ति क़ायम हो सकती है ।

श्री एस० एन० अग्रवाल (वर्धा) : गत शनिवार को प्रधान मंत्री ने जो भाषण दिया, उस में भारत की वैदेशिक नीति की एक महत्वपूर्ण उद्घोषणा थी । पारिस्परिक सन्देह और घृणा और भय से पीड़ित आज के इस विश्व में उन का सामूहिक शान्ति का यह आदर्श सामूहिक सुरक्षा की भावना से भी अधिक क्रान्तिकारी है । यह सामूहिक शान्ति शमशान की शान्ति नहीं, न तो इसे भय और घृणा से जनित शान्ति कहा जा सकता है—यह वह शान्ति नहीं जिस पर शान्ति के सम्मेलनों में, जहां प्रकाश पड़ने की अपेक्षा तेज का प्रचण्ड ही पड़ता है, चर्चा होती है, बल्कि यह वह शान्ति है जो गतिशील और रचनात्मक है, और जिस से

अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना करने में कुछ स्थापनात्मक सुझाव मिलते हैं।

आचार्य कृपालानी ने हमें बताया कि वैदेशिक नीति राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये। मुझे इस विषय में कोई भी सन्देह नहीं कि हमारी वैदेशिक नीति इस प्रकार की है, और हमारे देश के बहुत से लोगों को इस के प्रति सम्मान और विश्वास भी है। मेरा विचार है कि विश्व के और किसी भी राष्ट्र के प्रधान मंत्री अपनी संसदों में विरोधी दल के सदस्यों से इस प्रकार परामर्श नहीं करते जिस प्रकार हमारे यहां के प्रधान मंत्री किया करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि श्री एच० एन० मुकर्जी ने यह स्वीकार किया है कि साम्यवादी और साम्यवाद-विरोधी दलों को इस देश में अपनी विचारधारा का वातावरण पैदा नहीं करना चाहिये। किन्तु यहां इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिये कि हम जब अमरीकी-पाकिस्तान संधि या जापानी युद्ध अपराधियों के प्रति इंगलैण्ड के रवैये की आलोचना करते हैं तो हम यों ही और किसी शक्ति से भिड़ना नहीं चाहते। भारत संसार के सभी गुट्टों से बच कर आगे बढ़ना चाहता है। हम रूस या अमरीका के पक्ष में नहीं न तो हम उन का विरोध करते हैं। हम अच्छाई के समर्थक और बुराई के शत्रु हैं, वह चाहे कहीं से भी पैदा हो। इस से यह नहीं समझा जाना चाहिये कि हम अलग रहने की नीति पर चलना चाहते हैं। हम सभी की सद्भावना चाहते हैं। हम अपनी शर्तों पर ही और देशों के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। हम किन्हीं भी राजनीति शर्तों पर सहायता स्वीकार नहीं करना चाहते, किन्तु हम, निश्चय ही उस सहायता का स्वागत करने को तैयार हैं जो सद्भावना से दी गई हो। हम पाक-अमरीकी संधि का इसलिये विरोध करते हैं कि इस से एशिया में स्वतंत्रता की लहर में एक बाधा पड़ जाती है—यह भी है कि हम किसी तुच्छ चीज़ के बदले में अपनी स्वतंत्रता बेच डालने को तैयार नहीं हैं।

दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मंत्री डा० मलान ने कुछ समय पहले कहा कि भारत की नज़रें अफ्रीका पर गड़ी हैं। श्रीमान्, प्रधान मंत्री की नज़रों में भारत की ३६ करोड़ जनता की नज़रें भी समाई हैं, लेकिन ये नज़रें साम्राज्यवादी और आक्रान्ताओं की नज़रें नहीं बल्कि उन करोड़ों अफ्रीकियों पर सद्-भावना और सहानुभूति की नज़रें हैं, जो इस समय स्वतंत्रता संग्राम में लगे हैं।

फ्रांस और पुर्तगाल के कब्ज़े में हमारी जो विदेशी बस्तियां हैं, वे भारत का ही अंग हैं। हम चाहते हैं कि वहां के रहने वाले अपने अहिंसापूर्वक आन्दोलन से अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकें। पुर्तगाल सें प्रधान मंत्री ने कहा है कि यदि भारत की भूमि पर उन्हें संघर्ष करना पड़े तो वे गोआ को एक बर्बाद हालत में छोड़ेंगे। कितने आश्चर्य की बात है कि साम्राज्यवाद पर इतना गहरा रंग चढ़ा है। मैं आशा करता हूं कि वे समय की मांग जानेंगे और यह भी समझेंगे कि सत्याग्रह का दमन नहीं हो सकता। हम यह भी आशा करते हैं कि गोआ और पांडिचेरी के लोग गांधीवाद के सहारे अहिंसात्मक ढंग से संघर्ष करते रहेंगे।

हमारे प्रधान मंत्री ने उद्जन बम के विरोध में आवाज़ उठाई है। उद्जन बम का प्रयोग प्रकृति के विनाश के लिए ही है; अतः इसे मानवीयता घोर ईश्वरीयता के विरोध घोर पाप कहा जा सकता है। किन्तु में समझता हूं कि मात्र आवाज़ उठाने से, और गुटबंदियों से अलग रहने कि ऐसी वैदेशिक नीति का अनुसरण करने से उद्जन बम का विनाश नहीं किया जा सकता। प्रधान मंत्री ने कुछ

[श्री एस० एन० अग्रवाल]

समय पहले कहा है कि उद्जन बम पूंजीवादी और सर्वहितवादी आर्थिक विचार-धाराओं के पारस्परिक संघर्ष के फलस्वरूप बना है। जब तक इस देश में इन दोनों विचार-धाराओं के बीच की कोई अर्थनीति नहीं बनती, तब तक हम इस का उपचार नहीं कर सकते। गांधी जी ने हमें जो मार्ग दिखाया है उस से हम आत्मनिर्भर होते हुए भी विश्व के साथ एकस्वर हो कर आगे बढ़ सकते हैं। भारत इस प्रकार की आर्थिक और सामाजिक विचारधारा विकसित कर रहा है, जिस से वह गुटबन्दियों से बचा भी रहेगा, और आर्थिक क्षेत्र में विकास भी करता रहेगा। मझे इस बात में कोई भी सन्देह नहीं लग रहा कि भारत भाग्यशाली देश है, हमारे प्रधान मंत्री इस देश के भाग्य के विधाता हैं; और किसी भी आपात में सारा देश एक हो कर उन का समर्थन करेगा।

प्रधान मंत्री तथा वदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा था—तथा इस समय भी कुछ है—कि मैं आप की अनुमति से हिन्दी में बोलूं, परन्तु मझे विरोधी पक्ष के कुछ सदस्यों की कुछेक बातों का अंग्रेज़ी में उत्तर देने की अनुमति दी जाये, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वह उन बातों को समझ जायें। इस के बाद मुझे हिन्दी में बोलने की अनुमति दी जाये।

डा० लंका सुन्दरम् ने भीतरी रेखा के सम्बन्ध में कुछेक बातें कहीं। भीतरी रेखा मल रूप से १८७३ में निर्धारित की गई थी तथा यह सारी रेखा सीमा के साथ साथ जाती है। उत्तर प्रदेश में यह रेखा सीमा ४० से ले कर ७५ मील तक है। आसाम में कुछ स्थानों पर यह सीमा से १०० मील के अन्दर है। भीतरी रेखा के लिये पास देने के सम्बन्ध में हाल ही के समय और अधिक कड़ी जांच की जा रही है। जहां तक भीतरी रेखा को बदलने का सम्बन्ध है, सरकार एक अधि-सूचना द्वारा ऐसा कर सकती है; इस के लिये किसी नये कानून की आवश्यकता नहीं तथा यह किसी भी समय किया जा सकता है। हम ने इसे बदलना आवश्यक नहीं समझा है, परन्तु हम इस पर विचार करेंगे तथा ज्यों ही हम यह आवश्यक समझेंगे तो हम यह क्षेत्र भीतरी रेखा से आगे बढ़ायेंगे।

उन्हों ने विदेशी मिशनों की बात कही। उस क्षेत्र में नौ मिशन-संस्थापन हैं। इन में से सभी संस्थापन रेखा की उस ओर नहीं हैं। जहां तक मुझे मालूम है केवल तीन ऐसे संस्थापन रेखा की उस ओर हैं तथा छै इस ओर हैं। इन तीन में से दो का काम अधिकांश रूप से समाप्त हुआ है तथा एक संस्थापन घूमने से सम्बन्धित बहुत से निर्बन्धनों के होते हुए काम करता है। सरकार किसी अन्य विदेशी मिशन को वहां अपना संस्थापन स्थापित करने की अनुमति नहीं देती है। इन धर्मप्रचारकों ने वहां अस्पताल अनाथालय तथा कृषि फार्म खोले हैं, परन्तु, जैसा कि मैं ने कहा, भीतरी रेखा के उस पार इस समय केवल एक ही मिशन काम कर रहा है।

इस सम्बन्ध में मैं एक और विषय की ओर निर्देश करना चाहता हूं। हम भीतरी रेखा तथा ईसाई मिशनों आदि की बातें करते हैं तथा इस सम्बन्ध में कभी कभी तर्क-वितर्क भी होता है। ईसाई मिशनों की गतिविधियों के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उन लोगों के सम्बन्ध में भी पूछे जाते हैं जोकि ईसाई धर्म-प्रचारकों के विरोधी हैं। जहां तक सरकार का सम्बन्ध है हम इस पर धर्मों के दृष्टिकोण से विचार नहीं करते हैं, परन्तु हम इस पर राजनीतिक दष्टिकोण से विचार करते हैं। ईसाई धर्म भारत का एक पुराना तथा सम्मानित धर्म

। हम इस का आदर करते हैं । यहां के लाखों लोग ईसाई धर्म के अनुयायी हैं । उनके बहुत से प्रतिनिधि भी यहां हैं । यहां धार्मिक आधार का कोई प्रश्न नहीं । कठिनाई उस समय उत्पन्न होती है जबकि हम दो तरीकों से इस पर विचार करते हैं । एक तो यह है कि ये लोग सीमा के समीप हैं तथा वहां हम किसी भी विदेशी को सन्देह की नज़र से ही देखते हैं । दूसरे स्थानों पर हम किसी पर सन्देह नहीं करते हैं जब तक कि ऐसा करने के लिये कोई कारण न हो । सीमा पर हम हर व्यक्ति पर सन्देह करते हैं जब तक कि सन्देह न करने का कोई कारण न हो । यही हमारा दष्टिकोण है । यह राजनीतिक कारण हमारे लिये महत्वपूर्ण हैं । इन विदेशी ईसाई धर्मप्रचारकों के सम्बन्ध में एक और बात यह है—यह देशीय धर्मप्रचारकों तथा अन्य लोगों पर लागू नहीं होती है—कि विदेशी संस्थापनों तथा विदेशी धर्मप्रचारकों के अधिक संख्या में होने से कभी कभी जटिल स्थानीय समस्यायें तथा सामाजिक संस्थायें उत्पन्न होती हैं । तो इन समस्याओं के सम्बन्ध में हमारा दष्टिकोण राजनीतिक दृष्टिकोण है तथा हम भविष्य के लिये अपने लिये कठिनाइयां पैदा नहीं करना चाहते हैं ।

इस देश में विदेशी धर्म-प्रचारकों की एक बड़ी संख्या है । इन में से बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं । हम उस काम का स्वागत करते हैं । परन्तु यह बात याद रखी जानी चाहिये कि देश में विदेशियों की संख्या बढ़ाना सब तरह की समस्यायें पैदा करता है । इसलिये, हम इन की संख्या बढ़ाने के पक्ष में नहीं हैं । एशिया के अन्य देशों में इस तरह की समस्याएं पैदा हुई हैं । मैं इस पर सविस्तार चर्चा नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि आज यह मेरा विषय नहीं है—मैं केवल इस का उल्लेख करना चाहता था ।

डा० लंका सुन्दरम् ने पारपत्रों का प्रश्न उठाया । पारपत्र देने का उद्देश्य यह होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को विदेशों में एक प्रकार का संरक्षण दिया जाय । यह सही है कि किसी व्यक्ति के लिये यह अनिवार्य नहीं कि वह पारपत्र ले । वह पारपत्र के बिना चला जा सकता है । वह ऐसा कर सकता है । पारपत्र जारी करने का मामला हर जगह कार्यपाली अधिकारियों के स्वविवेक के अन्तर्गत आ जाता है; यहां यह मामला राष्ट्रपति के स्वविवेक के अन्तर्गत आ जाता है । हो सकता है कि राज्य सरकारें उन की ओर से इस अधिकार का प्रयोग करें । तो, जहां कोई व्यक्ति यहां से पारपत्र के बिना जा सकता है वहां उसे ऐसा करने में कठिनाई आ जाती है, क्योंकि कोई भी वायुयान कम्पनी अथवा पोत कम्पनी उसे तब तक ले जाने के लिये तैयार नहीं होती है जब तक कि उस के पास पारपत्र न हो । जब तक कि उस के पास पारपत्र न हो तब तक वह देश, जहां कि उसे जाना होता है, उसे वहां उतरने नहीं देगा तथा उस वायुयान कम्पनी अथवा पोत कम्पनी को वह व्यक्ति अपनी लागत पर वापस लाना पड़ेगा जोकि वह कभी भी नहीं करेंगे । न केवल पारपत्र अपितु दूसरे देश से 'वीज़ा' प्राप्त करना भी आवश्यक है । तो कानून की दृष्टि से पारपत्र इतना आवश्यक नहीं है किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से इस के बिना कहीं जाया नहीं जा सकता है

डा० लंका सुन्दरम् ने कहा है कि हज़ारों व्यक्तियों को पारपत्र देने से इन्कार किया गया है । इस सम्बन्ध में मैं यह बात सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं कि दो वर्ष पहले यह प्रश्न मद्रास उच्च न्यायालय में उठाया गया था । मद्रास उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा कि "पारपत्र किसी व्यक्ति को उस सरकार का संरक्षण प्रदान

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

करता है जोकि इसे उस के लिये जारी करती है। परन्तु क्या यह कहा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी देश विशेष जाने के लिये पारपत्र प्राप्त करने का अधिकार है ? हमारे विचार में ऐसा नहीं है। किसी व्यक्ति को पार पत्र देने के बाद भी उस राज्य को दूसरे देश में उस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता है। यह पूर्णतः प्रत्येक राज्य के स्वविवेक का मामला है।"

पारपत्र जारी करने तथा न करने से सम्बन्धित आंकड़े सदन की दिलचस्पी का कारण हो सकते हैं। हमारे पास पूरे आंकड़े हैं तथा हम ने १ मार्च से ३१ अगस्त १९५३ तक के छः महीनों के लिये उन्हें एकत्र किया है। इन छः महीनों में ४१,४१६ पारपत्र जारी किये गये तथा १,३४८ प्रार्थना पत्र रद्द किये गये। इन १,३४८ प्रार्थनापत्रों में से १०४२ पंजाब से थे। अर्थात अन्य राज्यों में बहुत कम व्यक्तियों के प्रार्थना-पत्र रद्द किये गये। पंजाब के सम्बन्ध में अधिक संख्या में प्रार्थनापत्र रद्द करने का कारण यह था कि वहां के बहुत से प्रार्थी जोकि निरक्षर ग़रीब कृषक थे, फेरी करने के लिये ब्रिटेन जाना चाहते थे तथा हमारी यह नीति नहीं है कि इस तरह के लोगों को जाने के लिये प्रोत्साहित किया जाये। यह एक कठिनाई है तथा हमें इसी कारण से प्रार्थना पत्र रद्द करने पड़ते हैं। सामान्यतः इस सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्यों का मश्वरा स्वीकृत किया जाता है।

डा० लंका सुन्दरम् तथा दो एक और सदस्यों ने बताया कि मैं ने अपने शुरू के भाषण में पाकिस्तान अथवा काश्मीर के बारे में कुछ नहीं कहा। यह आलोचना निस्सन्देह उचित है क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध तथा पाकिस्तान के साथ हमारी समस्यायें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। फिर भी मैं ने कुछ कहा नहीं क्योंकि मुझे इस सम्बन्ध में कोई नई ताज़ा बात कहनी नहीं थी। यह सही है कि पाकिस्तान में हाल ही में बहुत सी बातें हुई हैं तथा हो रही हैं। हमारी उन में दिलचस्पी है क्योंकि हमें इस बात में दिलचस्पी है कि पाकिस्तान के साथ हमारे सम्बन्ध कैसे रहें। हम उन के साथ मित्रता तथा सहयोग चाहते हैं तथा कोई भी ऐसी बात जिस का हमारे आपसी सम्बन्धों पर कोई प्रभाव पड़ता हो, हमारी दिलचस्पी का कारण हो सकती है। हमारी गहरी दिलचस्पी है, परन्तु इस का यह अर्थ नहीं कि हमें उन के मामलों में किसी तरह हस्तक्षेप करना चाहिये।

उदाहरणतः माननीय सदस्य ने बताया कि मुझे आपसी बातचीत के लिये श्री फज़लुलहक़ को निमंत्रण देना चाहिये। श्री फज़लुलहक़ मेरे एक पुराने मित्र हैं। कोई ३० अथवा ४० वर्ष पहले मैं पहली बार उन से मिला हूं तथा मुझे हमेशा उन से मुलाकात करने में प्रसन्नता होगी। परन्तु यदि हमें पाकिस्तान से सम्बन्धित किसी मामले पर चर्चा करनी हो तो यह पाकिस्तान की केन्द्रीय सरकार अथवा उन के प्रतिनिधियों से ही हो सकती है तथा पाकिस्तान की किसी प्रान्तीय सरकार के साथ नहीं।

काश्मीर के बारे में तीन अथवा चार दिन पहले राष्ट्रपति ने जो आदेश जारी किया, उस का भी उल्लेख किया गया। इस सम्बन्ध में कई तरह की टीका-टिप्पणी हुई है। वह आदेश एक महत्वपूर्ण आदेश था,

परन्तु हमें यह बात याद रखनी चाहिये कि यह कहां तक महत्वपूर्ण है तथा हमें इसे उस से अधिक महत्व नहीं देना चाहिये जितना कि इस का वास्तव में है। हम ने बार बार काश्मीर के मामले पर यहां चर्चा की है; फिर भी एक के बाद एक घटना के कारण हम कुछ थोड़े बहुत भ्रम में पड़ जाते हैं। अक्तूबर, १९४७ में काश्मीर ने पहली बार भारत में प्रवेश किया। हमारे मतानुसार यह प्रवेश कानून की दृष्टि से पूर्ण था। यह उतना ही पूर्ण था जितना कि भारत के किसी अन्य राज्य का था। इस के बाद कुछ गड़बड़ हुई। कुछ समय के बाद अन्य राज्यों के सम्बन्ध में प्रवेश की सीमा बढ़ा दी गई तथा वह हमारे संविधान के अविभाज्य अंग बने। तो शुरू में प्रवेश के सम्बन्ध में काश्मीर तथा अन्य राज्यों की स्थिति समानरूपी थी। परन्तु चूंकि हम चाहते थे कि अन्य राज्य संविधान बनाने में हिस्सा लें, इसलिये बाकी विषयों में भी उन्हों ने प्रवेश किया। काश्मीर के सम्बन्ध में ऐसा नहीं हुआ यद्यपि अन्य राज्यों के प्रवेश की तरह काश्मीर का प्रवेश भी पूर्ण था। काश्मीर में उन दिनों दो एक वर्ष से लड़ाई चल रही थी। इस के अलावा उस कालावधि में यह मामला और भी पेचीदा हुआ क्योंकि यह एक अन्तर्राष्ट्रीय मामला बना। हम प्रतीक्षा करना चाहते थे तथा हम काश्मीर राज्य तथा काश्मीर की जनता की सम्मति के बिना कुछ कर नहीं सकते थे।

तीन वर्ष बाद काश्मीर सरकार ने विधान सभा के लिये चुनाव कराने का निर्णय किया। चुनाव हुए। जब उन की विधान सभा का प्रादुर्भाव हुआ, हमारे लिये परस्पर सम्बन्धों का सही सही निर्धारण करना आवश्यक हो गया। उस समय तक मामले को अनिश्चित अवस्था में रखना आसान था। तीन विषयों को मिलाने का मूलभूत तथ्य अनिश्चित नहीं था। वस्तुतः इन तीन विषयों में से प्रत्येक विषय अपने आप में अनेक विषयों का एक गुट्ट था। 'रक्षा' का क्या अर्थ है? आप एक सूची तैयार कर सकते हैं। वैदेशिक कार्य का क्या अर्थ है? संचार से हम क्या समझते हैं? हम ने यह सब प्रत्यन किया। १९४९ के अन्त में संविधान को अन्तिम रूप देते समय कुछ प्रयत्न किया गया। तब भी हम इस काम को समाप्त नहीं कर सके। और संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं—मुझे उन की संख्या स्मरण नहीं है—जो काश्मीर की अनिश्चित अवस्था की ओर स्पष्ट रूप से निर्देश कर राष्ट्रपति को कार्यवाही करने का अधिकार प्रदान करते हैं।

यह अनिश्चित स्थिति बनी रही और इस का निर्णय करने के लिये हमारे ऊपर एकदम कोई जोर नहीं डाला गया। लेकिन जब काश्मीर विधान सभा की बैठक हुई तो हमें इस ओर अथवा उस ओर निर्णय करना पड़ा। क्योंकि संविधान की रचना करते समय उन्हें इस की परिभाषा करना था और हमें यह परिभाषित करना था कि वह कहां तक इस के अनुरूप हैं। इसी दबाव के कारण दिल्ली में दो वर्ष पहले एक सम्मेलन हुआ जिस में काश्मीर सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे। कई दिनों तक चर्चा करने पर हम एक समझौते के लिये सहमत हुए जिसे दिल्ली समझौता कहा जाता है। यह समझौता पर्याप्त रूप में स्पष्ट था यद्यपि कुछ विस्तृत बातें तय नहीं की गई थीं। प्रमुख तथ्यों का निर्णय कर लिया गया। लेकिन उन के और हमारे द्वारा समझौते का अल्प भाग ही कार्यान्वित किया गया। सदन को भली प्रकार मालूम है कि दिल्ली समझौते की कार्यान्विति से सम्बन्धित प्रश्नों का मुझे कितनी बार उत्तर देना पड़ा है और सम्पूर्ण आदर के साथ मैं कह दूं कि मुझे उत्तर टालना पड़ा है। क्योंकि वास्तविक बात यह थी कि थोड़े से भाग को

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

छोड़ कर शेष कुछ भी कार्यान्वित नहीं हुआ था। यह सच है कि इस के निर्धारण में समय लगेगा। समझौते को कार्यान्वित न करने पर पर्याप्त असन्तोष प्रकट किया गया। इस केब वख्शी गुलाम मोहम्मद के नेतृत्व में चल रही वर्तमान सरकार ने तीन महीने पहले दिल्ली समझौते की कार्यान्विति के प्रश्न को फिर उठाया। इस कार्य के लिये हम विस्तृत मामलों, मुख्य रूप से वित्तीय और राजस्व सरीखे दूसरे मामलों, के सम्बन्ध में आगे बातचीत करना चाहते थे। अतः हम ने उन के प्रस्तावों का स्वागत किया। उन्हों ने यहां आ कर चर्चा की। दो वर्ष पहले की तरह अब नियमित बैठकें नहीं हुई क्योंकि सभी प्रमुख बातों का निर्णय कर लिया गया है। यह प्रत्येक मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सिंचाई तथा शक्ति मंत्रालय योजना आयोग आदि के साथ अलग अलग बात चीत करने का प्रश्न था। हम ने यह तय किया, और तब पुराने समझौते की वर्तमान में निर्धारित कार्यवाही को कार्यान्वित करने के लिये हम एकदम तैयार थे। राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया है। वस्तुतः राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा दो वर्ष पहले किये जाने वाले कार्य को अन्तिम रूप प्रदान किया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह कोई नवीन विकास नहीं है,—यह एक ऐसा कार्य है जिसे हमें करना है और जिसे हम ने दो वर्ष तक स्थगित कर दिया था। हम ने बाहर जो कुछ वचन दिये हैं उन से इस का कोई सम्बन्ध नहीं है। हम राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा इन वचनों की लीपापोती नहीं कर सकते हैं। मैं यह इसलिये कहता हूं कि कतिपय माननीय सदस्यों की यह विचारधारा बन गई है कि इस ने प्रत्येक प्रकार के वचन अथवा आश्वासन को समाप्त कर दिया है। ये वचन और आश्वासन अभी भी हैं और राष्ट्रपति के अध्यादेश अथवा अन्य किसी भी प्रकार की अवस्था के होते हुए भी वे रहेंगे। ये वचन एवं आश्वासन किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों और संदर्भों में प्रभावी होंगे। यदि परिस्थितियां नहीं हैं, यदि वह संदर्भ उत्पन्न नहीं होता है तो हम उन्हें प्रभावी रूप नहीं दे सकते हैं। यह एक भिन्न विषय है। उदाहरण के लिये, जैसा सदन को ज्ञात है पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जिन के कारण समस्या सम्पूर्ण संदर्भ और उस के प्रति हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया है, परिणामस्वरूप पाकिस्तान और हमारे बीच काश्मीर के सम्बन्ध में कुछ प्राथमिक बातें तय होनी थीं, वह पूरी तरह अवरुद्ध हो गई हैं। यह अवरोध दूर किया जाये अथवा नहीं। यह कहना सही नहीं है कि हम ने वायदों को अलग रख दिया है अथवा ढांप लिया है। मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

एक और विषय है। वह गंभीर है तथा उस से मुझे कुछ अकुलाहट हुई है। मेरा विचार है डा० लंका सुन्दरम् ने इस ओर निर्देश किया था। उन्होंने शेख अब्दुल्ला का लगातार नज़रबन्दी रखने की ओर निर्देश किया। पिछले दिनों में ही नहीं, लेकिन मेरे सम्पूर्ण राजनैतिक जीवन में काश्मीर के घटना-चक्र और उस के कारण शेख अब्दुल्ला की गिरफ्तारी और नज़रबन्दी से बढ़कर दुखदायी घटनाएं अन्य नहीं हुईं। अपने पुराने साथी और मित्र के साथ झगड़ने में प्रत्येक व्यक्ति को व्यथा होती है और यह व्यथा किसी विरोधी के साथ संघर्ष होने के परिणामस्वरूप हुई व्यथा की अपेक्षा अधिक गहरी होती है। इस से मुझे बहुत दुख हुआ। मैं घटनाक्रम के इतिहास का वर्णन नहीं करूंगा लेकिन यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति—मुझे विश्वास है काश्मीर सरकार भी इस विषय में मुझ से सहमत होगी—शेख अब्दुल्ला को अनिश्चित काल तक नज़रबन्द रखने की बात नहीं सोच सकता। यह सच है। हम कठिन

परिस्थिति में हैं। काश्मीर की आन्तरिक स्थिति पहले से बहुत अच्छी है, लेकिन उस की सीमा पर अभी भी सेनाओं को एक दूसरे का मुकाबला करना पड़ता है।

मैं ने अभी अभी पाकिस्तान के कार्यों की ओर निर्देश किया। पाकिस्तान में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो विशेष रूप से, काश्मीर के सम्बन्ध में अनुत्तरदायित्वपूर्ण बातें करते हैं। कोई भी व्यक्ति विषय के सन्दर्भ को नहीं भूल सकता है। यदि युद्ध के जमाने में किसी से व्यवहार करना है तो इस का एक अलग तरीक़ा है जो शान्ति-काल से सर्वथा पृथक् है। शान्ति-काल में अधिक जोखिम उठाना पड़ता है। अलग अलग श्रेणियां हैं, कभी कभी वह युद्ध और शान्ति के झंझावात में होता है। यह युद्धाभाव के रूप में शान्ति है। लेकिन कोई नहीं जानता कि युद्ध कब आरम्भ हो जाये। इन सब कठिनाइयों का सामना कर उत्तरदायित्व को सहन करना है। इस में सैद्धान्तिक हल का प्रश्न नहीं है। जीवन की दुरुहता में सैद्धान्तिक हल ही नहीं है। कुछ भी हो, मैं यह कहना नहीं चाहता कि मुझ पर अथवा भारत सरकार पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। यह कहना ग़लत होगा। मूल रूप में इन सब कार्यों का उत्तरदायित्व जम्मू और काश्मीर राज्य की सरकार पर है और हमारा सम्बन्ध सरकार से है। पिछले छः महीनों में जम्मू और काश्मीर राज्य की सरकार ने काश्मीर के जन-जीवन में, और विशेष रूप से उन की आर्थिक स्थिति में, अद्भुत प्रगति कर दिखाई।

एक माननीय सदस्य : मुझे सन्देह है।

श्री जवाहरलाल नेहरू : एक माननीय सदस्य कहते हैं कि उन्हें सन्देह है। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि माननीय सदस्य सर्वथा और आशातीत रूप में अज्ञानी हैं। मैं दूसरे प्रश्नों के गुणावगुणों पर विचार नहीं कर रहा हूं। मैं इसे बिना किसी सन्देह के शत प्रतिशत विश्वास के साथ कह सकता हूं। मैं किसी भी व्यक्ति को यह सिद्ध करने के लिये चुनौती देता हूं कि मैं इस विषय में एक प्रतिशत भी ग़लत हूं। काश्मीर की जनता की आर्थिक स्थिति में पिछले छः या सात महीनों में सुधार हुआ है। मेरा मत है कि पिछली पीढ़ी की अपेक्षा काश्मीर की जनता पर आर्थिक बोझ का भार कहीं कम है। मैं यह नहीं कहता कि इस में कोई जादू हो गया है। सीधे-सादे और सरल उपायों द्वारा यह काम किया गया है। अनेक कारणों से कीमतें कम हो गई हैं। सीमा शुल्क समाप्त कर दिये गये हैं, अतः कीमतें घट गई हैं। यह कोई जादू नहीं है। आन्तरिक स्थिति के सम्बन्ध में, चावल समाहार की पद्धति में परिवर्तन कर दिया गया है। और भी अनेक सुधार किये गये हैं जिन से जनता पर भार कम हो गया है। आप एकदम उन का बोझ कम कर सकते हैं। उन्हें सहसा धनोत्पादन वर्ग में नहीं बदला जा सकता है। उस के लिये समय और परिश्रम की आवश्यकता है। मैं इस विषय की चर्चा नहीं कर रहा था। मैं कह रहा था कि इन मामलों में हम स्वभावतः जम्मू और काश्मीरर राज्य की सरकार से व्यवहार करते हैं। प्रधान उत्तरदायित्व उन्हीं पर है जब हमारी अन्तर्बाधा का परिणाम उन्हें उठाना पड़ता है तो उन के कार्यों में दखल देना हमारे लिये सही अथवा उचित नहीं है। यह हमारी कठिनाई है।

तीन दिन हुए बहुत सारे सदस्य इस मज़मून पर बोले थे और कुछ न कुछ उन्हों ने हमारी नीति की निन्दा की या उस की अलग अलग बातों की टीका की। लेकिन क़रीब क़रीब जहां तक मुझे याद है सब ने छोटी मोटी बातों को छोड़ कर उस की बुनियादी बातों की प्रशंसा की, यानी जो सदस्य आम तौर से उस का विरोध भी करते हैं, उन्हों ने भी प्रशंसा की। मुझे आज का

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पूरा हाल मालूम नहीं, क्योंकि मैं उधर दूसरे सदन में बोल रहा था, यहां मौजूद नहीं था, लेकिन उस दिन की बहस में सिर्फ़ दो साहब जो बोले वह कुछ बे सुर के थे। एक तो श्री देशपांडे जी हिन्दू महा सभा की तरफ़ से और एक उन को इस मामले में नये दोस्त मिले डाक्टर सत्य नारायण सिन्हा जो इस तरफ़ बैठे हैं।

१० म० पू०

तो अब इस जोड़ी को जवाब देने में जरा दिक्कत हो गई, क्योंकि वह दो अलग अलग रास्तों से टहलते हुए आ कर मिल गये।

आचार्य कृपालानी ने कहा, और अक्सर यह कहा जाता है कि हमारी नीति एक राष्ट्रीय नीति हो, नैशनल पालिसी हो, और हम सब लोगों से मश्विरा कर के इस को तय करें। यह मेरी समझ में ठीक आता नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारी वैदेशिक नीति किसी एक पार्टी की बिना पर नहीं चलनी चाहिये, और यह उचित भी नहीं है, वह राष्ट्रीय होनी चाहिये, नैशनल होनी चाहिये,। यह मैंने मान लिया, लेकिन नैशनल होने के माने क्या हैं? नैशनल होने के यह माने तो नहीं हैं कि जब उस को हर एक आदमी माने तभी क़दम उटाया जायेगा। अगर इस के यही माने हों तब तो कभी क़दम उठेगा ही नहीं, कभी हम जुम्बिश ही नहीं करेंगे, जमे हुए बैठे रहेंगे। लेकिन वैदेशिक मामलों में, या किसी भी मामले में, हमें आगे बढ़ कर काम करना होता है। इसी बात में आचार्य कृपालानी ने कहा कि हम ने चन्द बातें की हैं जो कि उन्हें पसन्द नहीं आईं। तो आखिर हम क्या करते? या तो उन बातों को हम करते ही नहीं या उन को करने में आचार्य कृपालानी राजी होते। यह दिक्कत हुआ करती है। इस के माने तो यह हैं कि जब कभी आप चाहें कि किसी बड़ी नीति से सब लोग सहमत हों, तो उन बातों में बड़ा सलाह मश्विरा हो। लेकिन इस के हजार पहलू होते हैं, शाखें, फूल और पत्तियां होती हैं, इसलिये हर बात पर सलाह मश्विरा नहीं हो सकता। राष्ट्र की बातें वही होती हैं जो उस की बुनियाद से उठती है, निकलती हैं।

हमारी नीति इन पिछले पांच छः वर्षों में एक बुनयादी नीति रही है। हम ने इस को कहा कि आज जो बड़ी बड़ी शक्तियां, पावर ब्लाक्स, हैं हम उन में से किसी के साथ नहीं होंगे। हमारी नीति नान-एलाइनमेन्ट की होगी। मैं आप से कहता हूं कि असल में यह शब्द ठीक नहीं है, कोई कहता है "नान एलाइनमेन्ट", कोई कहता है "न्यूट्रल"। लेकिन यह दोनों शब्द ठीक नहीं हैं। यह दोनों ही एक "नहीं" के शब्द हैं जब कि हमारी नीति "नहीं" की नहीं बल्कि "हां" की नीति है। तो आप हमारी नीति को देखें। हम ने यह नीति बहुत सोच समझ कर बड़े तेज दिमाग और तेज अक्ल से निकाली हो, यह बात नहीं है। मैं आप से साफ कह दूं कि जो हमारे पुराने दिमाग थे, पुरानी भावना थी, वैदेशिक मामलों में उस का नतीजा ही यह था, और कुछ हो ही नहीं सकता था। हम जब स्वतन्त्र हुए और स्वतन्त्र होने पर जब पुराने विचार हमें मिले तो उस का यही नतीजा हो सकता था। मैं आप से कहता हूं कि कोई भी दल यहां पर होता और गवर्नमेन्ट बनाता तो वह भी इस पर चलता, हां इधर उधर झुक जाता, यह और बात है।

इस के बाद जो हमारी नीति थी, वह हल्के-हल्के ज्यादा मजबूत होती गई और वाक्यात को देख कर ढलती गई। हल्के हल्के हमने भी कुछ कदम इधर उधर बढ़ाये। लेकिन बुनियादी तौर पर हमारा रास्ता वही था। इन

पांच सात वर्षों में बहुत सारी बातें और भी हुईं । यह हुआ कि जो पावर ब्लाक्स हैं वह भी ज्यादा मज़बूती से एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपनी मीनारें खड़ी करने लगे, और आप ने देखा कि कोरिया का झगड़ा हुआ । बड़ी गनीमत हुई कि वहां कम से कम एक दूसरे का मारना बन्द हुआ, सीज़-फायर हुआ । अभी तीन वर्ष ही लड़ाई को हुए थे कि फिर एक भयानक लड़ाई हुई । उस से क्या नतीजा हासिल हुआ? कुछ नहीं, कोई जीता नहीं है, न इधर का जीता और न उधर का जीता । अगर यह दो वर्ष पहले रुक जाती तो इस से अच्छा होता । क्योंकि उस वक्त भी कोई जीता नहीं होता, लेकिन कम से कम इतने लोग मरते नहीं, मुसीबतें कम आतीं, लोगों के दिमाग जरा आज से ज्यादा ठंडे होते, उस वक्त ज्यादा आसानी से फ़ैसला हो जाता, जिस में कि अब कठिनाई हो रही है ।

इन्डो-चाइना में इस लड़ाई को छः वर्ष हो गये, मुझे समय नहीं है नहीं तो मैं बताता कि इस छैः वर्ष में कितनी ऊंच-नीच हुई । कम से कम मेरी जान में तो कोई भी इतनी बड़ी और फुजूल लड़ाई नहीं हुई जितनी कि इन्डो-चाइना की । बिल्कुल बेकार की हुई । अब लोग बैठे हुए हैं, इस की मुश्किलें देखते हैं और हल नहीं कर सकते, मगर रास्ते की तलाश में हैं ।

आप कोरिया को फिर लें । मैं ने कहा कि उस में कोई फ़रीक जीता नहीं है । साफ़ बात है कि अगर कोई जीता होता तो वह जैनेवा में न बैठा होता, जो करना होता, करता । हालांकि कोई फ़रीक फौजी मदद से जीता नहीं, लेकिन अब हर फ़रीक चाहता है कि बहस में वह असर पैदा कर दे गोया उस की फौजी फतह हुई । दूसरा फ़रीक इस को मंजूर नहीं करता, और जाहिर है, कैसे मंजूर करे ? जब वह हारा ही नहीं तो हार कैसे मंजूर कर ले कि दूसरा जीता ? हालत ऐसी हो गई है कि कोरिया का कोई भी फ़रीक दूसरे को मजबूर नहीं कर सकता हार मानने के लिये, या ऐसी बात मानने के लिये जो कि हार का नतीजा होती । इसे कोई फ़रीक मंजूर नहीं करेगा तो फिर रास्ता क्या होगा । या तो दोनों फ़रीक यह समझ लें कि हां, हमें इस बात को तसलीम करना है कि इस में किसी की हार-जीत नहीं हुई है, लाचारी है, चाहे हम इसे पसन्द करें या नहीं, मगर यह एक वाक्या है । तो फिर कोई ऐसा समझौता करें जो कि इसी ढंग का हो । अगर नहीं करते तो दूसरा रास्ता यह है कि लड़ाई लड़ें और देखें कि बाद में हार-जीत हो सकती है या नहीं । मगर मैं आप से कहता हूं, जैसा और लोग भी कहते हैं, कि लड़ाई लड़ना तबाही लाने वाला है और इस को नहीं करना चाहिये । तब फिर हम क्या करें ? और आप देखें कि अगर तीन वर्ष तक लड़ाई में हार या जीत नहीं हुई तो कोई ज़रूरी नहीं है कि और तीन वर्षों की लड़ाई में किसी की हार जीत हो जायेगी या दस ही वर्ष में हो जायेगी । यानी बग़ैर हार जीत हुए ही तबाही बढ़ जाए । दुनियां का हाल यह होता जाता है । तो इस लड़ाई में आपने देखा, मुमकिन है कि बद-किस्मती से दुनियां में आगे भी कोई लड़ाई चले और वह चलती जाय जिस में कि तबाही बहुत हो जाय और हार जीत किसी की न हो, कोरिया की लड़ाई का नतीजा यह हुआ है कि दोनों फ़रीकों को यह स्वीकार करना है कि हम न हारे हैं और न जीते हैं । अब क्या करें ?

हम सबों की इच्छा है कि कोरिया के उत्तरी और दक्षिणी दोनों भाग मिल जायें, उस के टुकड़े न हों । जब तक वह मिलते नहीं हैं, उन में कुछ न कुछ रंजिश रहेगी, झगड़ा रहेगा, फिर लड़ाई हो सकती है यह भी मान लिया । लेकिन मिलें कैसे ? हमारे और आप के चाहने से तो नहीं मिल सकते । दोनों फ़रीक कहते हैं कि मिल जायें लेकिन मिलें कैसे, किस ढंग से

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

मिलें कि जो मिलने के लिये कहने वाला है वह दूसरे पर हावी हो जाय, दूसरे की छाती पर बैठा रहे ? यानी अगर नार्थ कोरिया वाले कोई तजवीज़ पेश करते हैं तो वह दूसरे की छाती पर रहें और अगर साउथ कोरिया वाले करते हैं, या उन से दोस्ती करते हैं, तो वह नार्थ कोरिया की छाती पर रहें। इसी वास्ते दोनों एक दूसरे की बात मंज़ूर नहीं करते। तो आखिर क्या किया जाय ? क्या बग़ैर रज़ामन्दी के ही दोनों की शादी कर दें ?

श्री त्यागी (रक्षा संगठन मंत्री) : रपैशल मैरेज ऐक्ट से कर दी जाय।

श्री जवाहरलाल नेहरू : तो फिर कोई रास्ता निकलना चाहिये। मैं कोरिया के मामले में या इन्डो-चाइना के मामले में कोई तजवीज़ नहीं पेश करना चाहता, और सच बात यह है कि मेरे दिल में कोई तजवीज़ है भी नहीं, क्योंकि यह तो बड़ी आसान बात है कि हम में से कुछ लोग बैठ कर तजवीज़ें बनायें, और काग़ज़ पर वह बहुत खूबसूरत भी मालूम हों, लेकिन उन का सम्बन्ध वाक्यात से न हो।

इस समय जैनेवा में जो बातें हो रही हैं उन का बहुत दूर तक असर होने वाला है। समझौता हुआ तब असर होगा और अगर न हुआ तब और भी दूर तक असर होगा। हालांकि दोनों फ़रीक काफ़ी दूर हैं, काफ़ी एक दूसरे की टीका करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप गौर से देखें तो आप पायेंगे कि कोई रास्ता निकालने की काफी जोरों से कोशिश हो रही है। दोनों तरफ़ से काफी कोशिश हो रही है। इसलिए जब यह कोशिश हो रही है तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात कहूं कि जिस से उस कोशिश में कुछ धक्का लगे। एक नाजुक मौका है, और हम यहां दूर से सलाह दें कि क्या करो और क्या न करो तो मुमकिन है कि इस से हम कुछ गड़बड़ी पैदा कर दें। तो यह फिजूल बात है। हम इस तरह की सलाह नहीं दे सकते। यों वहां क्या बात होती है उस की हर वक्त खबरें आती रहती हैं लेकिन हर वक्त क्या बातें होती रहती हैं इस का पता नहीं चल सकता। इसीलिए मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वहां काफी ईमानदारी से, और जोरों से कोशिश हो रही है कि कोई रास्ता निकले। इस हालत में अगर मैं राय दूं तो यह काफी कठिन बात है, काफी मुश्किल बात है। और ज्यों-ज्यों एक एक दिन गुज़रता है वह मुश्किल बढ़ती जाती है। अगर इसी तरह की कोशिश दो तीन बरस पहले की जाती तो ज्यादा आसान होता। तीन बरस कोरिया की लड़ाई के बाद और मुश्किल ज्यदा हो गयी। हिन्दचीन की लड़ाई हल नहीं हुई जिस से वह मुश्किल और बढ़ गयी। अब अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है और साल भर बीत जाता है तो मुश्किल और बढ़ जायगी। तो इस तरह से मुश्किल बढ़ती जाती है। इसलिए वह कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी जोरों से कोशिश कर रहे हैं और हमें यह मानना चाहिए कि कर रहे हैं और हमें उन की कोशिश का आदर करना चाहिए। मैं उन के लिए कोई तजवीज़ तो पेश नहीं करता लेकिन कुछ बुनियादी बातें हैं जिन को हमें अपने सामने रखना है। जैसा कि मैं ने आप से अभी कहा वहां पर कोई फरीक इस तरह की सन्धि नहीं कर सकता जैसे कि वह जीता हो। यह वाक्या नहीं है। कोई गलत बात कैसे बनाकर कर दे। दूसरा उस को मंजूर नहीं करेगा और लड़ाई और होगी। इसलिए यह तसलीम करना चाहिए कि लड़ाई में कोई नहीं जीता है। ऐसी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि दूसरे को नीचा दिखाया जाय। वह मंजूर नहीं करेगा। अब कोरिया के सवाल को लीजिये। हम चाहते हैं कि दोनों कोरिया मिल जायें और ऐसा भी न हो कि बिलफेल मिल जायें इस तरह कि

जिस से एक दूसरे को दबा सकें नहीं तो कभी मिलेंगे नहीं। तो मुमकिन है कि कोई न कोई रास्ता निकल सके कि बिलफ़ेल हम आखिरी मंजिल पर नहीं पहुंचते लेकिन थोड़ी दूर जायें और कदम बकदम आगे बढ़ें।

सी तरह से इंडोनेशिया में आप देखें कि क्या वाक्यात हैं। फौजी वाक्यात क्या हैं? कोई फैसला उसी को सामने रख कर होगा। मैं मानता हूं कि इंडोनेशिया के मामले में दोनों फ़रीकों की तरफ़ से काफ़ी ऐसी बातें कही गयी हैं जिन से जाहिर होता है कि वह एक रास्ते की तलाश में हैं। मैं आप को एक बात बताऊं जो कि मुमकिन है कि आप ने भी देखी होगी। वियट मिन्ह की तरफ़ से जो बातें पेश हुई हैं उन को देखकर आप को आश्चर्य होगा। उन सब में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन उन की बातों के आखिर में यह था कि वह इस बात पर भी विचार करने को तैयार हैं कि फ्रेंच के साथ रहें। वे लोग इस बात पर विचार करने को उस वक्त तैयार हैं जब कि ६ साल की लड़ाई के बाद लड़ाई में आखिरी जीत उन की हुई है, यह हार की बात नहीं है। वह उस समय यह कहें कि हम इस बात को विचारने के लिए तैयार हैं कि हम फ्रेंच यूनियन में रहें, आज़ादी के साथ, इस से ज़ाहिर है कि उन की इच्छा इस झगड़े को खत्म करने की है। अब मैं उन की और शर्तों में नहीं जाना चाहता। मैं महज़ आप को यह दिखाना चाहता हूं कि दोनों तरफ़ यह ख्वाहिश है। अब किसी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट के लिए, ज़िम्मेदार पार्लियामेंट के लिए महज़ दूर से बैठ कर हर एक की निन्दा करना कि हमीं एक शुद्ध आदमी हैं और पवित्र हैं और सब लोग गलत हैं, लड़ाकू हैं, ठीक नहीं है। यह कोई जिम्मेदारी की बात नहीं है। इस तरह से तो कालिज में डिबेटस में कुछ लड़के कहा करते हैं। तो मैं यह चाहता हूं कि आप लोग देखें कि आजकल की दुनिया में कितने पेच हैं। हमें दुनियां के उन पेचों को, उन गांठों को सुलझाना है। अब अगर हम रूठ कर अलग बैठ जायें और महज़ लोगों को ताने दें इस से तो कुछ फ़ायदा नहीं। यह सोचना फिजूल है कि गांठ बांधने में किस का कुसूर है। तो हम को यह देखना है कि हम इन वाक्यात की गांठों को किस तरह से खोलें। अब यह गांठें खुलेंगी इस में सन्देह नहीं। क्योंकि जब एक ऐसी बात हो जाती है कि दुनियां का चलना रुक जाता है और गांठ पड़ जाती है तो उस गांठ को खोलना होता है, चाहे उसे अमन से, शान्ति से खोलें नहीं तो वह तलवार से, आग से और तूफान से खुलती है और उस में लोग बह जाते हैं। यह हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कि किस तरह से इन गांठों को हम खोलें। अगर हम अलग बैठ जायें तो हम कोई मदद नहीं करते। इसलिए हमारी कोशिश यह होनी चाहिए, कोई गुरूर से नहीं, बल्कि काफ़ी नम्रता से, काफी धीमेपन से, कि हम कुछ ठंडा दिल लावें, क्योंकि मुश्किल तो यह है कि लोगों के जज़बात, लोगों के गुस्से और डर इतने बढ़ गये हैं कि रोज़ बरोज़ कठिनाइयां होती जाती हैं और इस बात पर विचार करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं ने आप से कहा कि कोरिया और हिन्दचीन के बारे में हमें किस तरह से आगे चलना चाहिए।

अभी हमारा चीन देश से एक एग्रीमेंट हुआ है। कई मेम्बरों ने उस को पसन्द नहीं किया। उस की निस्बत कहा गया कि हमने बड़ी कमज़ोरी दिखलायी और हम ने ग़लती की कि हम ने इस बात को स्वीकार किया कि चीन का पूरे तौर से तिब्बत पर कब्ज़ा है। या तिब्बत पर चीन हावी है। मौक़ा हो तो मैं इस के पूरे इतिहास में जाने को तैयार हूं, एक एक क़दम। मेरी राय में जो हम ने किया है इस मामले में उस से ज्यादा माकूल और

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अच्छी बात हम ने आज़ादी हासिल करने के बाद कोई नहीं की। इस में मुझे कोई शक व शुबहा नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि हम खराबियों को और अच्छाइयों को तराजू पर तोल कर किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। क्योंकि अच्छाई एक तरफ़ ज्यादा होती है इसलिए खराबियों को लाचारी बरदाश्त करते हैं। वैदेशिक नीति में अक्सर ऐसा होता है और और जगह पर भी। लेकिन जो कुछ इस चीन के मामले में हम ने किया है उस में मुझे कोई शक व शुबह नहीं है। मैं समझता हूं कि हम ने कोई गलती नहीं की है। इस के मानी यह नहीं कि चीन ने जो हर बात की है वह मुझे पसन्द है। लेकिन जिस चीज़ को हम ने लिखा है और जो रिश्ता हम ने कायम किया है वह हर नुक्ते से सही है। इसे चाहे आप किसी दृष्टिकोण से देखें मेरी राय में व सही है। मैं समझता हूं यह हमारे देश के लिए, एशिया के लिए और दुनियां के लिए सही है। मैं तो नहीं समझता कि कैसे बगैर किसी मसले को समझे हुए कोई टीका करने लगे क्योंकि उस की मर्जी के बगैर एक उलट पुलट हुई। एक क्रान्ति हुई है और उस क्रान्ति के नतीजे हुए हैं, चाहे आप उसे पसन्द करें या न करें। अगर आप उस को नहीं देखना चाहते हैं तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बठ जायें और अपने को अन्धा बना लें। लेकिन ऐसा करने से वह चीज़ तो नहीं हट जाती। कहा जाता है कि हमारे तिब्बत से बहुत पुराने सम्बन्ध हैं। हजारों बरस के सम्बन्ध हैं। इस से कौन इन्कार करता है। इस में कोई सन्देह नहीं है। लेकिन इस के साथ ही आप देखें कि वहां पर जबरन अंग्रेज़ी हुकूमत का कुछ असर था। आप समझ सकते हैं कि तिब्बत चीन का भाग हो या अलग देश हो, लेकिन हिन्दुस्तान की फौज़ वहां थी। क्या यह ठीक है कि किसी आज़ाद मुल्क में किसी दूसरे मुल्क की फौज रहे। वह फौज कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, करीब तीन सौ थी। वह किस बात की निशानी है? हिन्दुस्तान को कौन सा हक़ है कि वह अपनी फौज का एक हिस्सा तिब्बत में रखे। चाहे तिब्बत आज़ाद हो या चीन का एक हिस्सा हो। वह एक निशानी थी अंग्रेज़ साम्राज्य की। अंग्रेज़ी साम्राज्य ने लार्ड कर्जन के जमाने में, पचास वर्ष हुए पैर फैलाये थे और वहां तरह तरह के इन्तिज़ामात किये थे। अब हम कहीं पर अंग्रेज़ी साम्राज्य के इन्तिज़ाम को कायम रखें यह नामुनासिब बात है। यांग्ट्सू और गंगटोक में अपनी फौज रखने की आजकल हम को ज़रूरत नहीं है। न तो वहां फौज रखना हमारे देश से सम्बन्ध रखता है और न अक्ल से सम्बन्ध रखता है। जब हमने वहां यह फौज़ रखी थी तो उस वक्त की सुलह में या परचे में यह लिखा गया था कि जब तक वहां वाले अपना प्रबन्ध नहीं कर सकते उस समय तक हम फौज रखें। या जब तक हम उस की सड़कों की रक्षा का प्रबन्ध नहीं कर सकते, हम रख सकते हैं, जिस समय हम उन से कहते हैं कि आप जाइये हम कर सकते हैं और यह लिखा हुआ था कि हम ने वहां कुछ तार लगाये, तो ज़ाहिर है कि हमारे लोग चले आते हैं तो तार वगैरह की कौन देखभाल करे, उसी मुल्क के लोग करेंगे। ये सब चीज़ें एक इस तरह की हैं जब कि कोई एक देश अपनी शक्ति से दूसरे देश पर ताक़त से कुछ करता है, ये बातें थीं, इन को हमें छोड़ना था, उन का सिद्धान्त छोड़िये और अपने सिद्धान्त में उन बातों को रखिये। उन बातों को छोड़ना था, अगर हम उन को नहीं छोड़ते तो मज़बूरी दर्ज़ा छोड़ना पड़ता। कोई माने नहीं थे, इस तरह से चन्द बातें पुरानी हमें छोड़नी पड़ी, कोई शक़ नहीं था कि हमें उन को छोड़ना था। सच बात तो यह है कि अगर हम उन को छोड़ने पर राज़ी न होते तब भी हमें उन को छोड़ना पड़ता। इस से हमें कोई एक वाक्या मानना है। मैं इस इतिहास में भी नहीं जाता

कि तिब्बत के साथ पुराने ज़माने में चीन का क्या सम्बन्ध रहा, ऐसी साफ़ बात नहीं है, उस का एक लम्बा इतिहास है और यह जो डाक्टर सत्य नारायण सिन्हा ने ट्रीटीज़ और नक्शों का हवाला दिया मैं उन से कहूं कि आख़िर वह सब अंग्रेज़ साम्राज्यशाही के नक़शे हैं। उस ट्रीटी और नक़शों से वे दिखाते हैं कि हम उन पर चलें। उन्हों ने यह किया था। इस वक्त दुनियां में एक सब में बड़ी से बड़ी क्रान्ति हुई जो चीन में हुई है, अब आप उस को पसन्द करें या न करें, यह आप के मन और आप के दिमाग़ पर है, जैसा आप चाहें कर लें। यह सब में बड़ी चीज़ हुई है, इस से बड़ी चीज़ इस लड़ाई के बाद नहीं हुई। इन चन्द वर्षों में इतनी बड़ी चीज़ यानी इतने बड़े देश का उलटना, करवट लेना और इस तरह से पहली बार कई सौ वर्ष के इतिहास में उस की केन्द्रीय हुकूमत का मज़बूत होना, यह एशिया के लिये और दुनियां के लिये एक बड़ी भारी बात है। कोरिया है, इंडोचीन है, क्या क्या हैं? इंडोचीन को मैं अलग कर देता हूं। याद रखिये इंडोचीन की लड़ाई चीन की क्रान्ति के पहले शुरू हुई थी। याद रखने की बात है, चीन की क्रान्ति के दो, तीन वर्ष पहले यह शुरू हुई थी लेकिन मैं आप से कहता हूं कि कोरिया का सवाल और कितने और सवाल यह शायद शुरू में न होते अगर यह बहुत बड़ी गलती न की गई होती। बाज़ लोगों और बाज़ दोस्तों का इस चीन की क्रान्ति और चीन के देश को स्वीकार न करना और हक़ीक़त से अपनी आंखें बन्द कर लेना और उन का यह कहना कि हम यूनाइटेड नेशन्ज़ में उस को नहीं लायेंगे, मैं कहूंगा कि अजीब तमाशा है गोया उन के इस ढंग से न लाने से चीन ग़ायब हो जाता है जिस का नतीज़ा यह हुआ कि सारी ख़राबी जो इस ६ वर्ष में कम से कम ऐशिया में हर एक सवाल में आई है और यूनाइटेड नेशन्ज़ में भी वह चीन को स्वीकार न करने से आई है। मैं ने आप से उस दिन तीन रोज़ हुए कोलम्बो कांफ्रेंस के बारे में कहा था कि एक फ़ैसला वहां पर हुआ और बाद में उस की ओर आप का ध्यान दिलाना भूल गया था और वह यह था कि हमारा वहां पर सर्वसम्मति से फ़ैसला हुआ था कि चीन को यूनाइटेड नेशन्ज़ में लेना चाहिये। हम इसे ग़लत तरीक़े से कह रहे हैं चीन कोई नया देश नहीं है जिस को कि वहां लेना है। चीन तो है ही वहां, सवाल यह है कि अस्ली चीनी कौन है। चीन तो है ही, अस्ली कौन है और नक़ली कौन है यह कोलम्बो में डिस्कस हुआ। मैं आप को एक ख़ुफ़िया बात और बताऊं कि कोई बुरा न मानें अगर मैं यह कहूं कि मेरी तरफ़ से वहां यह बात पेश नहीं हुई थी और मैं ने चीन को मानने के लिये वहां पर इस बात को पेश नहीं किया था, महज़ इसलिये कि मैं चाहता था कि इंडोचीन पर विचार करें और दूसरा कोई अड़ंगा न लगे जिस में और कठिनाई पैदा हो और मैं ने तो वहां पर कहा भी कि आप इस समय न कीजिये, हालांकि उस में कोई दो रायें नहीं हैं लेकिन अक्सर यह देखने में आता है कि बहुत सारी बातें बीच में डाल देने से जो बात हम चाहते हैं कि तय हो जाय वह नहीं होती है। हमारे वहां कुछ साथी थे, उन्होंने कहा यह बिल्कुल ज़ाहिर है। मैं ने कहा कि इस में कोई दो रायें तो हैं ही नहीं और ज़ाहिर है कि इंडोचीन के सवाल के लिये हमें साफ़ कहना है तो मैं ने उस को बड़ी ख़ुशी से स्वीकार किया। मैं ने बहस जो वहां पर हुई उस से महसूस किया कि मैं ज़रा ग़लती में हो गया था। मैं ने सोचा था कि इस सवाल को अलग कर दिया जाय, लेकिन यह बतलाया गया कि नहीं यह सवाल एक दूसरे से मिले हुए हैं और अलग नहीं किये जा सकते। अब देखिये कि वहां पर जेनेवा में चीन को लेकर क्या क्या बहसें होती हैं कि हम तुम को ग्रेट पावर नहीं कहेंगे गोया कोई छोटा या बड़ा किसी के कहने से बनता या होता है। वाक़यात जिसे बड़ा बनाते हैं, वह बड़ा बनता है। मैं

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

आप से अर्ज़ करता हूं कि तिब्बत के बारे में चीन से हमारा जो समझौता हुआ है उस को आप ग़ौर से देखें। डाक्टर सत्य नारायण सिन्हा ने अपनी स्पीच में कहा कि कोई रास्ता जाने का बन्द हो गया। मैं उन से अर्ज़ करूं कि रास्ता दोतरफ़ा होता है, उधर जाने का और इधर आने का, खाली एक जगह से रास्ता नहीं होता है और जब हमारी तरफ़ से भी कुछ रास्ते बन्द किये जायें, जब एक नया नक़शा पैदा हो तो हमारी भी ख्वाहिश होती है कि किन रास्तों पर लोग जायें और किन पर न जायें। जो बात हम करना चाहें वह अगर दूसरा करना चाहे तो ज़रा मुश्किल हो जाता है कि उस से कहें कि नहीं हम तो करेंगे लेकिन तुम न करो और यह तो वही लार्ड कर्ज़न वाली बात हो जाती है। इसलिये हमारे और उन के बीच में आने-जाने के और तिजारत के रास्ते तय हो गये हैं, अब अगर डाक्टर सत्य नारायण सिन्हा कोई नये रास्ते से जाना चाहें तो हमारी तरफ़ से कोई रुकावट नहीं है, हमारी तरफ़ से वह जा सकते हैं, अब उस तरफ़ क्या हो, मैं उस का जिम्मेदार नहीं हूं। तो बात क्या है, तिजारत वगैरह का सब प्रबन्ध हम ने किया और हम ने उन से ये सब बातें तय कीं और तमाम वाक़ये को तसलीम किया और आप को पढ़ कर सुनाया कि हम दोनों में क्या तय पाया गया। उस की अहमियत क्या है ? उस के शुरू में प्रीएम्बिल में चन्द बातें हैं वह बहुत अहमियत रखती हैं क्योंकि अगर आप उन बातों को स्वीकार कर लें, खाली भारत और चीन के बारे में नहीं लेकिन और ऐशिया के देशों के बारे में भी, तब हल्के हल्के यह जो डर छाया हुआ है यह निकलता जाता है और कम होता जाता है, क्योंकि हमें यह समझना है कि आजकल की दुनिया में बहुत सारी बातें हैं जो आप पसन्द नहीं करते, मैं पसन्द नहीं करता, लेकिन मेरी और आप की पसन्द से दुनिया नहीं चलती, इसलिये कम से कम हमें इस बात को तसलीम करना है कि जो दुनिया का रूप है जो शक्ल है सारी दुनिया की, मैं नहीं कहता लेकिन जो बड़े देश हैं आजकल जो एक दूसरे के विरोध में हैं, वे एक दूसरे को अगर तबाह करने की कोशिश करेंगे तो खुद भी वह दुनिया में तबाह होंगे। यह स्वीकार करना है कि दोनों रहें। (Live and let live). (जियो और जीने दो)। दोनों एक दूसरे पर हमला न करें, एक दूसरे को डरायें नहीं। असल बात यह है कि दोनों एक दूसरे से डरते हैं कि दूसरा हमें खा जायेगा। अजीब हालत है। अगर कुछ इत्मीनान हो तो वह अपने ढंग से रहें, जैसे कि हिन्दुस्तन चाहता है, रूस में कम्यूनिस्ट ढंग है वह अपने ढंग से चले, अमरीका अपने ढंग को चलाये, लेकिन एक दूसरे पर हमला न करें, हमला करने से दोनों खत्म हो जायेंगे, किसी की जीत नहीं होगी, इस एक उसूल पर चलें। इस उसूल का नक़शा आप देखिये हमारी चीन की सन्धि में। हम ने चीन से जो सन्धि की है उस में लिखा है :

"Recognition of territorial, integrity and sovereignty, non-aggression, non-interference," और फिर " mutuality " वगेरह ।

(प्रादेशिक पृथकत्व और प्रभुत्वसम्पन्न सत्ता या अभिज्ञान, एवं आक्रमण या हस्तक्षेप न करना)

आप इन बातों पर विचार करें। "टेरिटोरियल इन्टेग्रिटी और सावरेन्टी" के माने हैं कि कोई हमला वगैरह न हो। "नान एग्रेशन" के माने भी वही हैं। और "नान इन्टर्फिअरेन्स" के माने यह हैं कि अन्दरूनी दखल नहीं दिया जायेगा। क्योंकि कुछ लोगों की अन्दरूनी दखल देने की आदत है। अगर इस उसूल को हर एक देश मान ले और हर एक देश को इस के लिये आज़ाद छोड़ दे कि वह अपने

को जैसा बढ़ाना चाहता है वैसे बढ़ाये, जिस राष्ट्रीय या आर्थिक नीति को रखना चाहता है, रखे, उस में दूसरा दखल न दे, तब हल्के हल्के एक शान्ति की फिज़ा दुनिया में होती है। यह हमारी नीति है और इस पर हम चलने की कोशिश करते हैं।

इधर साउथ ईस्ट एशिया की बहुत चर्चा हुई। मैंने कोई चर्चा नहीं की इधर के देशों की जो कि हमारे पश्चिम में हैं और योरप के देशों में मिडल ईस्ट के देश कहलाते हैं। आप जानते हैं कि उन से तो हमारा बहुत पुराना सम्बन्ध है, हजार वर्ष का; शायद उन्हीं से हमारा सब से पुराना सम्बन्ध है। वहां पर भी कुछ मुल्क ऐसे हैं जो कि कुछ दबाव में हैं, कुछ बंधे हुए हैं। इस तरह का वहां का नक़शा है। लेकिन वहां पर भी हर देश और हर देश के रहने वाले अपनी आज़ादी पसन्द करते हैं, और उन्हें यह बहुत अच्छा नहीं लगता कि मजबूरी से भी वह इन पावर ब्लाक्स से बंध जायें, कभी कभी मजबूरी से, और कभी कभी अपनी कमजोरी से। बहुत से वर्षों से उन देशों से हमारे रिश्ते अच्छे हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ कि उन से हमारा रास्ता अलग हुआ तब भी हमारे रिश्ते में फ़र्क नहीं पड़ा है।

बहुत से देशों और मुल्कों से हमारे रिश्ते के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों की तरफ़ से हुई, हर एक का तो शायद मैं ने जवाब नहीं दिया। सिर्फ एक बात फिर कह दूं। आज कल जिस को अंगरेजी में **क्लेक्टिव सिक्योरिटी** कहते हैं, उस की बहुत चर्चा है। कहा जाता है कि क्लेक्टिव सिक्योरिटी एक ही तरीके से आ सकती है, वह तरह तरह के नक़शे जिन से कलेक्टिव फोर्स जमा हो, यानी लाठी के जोर से। यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी तभी होगी जब कलेक्टिव फोर्स हो। मैं बहुत अदब से कहूंगा कि जमाने में अब यह बात साबित हो गई है कि कलेक्टिव फोर्स जमा करने की कोशिश से बजाय सिक्योरिटी आने के इन-सिक्योरिट बढ़ती जाती है। आप देख लें छः सात वर्ष का नक़शा हमारे सामने है। अगर एक बड़ी ताक़त दुनिया में होती, बहुत बड़ी और वह हावी हो जाती दुनिया पर, तब तो खैर आप कह दें कि उस की हुकूमत दुनिया पर थी और उस का फर्मान चलता है और उस के साये के नीचे अमन हो। कहा जा सकता है। ऐसी कोई ताक़त है या नहीं, यह दूसरा सवाल है। लेकिन जब दो बड़ी बड़ी ताक़तें हों और दोनों एक दूसरे के आगे झुकने को तैयार न हों, तब जितना एक ताक़त अपने को तैयार करती है, उतना ही दूसरी ताकत भी अपने को तैयार करती है। अब कलेक्टिव फोर्स एक तरफ़ हो तो उस फोर्स के नीचे सिक्योरिटी हो सकती है, लेकिन दोनों तरफ़ हो तो उस से सिक्योरिटी नहीं आती, इनसिक्यो-रिटी बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते वही एक दूसरे को चुपचाप तबाह कर देती है। चुनांचे, कलेक्टिव सिक्योरिटी कलेक्टिव फोर्स के तरीक़े से नहीं आ सकती बल्कि कलेक्टिव सिक्योरिटी कलेक्टिव पीस की तरह से ही आ सकती है। इसीलिये कहा गया है कि, सारी दुनिया में हो तो अच्छा है, लेकिन कम से कम कुछ देशों को, जितने देश हो सकते हों, चाहिये कि वह इस कलेक्टिव फोर्स के विचार से अलग रहें, चाहे उन की शक्ति फोर्स की न हो, लेकिन दूसरी शक्ति पीस की अगर उन के पास हो तो भी काफ़ी है, और इसका असर सारी दुनिया पर पड़ सकता है।

मैं ने आप का बहुत समय लिया, इस के लिये क्षमा चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधनों को सदन के मतदान के लिए रखूंगा।

श्री रघुनाथ सिंह तथा सरदार ए० एस० सहगल द्वारा अपने संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिए गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री टी० के० चौधरी का संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

श्री रामास्वामी तथा श्री एन० एल० जोशी द्वारा अपने संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिए गये ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा श्री साधन गुप्त का संशोधन सदन के मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

मूल प्रस्ताव के स्थान पर यह आदिष्ट किया जाये "यह सदन अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तथा भारत सरकार की तत्सम्बन्धी नीति पर विचार करने के बाद इस नीति का अनुसमर्थन करता है"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य परिषद द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :

"कि विधेयक के वर्तमान अधिनियमन सूत्र के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात :—

'भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में संसद् द्वारा यह अधिनियमित किया जाये :—'"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

श्री वी० वी० गिरि : मैं प्रस्ताव करता हूं कि .

"राज्य परिषद् द्वारा विधेयक में किये गये संशोधन को स्वीकार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) विधेयक

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों को पस्तकें प्रदान करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक में राज्य परिषद् द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :

"कि विधेयक के वर्तमान अधिनियमन सूत्र के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात :—

'भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में संसद् द्वारा यह अधिनियमित किया जाये :—'"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

डा० एम० एम० दास : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राज्य परिषद् द्वारा विधेयक में किये गये संशोधन को स्वीकार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

भाग 'क' के राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा की कुछ शर्तें विनियमित करने वाले विधेयक में राज्य परिषद द्वारा किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :

"कि विधेयक के वर्तमान अधिनियमन सूत्र के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये, अर्थात् :—

'भारत गणराज्य के पांचवें वर्ष में संसद द्वारा यह अधिनियमित किया जाये :—'

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : श्रीमान्, मेरा इस प्रस्ताव का विरोध करने का कोई इरादा नहीं था, किन्तु मैं सदन का ध्यान इस मामले के एक पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । मैं यह मान लेता हूं कि अपनी संविधियों की प्रस्तावना में हम जो परिवर्तन कर रहे हैं वह देश में आये हुए वास्तविक परिवर्तन का द्योतक है । मुझे स्मरण हो जाता है कि फ्रांसीसी क्रान्ति के उन दिनों में क्या किया गया था जब कि आदर्शवाद तथा उन दिनों की प्रेरणा से तारीखों की एक नई प्रणाली, एक नया काल, वर्ष के दिनों का एक नया वितरण इत्यादि की धारणा आ गयी थी । मैं समझता हूं कि जब हम 'गणराज्य के पांचवें वर्ष' का निर्देश कर रहे हैं तो उस में कुछ वैसी ही भावना मौजूद है क्योंकि हम लोगों के मस्तिष्कों पर अपने गणराज्य की स्थापना के महत्व की छाप लगाना चाहते हैं ।

फ्रांसीसी क्रान्ति के समय जो कुछ हुआ था उस के मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूं । जब कि फ्रांस की क्रान्तिकारी सेनाएं विदेशी ताक़तों से बढ़ रही थीं, देश में अत्यन्त महत्व-पूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक सुधार के विधान लागू किये गये । ये परिवर्तन उस नई चेतना का द्योतक थे जो देश में व्याप्त हो गयी थी । जहां तक हमारा सम्बन्ध है, मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि लोग कोई नई प्रेरणा अनुभूत नहीं करते । मैं चाहता हूं कि जब सरकार इस प्रकार का विधान सामने लाती है, तो लोगों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को यह समझे । यह महज़ औपचारिक परिवर्तन न हो । जहां तक मैं समझता हूं, कुछ अपवाद स्वरूप अवसरों के अतिरिक्त, सरकार ने इस दायित्व को ठीक प्रकार से नहीं निभाया है । इस के पीछे जो भावना है उस से लोगों को अवगत करना चाहिये तथा लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिये । यदि सरकार इस परिवर्तन का औचित्य रखना चाहती है, तो उसे वास्तव में आधारभूत सामाजिक तथा आर्थिक विधान सामने लाना चाहिये जो कि हमारे देश का नक़शा बदल डाले, जो कम से कम हमारे संविधान में प्रतिपादित सामाजिक नीति के सिद्धान्तों को वस्तुरूप दें ।

डा० काटजू : हम एक स्वतन्त्र भारत में रहते और विचरण करते हैं और उसी में हमारा अस्तित्व है और इसी चेतनता पर हमारी कार्यवाइयां आधारित हैं । मैं स्वयं और इस संसद् में तथा इस देश में सब लोग इसे विशेष रूप से अपना सौभाग्य समझते हैं कि हम इस महान् गणतंत्र का सृजन अपनी आंखों से देख सकें । मेरे माननीय मित्र इसे भले ही स्वीकार न करें और उन का हृदय फ्रांसीसी क्रान्ति की ओर जाता है । हम हर तरीके से अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रहे हैं कि इस देश की जनता के जीवन में एक नया अध्याय प्रारम्भ करें ।

श्री के० के० बसु : यह ग़लत बात है ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सदन के मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"राज्य परिषद् द्वारा विधेयक में किये गये संशोधन को स्वीकार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेयक

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"विस्थापितों को प्रतिकर तथा पुनर्वास अनुदान के भुगतान की व्यवस्था करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक तथा उस से सम्बन्धित मामलों को सदन के ४९ सदस्यों की एक संयुक्त समिति को निर्देश किया जाये, इन में से ३३ सदस्य इस सदन के हैं जिन के नाम ये हैं : श्रीमती सुभद्रा जोशी, श्री गुरमुख सिंह मुसाफिर, लाला अचिंत राम, पंडित ठाकुर दास भार्गव, श्री हीरा सिंह चिनारिया, श्री नवल प्रभाकर, श्री विभूति मिश्र, श्री रामचन्द्र माझी, डा० पशुपति मंडल, श्री दौलतमल भंडारी, श्री मुहम्मद खुदाबख्श, श्री रामेश्वर साहू, श्री खुशी राम शर्मा, श्री वेंकटेश नारायण तिवारी, श्री यशवन्तराव मार्तण्डराव मुक्णे, श्री रघुवर दयाल मिश्र, डा० हरी मोहन, श्री रामराज जजवाड़े, श्री कृष्ण चन्द्र, श्री शंकर राव तेलकीकर, श्री पी० कक्कन, श्री टी० आर० नेसवी, श्री के० जी० देशमुख, सरदार हुक्म सिंह, श्री पिसुपति वेंकट राघवय्या, श्री निकुंज बिहारी चौधरी, श्री बहादुर सिंह, श्री जसवन्तराज मेहता, श्रीमती सुचेता कृपालानी, श्री चोइथराम परताबराय गिडवानी, सरदार लाल सिंह, श्री जगन्नाथ राव कृष्णराव भोंसले तथा श्री अजित प्रसाद जैन तथा परिषद् के १६ सदस्य ।

संयुक्त समिति की बैठक के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की योग संख्या का एक-तिहाई होगी;

समिति इस सदन को अगले अधिवेशन के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिवस तक प्रतिवेदन भेजेगी;

अन्य मामलों में संसदीय समितियों से सम्बन्धित इस सदन की प्रक्रिया के नियम उन परिवर्तनों तथा संशोधनों सहित लागू होंगे जो अध्यक्ष करेगा;

यह सदन परिषद् से सिफारिश करता है कि परिषद् को उक्त संयुक्त समिति में अवश्य सम्मिलित होना चाहिये और वह इस सदन को उन सदस्यों के नाम भिजवा दे जो परिषद् द्वारा संयुक्त समिति में नियुक्त किये जाने वाले हों ।"

इस विधेयक के उपबन्धों तथा इस को पुरःस्थापित करने की आवश्यकता को ठीक प्रकार से समझने की दृष्टि से हमें निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में पाकिस्तान से की गई हमारी वार्ता के इतिहास को विस्तृत रूप में जानना आवश्यक है । मैं सदन को १९४७ का स्मरण करवाना चाहता हूं जब कि प्रथम अन्तराधिराज्य सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार करने के लिये प्रत्येक अधिराज्य के दो पदाधिकारियों की एक समिति बनाने का निश्चय किया गया था । उस समिति ने सर्वसम्मति से यह सिफारिश की थी कि केवल उस भाग को छोड़ कर जिस के लिये सम्बन्धित सरकार ने उस के विनिमय के लिये अनुमति अथवा निजी रूप से वार्ता के द्वारा विक्रय करने अथवा पुनर्स्थापन के लिये अनुमति दे दी है, शेष सभी निष्क्रान्त कृषि सम्पत्ति वह अधिराज्य जिस में ऐसी सम्पत्ति स्थित है, उचित

मूल्य का भुगतान कर अधिग्रहण कर सकेगा। यह उचित मूल्य जून १९२७ तथा जून १९४७ के बीच उसी प्रकार की भूमि के लिये प्रचलित औसत मूल्यों के अनुसार संयुक्त मूल्यांकन बोर्ड को ही निर्धारित करना था और दोनों देशों के योग मूल्य के अन्तर का भुगतान सामान्य निर्गम के प्रस्तुत करने वाले को बन्धकों के रूप में किया जाना था जिस पर १½ प्रतिशत ब्याज था और जो आय कर से मुक्त था। दूसरे शब्दों में सिद्धान्त रूप से यह स्वीकार किया गया था कि कृषि सम्पत्ति का विनिमय एक सरकार से दूसरी सरकार के स्तर पर किया जाय और कृषि सम्पत्ति के मूल्य के अन्तर का भुगतान ऋण लेने वाला देश ऋण देने वाले देश को ब्याज वाले बेरर बांड जारी कर के करेगा।

शहरी सम्पत्ति के सम्बन्ध में यह सिफारिश की गई थी कि जिस अधिराज्य में निष्क्रान्त सम्पत्ति स्थित है वहां की सरकार निष्क्रमणार्थियों तथा उन की ओर से कार्य करने वाली निजी एजेंसियों को भी विक्रय विनिमय अथवा अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरण के लिये सुविधायें प्रदान करेगी। संक्षेप में शहरी सम्पत्ति के लिये व्यक्तियों द्वारा विक्रय अथवा विनिमय करने की सिफारिश की गई थी। अधिकारी समिति की सिफारिश पर अन्तिम रूप से जनवरी १९४९ में अन्तराधिराज्य सम्मेलन द्वारा विचार किया गया था और कराची करार नामक एक करार किया गया था।

आंकड़े संकलन करने की दृष्टि से, जिस से कृषि सम्पत्ति को निबटाने में शीघ्र ही निर्णय किया जा सके, इस सम्मेलन ने कृषि सम्पत्ति के विषय में यह निश्चय किया था कि राजस्व प्रलेखों तथा विद्यमान प्रलेखों, जिन में भूमि के मूल्यों के प्रश्न का उल्लेख था, की प्रतियों का विनिमय किया जाये।

शहरी सम्पत्ति के विषय में यह तय हुआ था कि निष्क्रान्त स्वामी को अपनी भूमि विक्रय, विनिमय अथवा अन्यथा रूप से ऐसे अधिकारों के अधीन हस्तांतरित करने का अधिकार है जो प्रान्तीय अथवा अधिराज्य सरकार द्वारा प्राप्त हुए हों। अग्रेतर इस पर भी सहमति प्रकट की गई थी कि अभिरक्षक ३० जून से ३१ दिसम्बर तक की प्रति वर्ष प्रत्येक बस्ती की छमाही दो प्रतियां तैयार करेगा जिस में उन में स्थित शहरी निष्क्रान्त अचल सम्पत्ति का सविस्तार वर्णन, निष्क्रान्त स्वामियों के नाम, निर्धारित किया गया पट्टे का लगान, जमा किये गये लगान का एक अतिरिक्त कालम, उस में की गई कटौतियां तथा प्रत्येक निष्क्रमणार्थी स्वामी की देय शेष राशि आदि का विवरण होगा। यह प्रबन्ध कृषि सम्पत्तियों के लगानों में आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होगा।

पाकिस्तान इस कराची करार पर सदैव से विश्वास करता आ रहा है, किन्तु हमें देखना यह है कि पाकिस्तान १९४९ करार के उपबन्धों अर्थात् कराची करार पर कहां तक दृढ़ है। कराची करार पर हस्ताक्षर हो जाने के छब्बीस दिनों के बाद पाकिस्तान ने भारत से परामर्श किये बिना एक अध्यादेश जारी कर दिया जिस के अन्तर्गत पाकिस्तान में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आय-कर चुकता कर देने का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता था तभी वह पाकिस्तान से लौट कर आ सकता था। इस से शहरी निष्क्रान्त सम्पत्तियों के विनिमय सम्बन्धी उपबन्धों पर कार्य करना अत्यधिक कठिन हो गया था। हम ने जब पाकिस्तान के समक्ष यह प्रश्न उठाया, तो उसन पन्द्रह दिनों के लिये आने वालों को छूट दे दी, किन्तु यह समय भी बहुत कम था। यहीं पर अन्त नहीं हो गया। १६ फरवरी, १९४९ को पाकिस्तान ने एक आदेश पुनः भारत से परामर्श किये बिना शहरी निष्क्रान्त अचल सम्पत्ति के

[श्री ए० पी० जैन]

किरायों में अत्यधिक कमी करने के सम्बन्ध में जारी कर दिया । गैर मुस्लिम सम्पत्ति के मुस्लिम शरणार्थी अधिकार धारियों को उन के किरायों में ८० प्रतिशत तक छूट दी गई, किरायों के तत्काल भुगतान कर देने के लिये अग्रेतर कमी भी की गई । अशरणार्थियों को ३३ प्रतिशत छूट दी गई । किरायों में इस प्रकार पंच निर्णय द्वारा कमी के कारण पाकिस्तान ने उसी प्रकार इन सम्पत्तियों के मूल्यों को भी कम कर दिया । तब इस करार से कि सम्पत्तियों का आदान-प्रदान निजी स्तर पर होगा क्या लाभ हो सकता था जब कि पाकिस्तान अपनी स्वच्छन्दता से इन सम्पत्तियों का इतनी शीघ्र इतना मूल्य गिरा सकता है ?

इन चीजों में समानता लाने के लिये जन १९४९ में एक अन्य सम्मेलन किया गया किन्तु उस से भी कुछ परिणाम नहीं निकला ।

सम्मेलन के पश्चात् २६ जुलाई, १९४९ को पाकिस्तान ने निष्क्रान्त सम्पत्ति के विक्रय तथा विनिमय पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक अध्यादेश जारी कर दिया । हमारे पास भी ३० जुलाई, १९४९ को इसी प्रकार की कार्यवाही करने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं था । पाकिस्तान ने तो सम्पत्ति का विनिमय करना पूर्णतः असम्भव कर दिया है और हम विनिमय की बात करते हैं, यह ठीक नहीं है ।

कृषि सम्पत्ति सम्बन्धी राजस्व पत्रों का बहुत काफी विनिमय हुआ है, किन्तु किरायों के लेखों के विनिमय की जो बहुत महत्वपूर्ण शर्त थी, अभी पूरी नहीं की गई है । जहां तक भूमि तथा शहरी सम्पत्ति का सम्बन्ध है, यह सच है कि इस पर वाद-विवाद नहीं हो सकता, यहां के शरणार्थियों ने भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों से कहीं अधिक बहुमूल्य सम्पत्ति छोड़ी है । इन लेखों को देना पाकिस्तान के हित में नहीं है, क्योंकि इन्हीं लेखों के परिणाम स्वरूप उसे अवशिष्ट राशि की पूर्ति करनी होगी, जिस के लिए वह उद्यत नहीं जान पड़ता है ।

कुछ वर्षों तक इसी प्रकार स्थिति यह चलती रही । जून १९५० में, हिन्द-पाकिस्तान सम्मेलन में हम ने पुनः कृषि भूमि तथा शहरी सम्पत्ति अर्थात् अचल सम्पत्ति का प्रश्न उठाया । हम ने पाकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल को यह सुझाव दिया कि सरकारी स्तर पर सम्पत्तियों का विनिमय किया जा सकता है; उन के मूल्य एतदर्थ प्रकार से निर्धारित किये जा सकते हैं, और मोटे तौर से दोनों देश की सम्पत्तियों के मूल्यों के अन्तर निश्चित किये जा सकते हैं । दोनों देशों के बीच निश्चित की गई राशि का भुगतान करने के लिये ऋणी देश को तैयार रहना चाहिये । हम ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि हम पाई-पाई के भुगतान पर ज़ोर नहीं देंगे; हम तो पाकिस्तान को आसानी से भुगतान कर देने वाली राशि तक को स्वीकार करने के लिये तैयार थे । फिर भी कुछ नहीं हो सका ।

तत्पश्चात् १३ अक्तूबर, १९५२ को हम ने पाकिस्तान सरकार के सम्मुख कुछ औपचारिक प्रस्ताव रखे । ये प्रस्ताव ये थे कि दोनों ही सरकारें अपने-अपने देशों में छोड़ी गई निष्क्रान्त सम्पत्ति को ले लें और निष्क्रान्त स्वामियों को प्रतिकर दोनों देशों के बीच वार्ता द्वारा निश्चित किये जाने वाले सिद्धान्तों के अनुसार दे दे । यदि प्रत्यक्ष वार्ता असफल सिद्ध होती है, तो भारत सरकार दोनों देशों द्वारा सहमत अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के पास मूल्यांकन का प्रश्न पंच निर्णय के लिये भेजने को तैयार होगी । यदि ऐसी इच्छा हुई तो यह मामला अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय अथवा

अन्य किसी एतदर्थ न्यायालय को सौंपा जा सकता है जिस में दोनों देशों के नाम निर्देशित लोग होंगे। फिर भी हमें निराश होना पड़ा।

५ मार्च, १९५३ को पाकिस्तान सरकार ने न केवल हमारा एक सरकार का दूसरी सरकार से समझौते का प्रस्ताव ही वरन् किसी निष्पक्ष संस्था को इस मामले का निर्देश करने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। तथापि कुछ समय बाद ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने यह सुझाव दिया था कि दोनों सरकारों के बीच सब अनिर्णीत प्रश्नों की बातचीत कर के तय करने का प्रयत्न किया जाये। भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों ने लन्दन और कराची में निष्क्रान्त सम्पत्ति की समस्या के बारे में सामान्य रूप से बातचीत की थी। इस के फलस्वरूप हम ने पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल कराची भेजा था और जुलाई तथा अगस्त के मासों में चर्चा की गई थी। दुर्भाग्यवश अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई समझौता नहीं हो सका था। पाकिस्तान में कृषि सम्पत्ति के सम्बन्ध में भी सरकारी स्तर पर समझौता करने से इनकार कर दिया था और नागरिक सम्पत्ति के सम्बन्ध में कहा कि वह निजी तौर पर सम्पत्ति का विनिमय तथा विक्रय करने के सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। अब इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि दोनों देशों में जो निष्क्रांत सम्पत्तियां है उन का मूल्य बराबर नहीं है और निजी व्यक्तियों के बीच विनिमय के बाद भी कुछ सम्पत्ति बच रहेगी हम ने पाकिस्तान से कई बार पूछा है कि क्या वह इस सम्पत्ति के दाम देने के लिए तयार है इस का उसने कभी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। हमने पाकिस्तान से यह भी पूछा था कि वह निजी-विनिमय का प्रयोग कब तक करना चाहेगा। हमारा अनुभव है कि जनवरी से जून १९४९ तक के पांच छः मासों में दोनो देशों के बीच केवल कुछ दर्जन सम्पत्तियों का विनिमय या विक्रय हो सका था। जब पाकिस्तान में सम्पत्तियों के विक्रय की कुछ सम्भावना थी, तो वहां एक विरोधी आन्दोलन शुरू कर दिया गया था, जिस के फलस्वरूप यह विक्रय असंभव हो गया। अतः यह स्पष्ट है कि हम ने निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में सरकारी स्तर पर समझौता करने के लिये जो प्रयत्न किये हैं, उन्हें पाकिस्तान ने अस्वीकार कर दिया है। उस के इन्कार के बावजूद भी हम बातचीत द्वारा समझौते के लिए कोशिश करते रहे। जब दोनों प्रधान मंत्री अगस्त में मिले, तो यह तय हुआ था कि एक मास के अन्दर अन्दर एक और सम्मेलन किया जाये। हम ने सितम्बर के तीसरे सप्ताह में सम्मेलन करने का सुझाव दिया था, किन्तु पाकिस्तान ने कोई उत्तर न दिया। हमारे प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री को बहुत सी चिट्ठियां लिखीं जिन में उन से अनुरोध किया गया कि सब प्रकार की निष्क्रान्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध में समझौता करने के लिए दोनों सरकारों के पदाधिकारियों की एक बैठक की जाय। फरवरी में हमें पाकिस्तान से एक पत्र प्राप्त हुआ था जिस में कहा गया था कि अन्तरिम प्रतिकर योजना के अन्तर्गत निष्क्रान्त सम्पत्ति के अर्ध-स्थायी आवंटन से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो कि अग्रेतर चर्चा के अनुकूल नहीं है। हम ने यह स्पष्ट कर दिया कि निष्क्रान्त व्यक्तियों का अधिकार वैसे का वैसा है और इस पर हमारे अर्ध-स्थायी आवंटन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इसलिए यह समझौते की राह में अड़चन नहीं होनी चाहिए।

अन्त में १२ अप्रैल को हमें पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से यह उत्तर मिला कि पाकिस्तान सरकार को इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने में अभी कुछ समय लगेगा। यह प्रश्न छः साल से अधिक समय से भारत

[श्री ए० पी० जैन]

और पाकिस्तान के सामने है किन्तु अभी पाकिस्तान कहता है कि उसे इस पर विचार करने के लिये और समय चाहिये। पाकिस्तान के इस विलम्बकारी और बाधक रुख को देखते हुए, हमें इस में कोई सन्देह नहीं कि पाकिस्तान कोई समझौता नहीं चाहता। इसलिए हमारे लिए कुछ पग उठाना आवश्यक हो गया है।

आज के स्टेट्समैन में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि पाकिस्तान के शरणार्थियों के मंत्री मि० शुएना कुरेशी ने हमारी कार्यवाही को अनुचित एकपक्षीय और अनैतिक कहा है जो कुछ मैं ने कहा है, उस को ध्यान में रखते हुए क्या यह कहा जा सकता है कि हमारी कार्यवाही अनुचित है ? यह कार्यवाही एक-पक्षीय अवश्य है, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं था और पाकिस्तान समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। अब इस बात का निर्णय करना है कि क्या यह अनैतिक है। आज स्थिति यह है कि मकानों की हालत दिन-प्रतिदिन अधिक खराब होती जा रही है। वर्षा ऋतु में सैकड़ों मकान गिर जाते हैं। दिल्ली, अमृतसर और बम्बई में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं, जिन में कुछ व्यक्ति मरे भी हैं। बम्बई में नगरपालिका अधिकारियों को अभिरक्षक के नाम नोटिस जारी करना पड़ा है कि बहुत से निष्क्रान्त मकान उन में रहने वालों और पड़ोसियों के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि वे किसी समय भी गिर सकते हैं। इन परिस्थितियों में, यदि अधिक विलम्ब हुआ तो कोई निष्क्रान्त सम्पत्ति रहेगी ही नहीं। इस से भारत और पाकिस्तान दोनों को हानि होगी। इस पर भी पाकिस्तान ने हमारा दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं की। सदन को ज्ञात है कि भारत में और पाकिस्तान में भी सब कृषि भूमियों और नागरिक सम्पत्तियों का शरणार्थियों में आवंटन कर दिया गया है। और वे छः सालों से उन्हें प्रयोग कर रहे हैं। अब यह नहीं हो सकता कि इन लाखों लोगों को भूमियों या मकानों से विस्थापित किया जाये और निजी विनिमय का यही परिणाम होगा। इसलिए जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं इस प्रकार के हल को ख्याल में भी नहीं ला सकता। इस के अतिरिक्त विनिमय के बाद जो सम्पत्ति पाकिस्तान में बच रहेगी, उस के सम्बन्ध में क्या होगा। पाकिस्तान ने इस के लिए कोई उपाय नहीं बतलाया। हमें विवश हो कर यह पग उठाना पड़ा है। इसे "अनैतिक" कहना पहले दर्जे का टेढ़ापन है। मि० कुरेशी ने यह भी कहा है कि वह सरकारी स्तर पर कभी कोई समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। मेरा उत्तर यह है कि हम भी निजी विनिमय और विक्रय को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक कि हमें अवशिष्ट सम्पत्ति के मूल्य की अदायगी के सम्बन्ध में कोई संतोषजनक प्रत्याभूति नहीं दी जायेगी।

अब मैं विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण उपबन्धों का उल्लेख करूंगा। खण्ड ९ में प्रतिकर की अदायगी के लिए प्रार्थनापत्र देने की व्यवस्था की गई है। प्रार्थनापत्र के प्राप्त हो जाने के बाद खण्ड ५ के अन्तर्गत प्रबन्ध या निबटारा अधिकारी यह निश्चित करेगा कि दावेदार के सरकारी आदेय क्या हैं। सरकारी आदेय की व्याख्या खण्ड २ में की गई है।

सदन को याद होगा कि जब विस्थापित व्यक्ति (ऋण निबटारा) अधिनियम, १९५१ पारित किया गया था तब उस में यह उपबन्ध रखा गया था कि उस अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई किसी डिक्री के अन्तर्गत कोई राशि प्रतिकर में से केवल कुछ समायोजन तथा कटौती करने के बाद ही वसूल की जा सकती है। यह प्रतिकर तो नकद पैसा देकर या सरकारी बन्धक-पत्रों द्वारा या प्रतिकर-समूह में से किसी सम्पत्ति को विस्थापित व्यक्ति को बेच कर या किसी

कम्पनी या निगम में अंशों या ऋण पत्रों का हस्तान्तरण कर के दिया जा सकता है। ये सब बातें खण्ड ७ में दी हुई हैं। प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकार के बारे में यदि दो या अधिक व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो तो दावा निर्धारक आयुक्त जांच करने के बाद उस का निर्णय कर सकता है? किन्तु यदि यह पेचीदा मामला हो तो वह इसे व्यवहार-न्यायालय में भेज देगा। धारा ९ में पेप्सू तथा पंजाब की कृषि सम्बन्धी सम्पत्तियों का उल्लेख है, जहां कुछ अधिसूचनायें जारी की गई थीं और जमीनें अर्द्ध-स्थाई आधार पर निश्चित कर दी गई थीं। धारा १० में विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास अनुदान देने का उपबन्ध है। पुनर्वास अनुदान दावा प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों के अतिरिक्त दूसरों को भी मिल सकते हैं।

अध्याय ३ बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। धारा ११ में विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास, जिस में ऐसे व्यक्तियों के लिये प्रतिकर का भुगतान भी सम्मिलत है, जैसे कार्यों के लिये निष्क्रान्त सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने का उपबन्ध है। सदन को यह भलीभांति मालूम है कि ये विभिन्न प्रकार की सम्पत्तियां हैं—कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति, गावों के मकान, शहरों के मकान, दूकानें, कारखानें आदि हैं। इसलिये सरकार को सभी प्रकार की सम्पत्ति के बारे में अधिसूचना जारी करने के व्यापक अधिकार प्राप्त करना आवश्यक है।

धारा १२ भी बहुत महत्वपूर्ण धारा है। इसमें यह दिया हुआ है कि "किसी निष्क्रमणार्थी को धारा ११ के अन्तर्गत प्राप्त की गई उस की सम्पत्ति के बारे में क्षतिपूर्ति दी जायेगी जो कि उन सिद्धान्तों या उन तरीकों के अनुसार होगी जो भारत सरकार तथा पाकिस्तान के बीच तय होंगे।" जब हमें पाकिस्तान से कोई सम्पत्ति मिलेगी तो हम निष्क्रमणार्थी के जमा खाते में उस का मूल्य लिख देंगे। जब दोनों देशों की निष्क्रान्त सम्पत्तियों के बारे में पाकिस्तान से समझौता हो जायेगा तो हम दोनों देशों के बीच तय किये गये सिद्धान्तों के अनुसार निष्क्रमणार्थी को उस का लाभ देंगे।

धारा १३ में प्रतिकर समूह का उल्लेख है, जिस में धारा ११ के अन्तर्गत प्राप्त की गई सभी निष्क्रान्त सम्पत्ति, अभिरक्षक के पास रखी हुई नकद रोकड़ तथा प्रतिकर समूह में भारत सरकार द्वारा दिये गये अंशदान सम्मिलित होंगे। सरकार द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की पहिले ही परिभाषा की जा चुकी है। धारा १४ में यह उपबन्ध है कि क्षतिपूर्ति समूह की कोई भी सम्पत्ति कुर्क नहीं की जा सकेगी।

धारा १५ में प्रतिकर समूह के प्रबन्ध का उपबन्ध है। इस का प्रबन्ध करने के लिये सरकार प्रबन्धक निगम नियुक्त कर सकती है। धारा १६ में कल्याण निगम स्थापित करने का उपबन्ध है। १९५२ में पुनर्वास मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ था उस में उस ने यह सिफारिश की थी कि जिन शिक्षा तथा अस्पताल सम्बन्धी प्रन्यासों की सम्पत्ति पाकिस्तान में रह गई है उन को भी प्रतिकर दिया जाना चाहिये। धारा २८ में हम ने यह व्यवस्था की है कि किसी व्यक्ति को विस्थापित नहीं किया जा सके इस दृष्टि से विस्थापित व्यक्तियों के लिये दो वर्ष की न्यूनतम अवधि रखी गई है जिस में वह उस मकान में रह सके या उस भूमि का प्रयोग कर सके। गैर-विस्थापित व्यक्तियों पर सामान्य कानून लागू होगा।

धारा ३५ में इस अधिनियम के प्रवर्तन से पूर्व किये गये कार्यों को वैद्य मानने का उपबन्ध है। हम ने अन्तरिम प्रतिकर का भुगतान करने के लिये पहिले ही एक योजना बनाई

[श्री ए० पी० जैन]

है और इस धारा द्वारा अन्तरिम योजना के अन्तर्गत किये गये सब काम तथा भुगतान वैध माने जायेंगे । कानून के इन्हीं महत्व उपबन्धों की ओर मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता था । हम ने इस विधेयक को यथा सम्भव अधिक व्यापक बनाने का प्रयत्न किया है । वास्तव में, इस प्रकार के विधेयक में सामान्य प्रकार के उपबन्ध सम्मिलित करने पड़ते हैं क्योंकि जिस समस्या के सम्बन्ध में यह कानून है वह बड़ी जटिल है तथा पारित विधि के साथ साथ उप-नियम, नियम तथा विनियम होने चाहियें । मुझे आशा है कि सदन मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं सदन के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं । संसद् कार्य मंत्री ने मुझे सूचित किया है कि सरकार संयुक्त समिति की सूची में एक नाम और रखना चाहती है ।

श्री ए० पी० जैन : मैं ३४ वां नाम जोड़ना चाहता हूं, और वह श्री मुहम्मद हिफ़ज़ुर्रहमान का है । किन्तु हम यह चाहते हैं कि इस के ५१ सदस्य हों तथा १७ द्वितीय सदन के हों ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्वीकार है ।

इस के पश्चात् अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : भारत पाकिस्तान के बीच जब सम्बन्ध हो जाते हैं तब निष्क्रान्त सम्पत्ति के मामले में कुछ प्रगति हो जाती है और जब दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ जाते हैं तो यह मामला फिर उसी स्थिति पर रह जाता है । हम जानते हैं कि इस के कारण शरणार्थियों को कितनी हानि हुई है । हम यह चाहते हैं कि निष्क्रान्त सम्पत्ति के बारे में कुछ किया जाये और जिन शरणार्थियों ने इतने वर्षों तक प्रतीक्षा की है उन्हें उन का उचित भाग मिलना चाहिये । इस विधेयक में एक ऐसी बात है जिस के बारे में दोनों देशों के बीच समझौता होना चाहिये । इस के खण्ड में यह दिया हुआ है कि सरकार जो प्रतिकर देगी वह दोनों देशों में समझौता होने तक सरकार के पास अमानत के रूप में रखा रहेगा ।

मंत्री महोदय ने सदन में कुछ नीतियों की घोषणा की और इस बात का आश्वासन दिया कि जिन छोटे जमींदारों तथा मकान मालिकों के मकान, जमीन तथा अन्य सम्पत्तियों की रक्षा की जायेगी और जो यहां से वैध-कारणों से चले गये हैं उन को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा । किन्तु जिन भागों में यह विधेयक नहीं लागू होता वहां के अधिकारियों ने भी कठिनाइयां पैदा कर दी हैं । १९५२ में निष्क्रान्त सम्पत्ति विधेयक पर चर्चा के समय कुछ संशोधन सम्मिलित किये गये थे जिन से निष्क्रान्त सम्पत्ति का मामला सरल हो गया था और 'इच्छुक निष्क्रान्त' शब्द छोड़ दिये गये थे । जो लोग यहां वापिस आ गये हैं और जो इस वर्ग में आते हैं उन्होंने अभिरक्षक के विरुद्ध अपील की है । इन विचाराधीन अपीलों का क्या होगा ? मैं चाहती हूं कि इस मामले में स्थिति स्पष्ट की जाये ।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

एक माननीय सदस्य द्वारा बम्बई उच्च न्यायालय के एक मामले का निर्देश किया था तो माननीय मंत्री ने उस की जांच करने का आश्वासन दिया था । मुझे नहीं मालूम कि उस बारे में क्या हुआ । दूसरी बात यह है कि दिल्ली समझौते के अनुसार कुछ लोग वापिस आ गये हैं ।

अब, उन की सम्पत्ति का क्या होगा ? यह विषय है जिन पर हम स्पष्टीकरण चाहते हैं। हम यह तो चाहते ही हैं कि हमारे शरणार्थियों को अपनी छोड़ी हुई सम्पत्ति का कम से कम आंशिक मूल्य तो मिल जाये, किन्तु इस के साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि मुस्लिम निष्क्रान्तों के साथ किसी प्रकार का अन्याय न हो ।

प्रस्तुत विधेयक के बारे में भी मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। सर्वप्रथम मैं खंड २८ को लेती हूं। देहली में सैंकड़ों परिवार ऐसे हैं जो निष्क्रान्त मकानों में रह रहे हैं किन्तु वे शरणार्थी नहीं हैं। यहां इस बात का कुछ उपबन्ध होना चाहिये कि यदि यह मकान शरणार्थियों को दे दिये गये और उन्हों ने उन का वास्तविक कब्जा मांगा तो इन पुराने किरायादारों को कहीं और आवासस्थान दिया जायगा। प्रवर समिति को इस प्रकार का कोई उपबन्ध इस में समाविष्ट कर देना चाहिये अन्यथा सैंकड़ों परिवारों को कष्ट झेलना होगा। त्रिपुरा में भी हमें इसी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ा था ।

दूसरा विषय खंड १०, उपखंड (२) से सम्बन्धित है। इस में यह स्पष्ट नहीं है कि विधवाओं को जो राशि भरण पोषण के लिये दी जा रही है वह उन के क्लेम की प्राप्ति के समय काटी जायेगी या नहीं। मेरे विचार में उसे नहीं काटना चाहिये ।

अन्त में चौथे अध्याय में अपीलों के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि यदि प्रार्थी द्वारा मांगी गई राशि और निपटारा अधिकारी द्वारा मानी गई राशि में १००० रुपये से कम का अन्त होगा तो अपील नहीं हो सकेगी। मेरी समझ में यह अनुचित है। यदि केवल १० या १५ रुपये का ही अन्तर हो तो भी अपील की अनुमति होनी चाहिये ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार (जालन्धर) : सभापति जी, जो बिल इस समय सदन के सामने पेश है, मैं समझता हूं शरणार्थी सम्पत्ति सम्बन्धी समस्या जो कि बहुत उलझी हुई है, उस का एक हल है। बहुत अर्से से यह मांग थी कि जो लोग पाकिस्तान से आये हैं और वहां पीछे पाकिस्तान में जो कुछ अपनी सम्पत्ति छोड़ आये हैं, उस का कुछ मुआविज़ा उन्हें दिया जाये और इस सम्बन्ध में काफी अर्से तक इन्तजार करते करते और काफी वायदे सुनते सुनते वह थक गये थे। दूसरी तरफ मंत्री महोदय ने काफी विस्तार से इस बात को स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान के साथ बात चीत कर के इस मामले को सुलझाने के जितने प्रयत्न किये गये वह किस प्रकार असफल रहे और उन के सफल होने की अब कोई आशा नहीं दिखाई देती। इस बात की आशा करना कि पाकिस्तान के साथ इन प्रापर्टीज के तबादले का कोई फैसला दोनों सरकारों के जरिये हो जाय, वह इस समय मौजूदा हालत को अगर हम देखें तो नामुमकिन जान पड़ता है। दूसरी तरफ जनता यानी जो जायदाद वाले हैं और जो पाकिस्तान से आये हैं और यहां से जो लोग अपनी जायदादें भारत में छोड़ कर पाकिस्तान गये हैं वह आपस में कोई फैसला कर सकें, यह भी नामुमकिन है, यद्यपि गवर्नमेंट ने इस बात की काफी इजाज़त दी और मौका दिया कि इस तरह की प्रापर्टीज़ का तबादला हो जाय लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो इस के सम्बन्ध में फैसला किया और जो समझौता किया उस पर अमल नहीं किया और उस की वजह से वह भी नामुमकिन हो गया और उस के बाद गवर्नमेंट के पास कोई और चारा और रास्ता नहीं रह जाता जो वह अख्तियार करती सिवाय उस कार्यवाही के करने के जो इस बिल के अन्दर दर्ज है ।

जिस समय गवर्नमेंट की तरफ से श्री गोपालस्वामी आयंगर ने वायदा किया था कि जो रिफ्यूजीज़ आये हैं उन को हम कुछ

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

मुआविज़ा देंगे उस मुआविज़े के अन्दर तीन आइटम्स थे जिन से यह आशा की जा सकती थी कि जो भाई उधर से अपना घर बार और जायदाद वगैरह सब कुछ छोड़ कर आये हैं, उन को मुआविज़ा दिया जा सकेगा। पहला वह जुज़ था कि अगर पाकिस्तान से हमारा समझौता हो जाता तो पाकिस्तान से कुछ रुपया हमें मिल सकता था। दूसरे यह कि जो लोग पाकिस्तान जाते वक्त यहां भारत में अपनी प्रापर्टीज़ छोड़ गये हैं, उस से हमें कुछ रुपया मुआविज़ा स्वरूप मिल जायगा और तीसरा आइटम उस का यह था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलहिदा ग्रान्ट उन को दी जा सके जिस से उन की क्षतिपूर्ति हो सके। जो बिल आज हमारे सामने पेश है और जिस हालत में हम आज पहुंच गये हैं उस से यह स्पष्ट है कि जहां तक पहले आइटम यानी पाकिस्तान से मिलने वाली रक़म का सवाल है, वह तो खत्म हो गया और उस के हमें मिलने की कोई आशा नहीं है। दूसरा आइटम वह है जिस में उधर पाकिस्तान जाने वालों द्वारा छोड़ी गई जायदादों से शरणार्थियों को मुआविज़ा देने की बात है या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अलहिदा रुपये की ग्रान्ट उन को देना है, ज़ाहिर है कि यह दूसरा और तीसरा आइटम ऐसा है जो एक बड़ी कमी या एक बड़े अंतर को पूरा नहीं कर सकता और वह अन्तर वह है जो कि हमारे उधर से आने वाले भाइयों द्वारा छोड़ी हुई जायदादों में और यहां से जो उधर गये हैं उन के द्वारा यहां पर छोड़ी गई जायदादों की कीमत के अन्दर है। यह आशा करना तो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादती होगी कि जो कुछ अन्तर हैं वह तमाम अन्तर गवर्नमेंट पूरा करे और पूरे का पूरा मुआविजा जो कुछ हो वह गवर्नमेंट आफ इण्डिया भर दे, यह तो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज के बाहर की बात है और ऐसी आशा करना उन के साथ बहुत ज्यादती करना होगा। मैं यह अनुभव करता हूं कि जो जायदाद यहां पर मुसलमान भाई छोड़ गये हैं और जो कुछ गवर्नमेंट ने अब तक ग्रान्ट दी है उस से और जो कुछ मुआविज़ा उन जायदादों से मिलने वाला है वह बहुत काफी नहीं है वह बहुत कम और अपर्याप्त है और वह वास्तविक ज़रूरत को पूरा नहीं करता। मैं श्री अजीतप्रसाद जैन की इस बात के लिये तारीफ करता हूं और मैं समझता हूं कि यह उन के यत्नों का फल है। उन्हों ने इस दिशा में काफी कोशिश की है और अपनी मिनिस्ट्री के अन्दर भी और बाहर भी पाकिस्तान गवर्नमेंट से बातचीत कर के जो प्रयत्न किये हैं उन के लिये तमाम हाउस उन्हें धन्यवाद देगा और तमाम हमारे भाई जो उधर से आये हैं वह धन्यवाद देंगे, लेकिन मैं इस बिल का समर्थन करते हुए एक बात उन के सामने यह रखना चाहता हूं कि जो लोग पाकस्तान से आये हैं उन के बारे में मैं कहना चाहता हूं, मैं उन बड़ी बड़ी जायदाद वाले भाइयों की बात नहीं करता क्योंकि वह तो शायद इस बिल को पसन्द भी न करें और वह तो ख्वाहिशमन्द होंगे कि कोई ऐसा तरीका निकल आये जिस से कि आपस में इन जायदादों का तबादला हो जाय और उन के पास ऐसे साधन हैं और वह उस को कर भी सकते थे। मैं इस बात को तसलीम करता हूं और मंत्री जी की तारीफ करता हूं कि उन्हों ने सारे प्रश्नों को बड़ी जायदाद वालों की दृष्टि से नहीं देखा, बल्कि जो लोग गरीब हैं और थोड़ी जायदाद वाले हैं उनकी दृष्टि से उन्हों ने इस सारे प्रश्न पर विचार किया है और जहां पर उन्हों ने मुआविज़ा देने की स्कीम बनाई है उन्हों ने इसी दृष्टि से विचार किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह थोड़ा सा और आगे बढ़ें और वह इन दो श्रेणियों को सदा ध्यान में रखें एक तो वह जिन के कोई क्लेम्स नहीं हैं और दूसरे जिन के क्लेम्स बहुत थोड़े हैं और जिन को बहुत कम मिलने

वाला है, उन की दृष्टि से सारे सवाल को देखें और यह विचार करें कि आज जो कुछ रक़म हम उन को मुआविज़ा स्वरूप देने जा रहे हैं उस से वह रिहैबिलिटेट हो सकेंगे या नहीं, उन को इतना मुआविजा तो मिलना ही चाहिये जिस से वह पूरी तौर से बस जायें, उन के पैर टिक जायें और वह आगे बढ़ने के लिये तैयार हो जायें। मैं आप को बतला देना चाहता हूं कि मैं इस प्रश्न को सिर्फ एक रेफ्यूजीज़ की दृष्टि से ही नहीं देखता, मैं इस दृष्टि से भी इस को देखता हूं कि जो भाई वहां से आये हैं वह अब यहां के सिटीज़न हैं और यहां के सिटीज़न होने के नाते हमारी गवर्नमेंट का यह फर्ज़ है कि उन को पूरी तरह से रिहैबिलिटेट करे और उन को इस लायक़ बनायें ताकि वह आगे बढ़ कर अपना जीवन अच्छी तरह से बिता सकें। इसलिये मैं समझता हूं कि जहां तमाम मुल्क की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है तो यह रेफ्यूजीज़ भी अब तो हमारे देश के सिटीज़न हैं और यह एक ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर और बढ़ गई है और गवर्नमेंट को इन के लिये भी इन्तजाम करना है। मैं जानता हूं कि श्री अजीतप्रसाद जैन चाहते हैं कि उन्हें एक मौका मिल जाय और गवर्नमेंट की तरफ से उनको इस के वास्ते कोई और एड अथवा ग्रान्ट मिल जाय तो वह बड़ी खुशी के साथ रेफ्यूजीज़ को और ज्यादा कम्पेनसेशन (प्रतिकर) या सहुलियत पहुंचा सकेंग। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली इमदाद में कुछ न कुछ और इज़ाफा (वृद्धि) करने का रास्ता निकाला जाय और अगर यह एड फौरन एक साल के अन्दर सम्भव न हो तो कुछ सालों के अन्दर उस को फैलाया जाय लेकिन कुछ न कुछ अतिरिक्त सहायता गवर्नमेंट की तरफ से अवश्य उन को दी जानी चाहिये। आज हालत यह है कि जिन को कम्पेन्सेशन मिला है वह इतना थोड़ा और अपर्याप्त है कि उन का गुजारा नहीं चल सकता। पिछले दिनों में यह शिकायत हुई थी कि जिन विडोज़ को कम्पेनसेशन मिल गया है उन को सरकार के संरक्षण में जिन आश्रमों में वह रह रही हैं वहां से उन को जवाब मिल जायगा या उन के जो बच्चे स्कूलों के अन्दर दाखिल हैं वहां से उन को हटा दिया जायगा और गवर्नमेंट उन को हजार या दो हजार रुपया देने के बाद तमाम जिम्मेदारी से छूट जायगी, मैं समझता हूं कि हमारे लिये ऐसा करना मानवता और ह्यूमैनिटी की दृष्टि से उचित न होगा . .

श्री ए० पी० जैन : यह ठीक नहीं है। हम किसी से भी जाने को नहीं कह रहे हैं, जो वहां से जाना चाहती हैं वही जा रही हैं लेकिन जो नहीं जाना चाहेंगी वह वहीं पर रहेंगी।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो आश्रम से चली जाती हैं, आया उस के बाद भी उस का कोई क्लेम गवर्नमेंट के ऊपर रहता है या नहीं रहता है और उस की क्या अवस्था होती है। मैं इस बात से खुश हूं कि आप इस बारे में किसी को मजबूर नहीं करते लेकिन रहते हुए भी जो उन का हजार अथवा दो हजार का क्लेम होता है वह रकम सारी खत्म हो जाती है तो उन की अवस्था क्या होगी, उन के बच्चों की क्या पोज़ीशन होगी। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रापर्टी का डिस्पोज़ल और बटवारा हम जिस तरीके से करते हैं उस के ऊपर भी हम को विचार करना है और मुझे तो इस बात में सन्देह है कि अगर हम प्रापर्टी का आक्शन करेंगे उस का नीलाम करेंगे तो हमें उस की उचित कीमत नहीं मिल पायेगी। हमारे मंत्री महोदय सोचते होंगे कि उन के नीलाम करने से कीमत ज्यादा मिलेगी लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि नीलाम करने से और तमाम के तमाम इवैकुई पूल को मार्केट के अन्दर डाल देने से कीमत कम हो जायेगी और जो वह

[श्री ए० एन० विद्यालंकार]

मिलने की आशा रखते हैं वह क़ीमत उन से नहीं मिलेगी ।

अब कम्पीटेन्ट अथारिटीज (सक्षम अधिकारियों) की तरफ से या बैंकों की तरफ से जो प्रापर्टी उनके पास रेहन थी उसको बेचा गया है और बेचने से जो कम कीमत मिली है वह इस बात की मिसाल है कि अगर आप प्रापर्टी का आक्शन करते हैं तो उससे कुछ बहुत मिलने वाला नहीं है । अगर आप मुझ से जाती तौर पर पूछेंगे तो मैं कहूंगा, मैं जानता हूं कि बहुत सारे भाई इस तौर पर सोचते हैं कि उनको कैश मिल जाय तो अच्छा है, कि अगर आप दूर दृष्टि से देखें तो कैश मिलने से समस्या हल नहीं हो सकती । आज आप कुछ कैश दे देंगे, अभी हम को मदद भी मिल जायेगी, लेकिन इससे समस्या बनी रहेगी । जो रिफ्यूजीज़ हैं उनका जो क्लेम बनता है उसके मुआवजे में अगर उनको हाउस मिल जाय, जितना काइन्ड के अन्दर मिल सके, मिल जाय उस के बाद कैश की शक्ल में दिया जाय । कैश देंगे तो वह कुछ दिनों में खत्म हो जायगा और आप देखेंगे कि सम्पूर्ण समस्या वैसी की वैसी ही बनी हुई है । अब तक जो कैश पेमेंट्स हुये हैं उनकी दशा मालूम ही है । कितने कर्जे दिये गये हैं ? यह तो ठीक है कि जो कर्जा दिया गया है वह मुआवजे में सम्मिलित हो गया है, लेकिन समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है । मैं जानता हूं कि हमारे बहुत से रिफ्यूजी भाई हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं वह मेरी बात को कभी पसन्द नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर दूर दृष्टि से हम देखें तो हम काइंड की शक्ल में जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकें, हाउस की शक्ल में दें सकें उन को हिन्दुओं की प्रापर्टी के जो क्लेम्स हैं उनके लिये दे दिया जाय तो ज्यादा बेहतर है बनिस्बत इस के कि आप कैश की शक्ल में जमा कर के दें ।

मैं समझता हूं कि दोनों दृष्टियों से बिल का उद्देश्य ज्यादा पूरा हो सकता है । मैं समझता हूं कि प्रापर्टी को आक्शन न किया जाय जिसमें कि काइंड के तौर पर देने से ज्यादा फायदा हो सके ।

आखिर में मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारा कानून चल रहा है, उस में जो सब से ज्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वह इस की अपीलें हैं । मैं जानता हूं कि इस समय हमें इसकी जरूरत है कि क्लेम्स आयें और क्लेम्स की तस्दीक हो । लेकिन कोई तरीका ऐसा निकले कि जिस से डिस्प्लेस्ड पर्सन्स को एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पर और दूसरे दरवाजे से तीसरे दरवाजे पर दरख्वास्तें लेकर, अपने क्लेम्स को लेकर जाने में जो परेशानी होती है, भटकना होता है उस से अवकाश मिले । ऐसे नियम रक्खे गये हैं कि जब भी क्लेम ले कर जाओ, यह कहा जाता है कि उन की तस्दीक ही नहीं होती । यह जो परेशानियां होती हैं उन का आप कुछ हल निकालिये । मेरे जवाब में शायद आप कह देंगे कि अब हम इस तरह का फैसला कर चुके हैं और इस पर कोई विचार दुबारा नहीं हो सकता लेकिन अगर इन्डिविजुअल केस पूछे जायेंगे तो ऐसे हजारों लोग हैं जिनको रियल हार्डशिप है । इस लिये मैं कहता हूं कि आप इस के अन्दर कोई प्राविजन रखिये कि जिसमें हार्ड केसेज पर फिर विचार हो सके । कोई रास्ता रखिये चाहे इस बिल में हम को कुछ प्रबन्ध करना पड़े । चाहे गवर्नमेंट को इस के लिये कोई बिल ही लाना पड़े लेकिन हार्ड केसेज के लिये कोई प्राविजन जरूर रखिये वरना बहुत सारे केसेज इस वक्त भी हैं जिन को बहुत सहायता की जरूरत है । उन को किसी वजह से, न जानने की वजह से, वाकफियत न होने की वजह से या और किसी वजह से, आफिशल मैशीनरी के ठीक तरह

से काम न करने की वजह से, अगर मदद न मिल सकी, तो फिर उनको अपने क्लेम्स से महरूम (वंचित) होना पड़ेगा । मैं जानता हूं कि बहुत से केसेज हैं जिन्होंने दरख्वास्तें दीं और किसी टेकनिकल ग्राउंड के ऊपर उनकी दरख्वास्तें पड़ी रह गई अब वह जगह जगह जाते हैं । मैं नहीं कहता कि अगर ऐसे केसेज मिनिस्टर साहब के पास आयें तो वह ठीक नहीं हो जायेंगे, बल्कि शायद ठीक ही हो जायेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा कोई तरीका रक्खा जाय जिससे इस तरह की परेशानियों और तकलीफों का हल निकल सके ।

न शब्दों के साथ मैं बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि सेलेक्ट कमेटी जब इस बिल की डिटेल्स पर विचार करेगी तो इन बातों को अपने सामने रखेगी ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों से मेरी प्रार्थना है कि वे अपना भाषण संक्षेप में दें क्योंकि १२ बज कर ५० मिनट पर मैं माननीय मंत्री का नाम पुकारूंगा । इस समय बहुत से वक्ता बोलने के लिये उत्सुक हैं ।

श्री एम० एल० अग्रवाल (जिला पीलीभीत व जिला बरेली—पूर्व) : श्रीमान्, माननीय मंत्री के इस सुझाव का कि विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये, मैं समर्थन करता हूं । इतनी लम्बी प्रतीक्षा और कष्ट सहन करने के पश्चात् विस्थापित व्यक्तियों के जीवन में इसने आशा की किरण जगा दी है । सीमा के दोनों ओर अचल सम्पत्ति की समस्या का हल ढूंढ़ने के लिये भारत सरकार तत्पर थी लेकिन पाकिस्तान सरकार इस के लिये तैयार नहीं है । उसकी (पाकिस्तान सरकार की) इच्छा है कि इसे व्यक्तिक आधार पर हल किया जाये । यद्यपि उसने यह इच्छा तो प्रकट रूप से घोषित कर दी, लेकिन वस्तुतः उन्हें यह पसन्द नहीं थी । सदन-पटल पर प्रस्तुत किये गये विवरण में माननीय मंत्री ने बताया कि १२ स्मरण-पत्र भेजे गये हैं लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला । इसलिये पाकिस्तान का यह कथन कि वह समझौता करने के लिये तैयार है, वास्तव में सही नहीं है । इन परिस्थितियों में माननीय मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक उपस्थित करने का कार्य सर्वथा उचित है । फिर यह विधेयक सम्पत्ति को जब्त अथवा अधिकारों को समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील नहीं है । विधेयक के खंड १२ में उपबंध है कि पाकिस्तान सरकार से सरकारी स्तर पर समझौता कर लेने पर अधिग्रहण की गई सम्पत्ति के सम्बन्ध में ही प्रतिकर दिया जायेगा । पाकिस्तान को यह पसन्द नहीं है क्योंकि वह बिना किसी मुआविजे के समूची सम्पत्ति हड़पना चाहता है । यही कारण है कि शोएब कुरैशी ने आज के अपने वक्तव्य में इसे 'अनैतिक' बताया है । कोई भी सरकार इससे अधिक उचित और समानता मूलक मार्ग और क्या अपना सकती थी ? अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को प्रस्तुत करना अपरिहार्य था । मेरा मत है कि माननीय मंत्री ने इस जटिल समस्या को सफलता पूर्वक हल किया है । मैं विधेयक की एक या दो बातों की ओर निर्देश करूंगा ।

विधेयक के खंड ७ में (१) विस्थापित व्यक्तियों के वर्ग और (२) प्रतिकर के आधार रूप में मानी गई दरें हैं । नियम निर्माण शक्ति से सम्बन्धित खंड ३६ (२) के (ख) और (ग) भागों में इन उपबन्धों की पुनरावृत्ति की गई है । मेरा निवेदन है कि इस विषय को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिये था क्योंकि वर्गीकरण का प्रश्न महत्वपूर्ण है । हम जानना चाहते हैं कि कौन-कौन से वर्ग हैं । कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें पिछले सात वर्षों से न मकान मिले हैं और न दुकानें, और न उन्हें ऋण अथवा किसी प्रकार की रियायतें प्राप्त हुई हैं । प्रतिकर की सहायता में इस प्रकार के व्यक्तियों को प्राथमिकता

[श्री एम० एल अग्रवाल]

दी जानी चाहिये । यदि माननीय मंत्री न वर्गों का कुछ संकेत दिया होता तो हम सुझाव उपस्थित करते । मैं ने पहले कह दिया है कि पाकिस्तान सरकार का यह आरोप सर्वथा निराधार है कि हम सम्पत्ति जब्त कर रहे हैं ।

विधेयक से एक महत्वपूर्ण बात जो मालूम होती है वह यह है कि पंजाब, पेप्सू और दूसरे राज्यों की कृषि योग्य भूमि के अतिरिक्त प्रतिकर संकोष में आस्तियों का मूल्य १८५ करोड़ रुपये होगा । मैं समझता हूं कि इसमें से १०० करोड़ रुपया निष्क्रांत सम्पत्ति का मूल्य होगा और ८५ करोड़ सरकारी अनुदान रहेगा । हमें सरकार से अभी तक इस आशय की जानकारी नहीं मिली है कि पाकिस्तान से आने वाले निष्क्रांत व्यक्तियों द्वारा कितनी सम्पत्ति छोड़ी गई है । पाकिस्तानी मंत्री के वक्तव्य और पाकिस्तान के साथ पुराने व्यवहार और समझौते के प्रति उनकी कावटें और अरुचि को देखते हुये यह स्पष्ट है कि निष्क्रांत सम्पत्ति के बतौर हमें पाकिस्तान से एक पाई भी नहीं मिलेगी । अन्तिम रूप से यह कहना कि विस्थापित व्यक्तियों को केवल १८५ करोड़ रुपये देंगे उचित नहीं बताया जा सकता । संसाधनों की सीमितावस्था होते हुये भी सरकार ने जो कुछ किया है, कोई भी सरकार उतना नहीं कर सकती थी । हमारे गणतन्त्र की नीवं विस्थापित व्यक्तियों की अस्थियों पर ही बनी है । उनके रक्त में गणतन्त्र के दुर्ग को सम्बल प्रदान किया है । अतः हमें उन्हें कुछ अधिक देना चाहिये । मैं यह नहीं कहता कि हमें आज ही ऐसा करना चाहिये लेकिन हमें संकोष की राशि में वृद्धि करनी चाहिये ।

खण्ड १४ में विधेयक के अनुसार न्यायालय की कार्यवाही से अस्थियों को छूट देने का उपबन्ध किया गया है । निष्क्रान्त सम्पति अधिनियम, १९५० के प्रशासन के एक उपबन्ध के आधार पर माननीय मंत्री ने ऋणदाताओं की बगैर जमानत वाली डिग्रियों की कार्यान्विति रोक दी थी । ऋणदाताओं ने अपने दावों को अभिरक्षक के पास पंजीकृत करा दिया था लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ । यदि सरकार का यह इरादा है कि डिग्रीदारों को कुछ नहीं मिलेगा तो उसे स्पष्ट रूप से यह कह देना चाहिये ताकि झूठी आशा न रहे ।

मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता । मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : मैं विस्थापन, प्रतिकर और शरणार्थियों के विषय से निकट रूप में सम्बन्धित नहीं हूं फिर भी दल की ओर से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

कुछ भी कहने से पहले मैं एक वाक्य कहने की कामना रखता हूं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि प्रवर समिति में ३४ सदस्य हैं, उनमें से अधिकांश यहां उपस्थित नहीं हैं और हमें सदैव गणपूर्ति के बारे में चिन्तित रहना पड़ता है । मैं उन व्यक्तियों की आलोचना नहीं कर रहा हूं प्रत्युत यह बता रहा हूं कि किस प्रकार सदन के समय का उचित उपयोग नहीं हो रहा है ।

लोगों को जो प्रतिकर दिये जाने की सम्भावना है, वह उनके द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का दसवां अथवा पन्द्रहवां भाग भी नहीं है । यह अनुमान लगाया गया था कि उस देश में जो सम्पत्ति छूट गई है उसका मूल्य १,००० करोड़ रुपये से अधिक है । कम स्तर पर भी, विश्वास किया जाता है, कि वह ५०० करोड़ रुपये से कम नहीं है । यहां से उस देश में जाने वाले व्यक्तियों

ने अपने पीछे १०० करोड़ रुपये के लगभग की सम्पत्ति छोड़ी है। इसमें से कितनी ही अचल सम्पत्ति की दशा जर्जर हो चली है और मुझे भय है कि यह १०० करोड़ रुपये की भी नहीं रहेगी। लोगों की कल्पना को छोड़ कर पाकिस्तान से कुछ भी वसूल होने वाला नही है।

स्वर्गीय श्री गोपालस्वामी आय्यंगर ने वायदा किया था कि सरकार का अनुदान इस परिमाण में रहेगा कि जो पर्याप्त अथवा सारभूत प्रतिकर कहा जा सके। अतः यह देखना सरकार का कार्य है कि वायदे पूरे किये जांय। यह सच है कि संकोष की राशि भारी है लेकिन इन व्यक्तियों द्वारा उठाये गयें कष्टों की तुलना में यह नगण्य है।

एक और विषय है जिस पर मै कुछ कहना चाहता हूं। विधेयक के खण्ड ४ में प्रतिकर की अदायगी के हेतु प्रार्थना-पत्रों की ओर निर्देश है जो बदले में प्रमाणित दावे की ओर निर्देश करता है। सात वर्षों की इस अवधि में प्रत्येक व्यक्ति को देय परिमाण में कमी करने का अनेक बार प्रयत्न किया गया है। मैं यह मान लेता हूं कि किसी भी व्यक्ति का प्रतिकर का दावा एक निर्धारित तथ्य है।

अनेक स्थितियों में डाक द्वारा भेजे जाने वाले पत्र निष्क्रांत व्यक्तियों को नहीं मिल पाते हैं क्योंकि वह बहुधा अपना स्थान बदलते रहते हैं, परिणामस्वरूप प्रार्थना-पत्र न भेजने पर दावे खारिज हो जाते हैं। सरकार अनुदेश जारी कर उनके प्रति न्याय कर सकती है। अतः मेरी प्रार्थना है कि 'प्रमाणित दावे' की परिभाषा में इस प्रकार परिवर्तन किया जाय कि उसमें उचित मामलों की पुनर्परीक्षा सम्मिलित की जा सके। यदि ऐसा नहीं किया गया तो गंभीर निराशा दिखाई देगी।

उस दिन प्रभारी मंत्री ने कहा था कि वह ३०० पये तक के ऋण को बट्टे खाते में मान लेंगे और उन्हें वसूल करने का दावा नहीं करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि ३०० पये की राशि तक का ऋण प्राप्त करने वालों को मदद मिलेगी लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने ४०० पये उधार लिये हैं? ३५० रुपये अथवा ४०० रुपये ऋण लेने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में आप कुछ नहीं करते हैं। यह सीमा ३०० पये से बढ़ाकर १,००० पये तक कर देनी चाहिये। मेरा विश्वास है कि १,००० रुपये से अधिक ऋण लेने वाले व्यक्ति उसे लौटाने की स्थिति में होंगे। आप इस योजना में संशोधन कर उसका विस्तार कर सकते हैं।

किराये के सम्बन्ध में भी यही कहना है। क्या इनमें से वसूल न होने वाला किराया बट्टेखाते में नहीं लिखा जा सकता है अन्यथा यह व्यापक असन्तोष का रूप धारण कर लेगा। मेरी प्रार्थना है कि प्रवर समिति इस पर भी कुछ विचार करे। ऐसा भी एक उपबन्ध है कि मकान में रहने वाले को सरकार द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त पदाधिकारी बलपूर्वक बेदखल कर सकता है। मेरा विचार है कि इस विषय में कुछ विचार किया जा कर अधिक सावधानी बरती जाये।

इन्हीं कुछ सुझावों का प्रवर समिति के विचारार्थ मैं उपस्थित कर रहा हूं।

श्री टंडन : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं गवर्नमेंट को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को सामने रक्खा है। यह प्रश्न बहुत वर्षों से लटक रहा है, लेकिन मैं इतने वर्षों बाद भी बहुत घूम घाम कर गवर्नमेंट इस परिणाम पर आई कि अब हम पाकिस्तान का मुंह न देखें और उन भाइयों की सहायता के लिये जो कि पाकिस्तान से आये

[श्री टंडन]

हुये हैं कुछ करें। अब उन्होंने यह फैसला किया है और इस पर वे बधाई के पात्र हैं।

मैं इस विषय में तो एक सुझाव देना चाहता हूं। एक सुझाव तो मेरा यह है कि जो इस विधेयक की धारा १३ में कम्पेन्सेशन पूल की बात कही गई है, उस में गवर्नमेंट ने यह तो स्वीकार किया है कि वह भी उसमें कुछ धन अपनी ओर से मिलावेगी। यह बात धारा १३ (सी) में कही गई है। कितना मिलावेगी यह तो नहीं बताया गया है लेकिन इस विधेयक के साथ १६ पृष्ट पर एक नोट है उस से यह मालूम होता है कि मोटे तौर पर १८५ करोड़ रुपयों की जायदाद इस समय गवर्नमेंट के पास बांटने के लिये है। प्रश्न यह है कि इसमें गवर्नमेंट और कितना मिलावेगी। जो प्रतिकर हमें देना है वह तो बहुत अधिक है। अगर इस धन में से उस में थोड़ा ही मिलाया गया तो बहत थोड़ा ही पल्ले पड़ेगा उन भाइयों के जो पाकिस्तान से आये हैं। आपने जो विधेयक का अभिप्राय दिया है, उसमें यानी स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्टस ऐंड रीजन्स हैं उसमें कहा है कि इस में वह रुपया जो पाकिस्तान से मिलेगा वह भी जोड़ा जायेगा। यह तो एक कल्पना की बात है और बहुत आशा नहीं है कि हमें शीघ्र कुछ मिलने वाला हो। जो जायदाद हमारे आदमी पाकिस्तान में छोड़ कर आये हैं और जो जायदाद यहां से गये हुये लोगों की हमारे पास है, उनके अन्तर की चर्चा है और यह कहा गया है कि आप उसको पाकिस्तान से लेने का यत्न करेंगे, आप यत्न करें, परन्तु मेरा सुझाव है कि उस अन्तर को गवर्नमेंट अपने पास से मिलावे। आप उतनी ही रकम इसमें मिला दें जो अन्तर के कूतने पर आती है, जिसकी चर्चा स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स ऐन्ड रीजन्स में की गई है, और फिर स्वयम् पाकिस्तान से वसूल करके अपने हिसाब में रख लें। यह सेलेक्ट कमेटी के विचार करने की बात है। मैं चाहता हूं कि इस बात पर पहले गवर्नमेंट विचार करे। हां, पया शायद बहुत अधिक होगा और गवर्नमेंट कह सकती है कि इतना पया वह अपने पास से कहां से देगी। यह ठीक है। हमको अपनी गवर्नमेंट का भी ध्यान रखना है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है, कई वर्ष पहले भी मैंने सुझाव दिया था, और आज भी मेरा सुझाव है कि इस के लिये एक विशेष टैक्स लगाना चाहिये। कुछ भी उसका नाम हो, लेकिन एक विशेष टैक्स लगाना चाहिये और उस टैक्स में मेरा अपना विचार है कि अच्छी रकम मिलेगी। मुझ को आशा है कि टैक्स को हम प्रेमपूर्वक देंगे। जो पैसा इस टैक्स में आये उस से पाकिस्तान से आये हुये लोगों को हम सहायता दें। जिन्होंने कोई मुसीबतें नहीं उठाई हैं, और जो यहां के रहने वाले हैं उनसे इतनी ही सहायता हम चाहते हैं कि कुछ पैसा वह दें। जो भाई वहां से भाग कर आये हैं, उन्होंने जो मुसीबतें उठाई हैं वह बहत हृदय विदारक है और यहां पर आज उसकी चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

सच बात यह है कि हमारी स्वतंत्रता का मूल्य सब से अधिक उन भाइयों ने दिया है जो पाकिस्तान से भाग कर यहां आये हैं। उन्होंने केवल धन ही नहीं खोया, अपने भाइयों और घरवालों को खोया, अपना घर खोया। जितनी कड़ी मुसीबतें उन्होंने उठाई हैं हम लोगों को तो उसका कोई अंश भी नहीं उठाना पड़ा। तब आज अगर हमसे उनकी सहायता के लिये टैक्स द्वारा कुछ रुपया मांगा जाय, कुछ अरब रुपये क्यों न हों, तो मेरा निवेदन यह है कि हम लोगों को उधर के लोगों के लिये प्रसन्नता के साथ

देना चाहिये। गवर्नमेंट इस विषय में कुछ आगे बढ़े, साहस से कदम उठाये। अगर इतना साहस गवर्नमेंट नहीं करती तो मैं यही कह सकता हूं कि गवर्नमेंट अपने को इतिहास के पन्नों में निन्दनीय कहलायेगी। जिन लोगों ने स्वतंत्रता के लिये सब से ज्यादा कष्ठ उठाया है, उनकी मुसीबतों को मैंने देखा है, आज भी देख रहा हूं, आज भी ये बेचारे टुकड़े टुकड़े के लिये घूमते हैं। मुझ को कुछ थोड़ा अनुभव है, मैं यह भी जानता हूं कि गवर्नमेंट ने सहायता की है, लेकिन वह सहायता उन लोगों की मुसीबतों को देखते हुये बहुत थोड़ी रही है, क्योंकि मैंने घुस कर उन भाइयों की हालत को थोड़ा देखा है। किस तरह से यह रह रह हैं? मुझ को याद है, मैंने अहमदाबाद में देखा, आज भी वह दृश्य मेरे सामने है शायद ४० फीट के लगभग चौड़े और ५० या ६० फीट के लगभग लम्बे गोदाम में मैंने २२ कुटुम्बों को रहते देखा जिनके सब प्राणी मिलाकर ८० या ९० होते थे। यह देखकर कि वह किस तरह से रह रहे हैं, मेरी आंखों में आंसू आ गये।

यह एक जगह की बात नहीं। इस तरह के उदाहरण मुझ को कई जगह पर देखने को मिले और मुझे विश्वास है कि मंत्री जी को मुझ से ज्यादा इस विषय में अनुभव होगा। क्योंकि वह तो बहुत परिश्रम के साथ दौड़े धूपे हैं। तो मुसीबतों के बारे में तो किसी को सन्देह नहीं है। प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट कहां से पैसा लाये कि सहायता करे। यही वास्तविक प्रश्न है। पाकिस्तान से मिलेगा आज हम नहीं जानते। पाकिस्तान की अपनी रकम को हमें छोड़ना नहीं है, वह जब मिले हम उसको लें। लेकिन जब तक वह रकम नहीं मिलती है गवर्नमेंट अपने पास से उतनी रकम मिलाये। जब वह रकम पाकिस्तान से वसूल हो जाय तो उसको अपने पास रख लें। इस के लिये मैं सुझाव दूंगा कि या तो गवर्नमेंट टैक्स लगावे या उधार ले। गवर्नमेंट के पास दो ही रास्ते हैं। मैं कहता हूं कि इसके लिये एक खास लोन उठाया जा सकता है। उसमें से रुपया दिया जाये। पाकिस्तान से मिलेगा तो उसको सरकार अपने पास रक्खेगी। यह दो ही रास्ते हैं। जो रकम हम वहां छोड़ आये हैं और जो रकम हमें यहां मिलेगी उसका जो अन्तर है उसके लगभग वह टैक्स या लोन हो। मैं यह नहीं कहता कि जो बड़े बड़े लखपति और करोड़पति हैं गवर्नमेंट उनको पूरा पूरा मुआवजा दे लेकिन हां इतना मुआवजा तो दे कि वे अपने काम में, अपने रोजगार में लग सकें। लेकिन ऐसे लोग बहुत थोड़े हैं अधिकतर छोटी छोटी स्थिति के लोग हैं और कुछ सार्वजनिक संस्थायें हैं।

सार्वजनिक संस्थाओं की वहां बहुत बड़ी बड़ी रकमें छूटी हैं। मेरा यह सुझाव है कि उनको तो पूरी तरह से मुआवजा देना चाहिये क्योंकि वे सार्वजनिक संस्थायें बराबर दूसरों का काम करती हैं। विधेयक में एक दफा है जिसमें ट्रस्ट का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। लिखा है कि आप उनके लिये वेलफेयर कारपोरेशन बनायेंगे। धारा १६ में यह शब्द हैं।

"मुआवजे के अधिकारी न्यास को सहायता देने के प्रयोजनार्थ"

ट्रस्ट की परिभाषा इस बिल में मैं देख रहा था लेकिन मुझ को नहीं मिली। ट्रस्ट की परिभाषा इसमें नहीं दी गई है। तो सिलेक्ट कमेटी को मैं सुझाव देता हूं कि वह इसकी परिभाषा दे और इस परिभाषा के भीतर उन संस्थाओं को लावे जो जनता की सेवा करती हों चाहे वे ट्रस्ट एक्ट में न आती हों। ट्रस्ट एक्ट तो एक खास कानून है और उसमें ट्रस्ट एक खास कानूनी शब्द है। में

[श्री टंडन]

चाहता हूं कि वह सब संस्थायें जो दूसरों के लिये काम करती रही हैं और जिनका धन पाकिस्तान में रह गया है वह सब ट्रस्ट की परिभाषा में आयें। जिन संस्थाओं की रजिस्ट्री ऐक्ट २१ सन् १८६० के अन्तर्गत हुई है या दूसरी रीति से जो संस्थायें किसी भी रूप में कुछ एजूकेशनल या मैडिकल फैसिलिटीज देने वाली हैं उनकी रक्षा के अभिप्राय से यह वेलफेयर पूल बनेगा। मेरा सुझाव है कि खाली इन्ही दो प्रकार की संस्थाओं में गवर्नमेंट की सहायता परिमित नहीं होनी चाहिये बल्कि जो भी संस्थायें जनता की सेवा करती थीं, और उनके पास पैसा था और उनका पैसा वहां छिन गया और आज वह संस्थायें गरीब हो गई हैं उन सब संस्थाओं को आप को पूरा रुपया देना चाहिये। व्यक्तियों के लिये मैं यह नहीं कहता लेकिन अगर आप संस्थाओं को पूरा रुपया न दें तो यह बहुत अनुचित होगा। आप पूरी तरह से उनकी सहायता करें और इस सहायता के लिये मैंने जो सुझाव दिये हैं उनके अनुसार कार्य करें। या तो एक विशेष प्रकार का लोन आप सामने रखें या टैक्स लगावें। मेरा तो विशवास है कि यह टैक्स भी लोग प्रसन्नता से देंगे। यह टैक्स इस अनुमान से हो कि किस की क्या हैसियत है। उस पर आप ब्योरे में विचार कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि इन दो रास्तों से आप पूल में पर्याप्त धन रक्खें और जो संस्थायें हैं उनके पैसे में काट कपट तनिक भी न करें। जितनी संस्थायें हैं उनको पूरा रूपया दिया जाये। यह मेरा सुझाव है।

श्री डी० सी० शर्मा (होशियारपुर) : माननीय मंत्री ने आज जिस तरह का भाषण दिया है, यदि उसी तरह का भाषण उन्होंने आज तीन अथवा चार वर्ष पहले दिया होता तो मैं ने उन्हें बधाई दी होती; परन्तु (स अवस्था पर मैं उन्हें बधाई नहीं दे सकता हूं। उन्होंने आदि से लेकर अन्त तक का सारा वृत्तान्त सुनाया, परन्तु मैं उन से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या इन सात वर्षों में गरीब शरणार्थियों के भाग्य से केवल इसलिये खिलवाड़ होता रहा कि अन्त में आप पर अनेतिक होने का लांछन लगाया जाये तथा आप की कार्यवाही को एक पक्षीय तथा अनुचित ठहराया जाय। राजनीति एक खेल है तथा मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के मंत्री ने हमें इस खेल में हरा दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा की गई कार्यवाही किस तरह अनैतिक है तथा किस तरह अनुचित है। अन्तर्राष्ट्रीय विधि के किस सिद्धांत के अन्तर्गत यह ऐसी है? इतिहास के किस पूर्वचरण के अन्तर्गत यह ऐसी है? इतने वर्षों तक प्रतीक्षा करने के बाद आज स्थिति क्या है? निष्क्रांत सम्पत्ति संग्रह घट रहा है। इसकी कीमत कम हो रही है। माननीय मंत्री ने स्वयं यह बात मान ली है। उहोंने वर्तमान परिस्थिति में निस्सन्देह प्रतिभा से काम लिया है परन्तु मुझे यह कहने में खेद है कि इस से लाखों शरणार्थियों को खुशी नहीं हुई है। उन्ह इस में कोई आशा की झलक दिखाई नहीं देती है।

इस विधेयक का जितना भी सीमित उद्देश्य है वह ठीक है। परन्तु मैं मंत्री जी का ध्यान उस वचन की ओर आकर्षित करता हूं जो कि वह इतने वर्ष तक शरणार्थियों को देते रहे हैं। शरणार्थियों का पुनःस्थापन तीन स्तम्भों पर आधारित था। इन में सब से मजबूत स्तम्भ तो टूट गया है। शेष दो स्तम्भ कमजोर हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह निष्क्रांत सम्पित्ति संग्रह में न केवल वह धन राशि जोड़ दें जिसका

कि उन्होंने वित्तीय ज्ञापन में जिक्र किया है अपितु उन्हें सरकार से इस उद्देश्य के लिये और अधिक धन राशि प्राप्त करनी चाहिये। मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता हूं किन्तु श्री टंडन ने जो सुझाव दिया है उस पर विचार किया जाना चाहिये। सरकार को इस संग्रह में उदारता से अंशदान देना चाहिये। अन्यथा इस विधेयक से उन लोगों को कोई प्रसन्नता नहीं होगी जिनके लिये कि यह प्रस्तुत किया जा रहा है।

यहां मैं निष्क्रांत सम्पत्ति संग्रह की ही ओर निर्देश नहीं करना चाहता हूं। अन्तरिम प्रतिकर परियोजना के सम्बन्ध में भी हमारा अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा है। इस सम्बन्ध में प्रशासकीय व्यवस्था पूर्णतया अपर्याप्त रही है। यह अक्षम रही है तथा इसने कई मामलों में घपला किया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह जो व्यवस्था स्थापित की जा रही है, इसे उदारता से काम करना चाहिये। इस विधेयक से शरणार्थियों को कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा परन्तु यह वह लाभ नहीं जिसके लिये कि वह मांग कर रहे थे। फिर भी मैं उन्हें इसके लिये बधाई देता हूं।

श्री ए० पी० जैन : श्रीमान् जी, यहां पर बहुत से प्रश्न उठाये गये। जो थोड़ा सा समय मेरे पास है उस में मैं तमाम प्रश्नों का जवाब तो शायद न दे सकूं, लेकिन जो दो चार मोटे मोटे प्रश्न उठाये गये हैं, उनका उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

मिसेज रेणुचक्रवर्ती ने एक प्रश्न यह उठाया कि जिन मुकदमों में अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ है, किसी किस्म की कोई दरख्वास्त या मामला चल रहा है, तो उस में क्या किया जायेगा ? हमारी कोई मंशा नहीं है कि किसी उस जायदाद के बारे में हम नोटिफिकेशन जारी करें कि जिस के बारे में कोई मुकदमा चल रहा है, या उसका मामला अभी तय नहीं हुआ है। जिनका मामला साफ हो चुका होगा उन के ही बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा। यही असूल उन इवैक्वीज के बारे में है, जो कि पाकिस्तान चले गये थे और दिल्ली एग्रिमेंट के मातहत हिन्दुस्तान में लौट कर आ रहे हैं, लागू किया जायेगा।

धारा २८ के बारे में एक प्रश्न उन्होंने यह भी उठाया कि उस वक्त तक किसी आदमी को वैक्वी मकान से बेदखल नहीं किया जायेगा जिस वक्त तक कि उस को दूसरी जगह रहने के लिये न दी जाय। मैं अफसोस के साथ यह कहता हूं कि मैं इस असूल को नहीं मान सकता क्योंकि जहां तक पुरुषार्थियों का सम्बन्ध है वहां तक उन को दो साल का किराया दे दिया गया है, लेकिन जहां तक दूसरे आदमियों का सम्बन्ध है उन को उन्ही कानूनों के मुताबिक रक्षा मिलेगी जो हिन्दुस्तान के दूसरे मालिकों के ऊपर लागू होते हैं क्योंकि यह मोटा सा असूल है कि जायदाद की जो कीमत है वह इस के ऊपर मुन्हसर होती है कि उस के ऊपर कैसा किरायेदार बैठा हुआ है, कितने दिनों के लिये वह बैठा हुआ है, और किन किन शरायत के ऊपर बैठा हुआ है। गवर्नमेंट कोई वजह नहीं समझती कि जो यहां पर लोकल्स बैठे हुये हैं उन को उनसे ज्यादा हक मिले जो कि कानून के अन्दर उन को मिलते हैं। बहरहाल यह मेरा विचार है। यह तो सैलेक्ट कमेटी के सामने जायेगा मेरी जो राय थी वह मैं ने दे दी है।

धारा १० (२) के बारे में मैं समझता हूं कि उनको कुछ भ्रम है क्योंकि धारा १० (२) में जो कुछ दिया गया है वह केवल इतना दिया गया है कि गवर्नमेंट ने कुछ रुपया दिया था मेन्टेनेन्स एलौन्स बांटने

[श्री ए० पी० जैन]

के लिये, और वह रुपया इस शर्त पर दिया गया था कि जो निकासी जायदाद है, उसका जो रूपया है, उसी से इस को वसूल किया जायेगा, यह तो उसी की रक्षा करने के लिये दिया गया था। जहां तक बुड्ढी स्त्रियों और बूढ़े आदमियों का सम्बन्ध है जिनको कि मेन्टेनेन्स एलौन्स मिलता है, उनको तो हम ने प्रायरिटी लिस्ट के अन्दर रक्खा है और उनको हम मुआवजा दे रहे हैं और इस के मुआवजे में जो रुपया दिया गया था उस को हम उनके मेन्टेनेन्स एलौन्स में से नहीं काट रहे हैं और न काटने का इरादा है।

दफा २३ के बारे में उन्होंने एक बात कही कि हर एक मामले में अपील होनी चाहिये। उन्होंने खुद इस बात को माना है कि जितनी अपीलें होती हैं और जितने रिवीजन होते हैं, उनमें कुछ न कुछ समय लगता है। बहरहाल यह जाहिर है कि जब सेलेक्ट कमेटी के सामने यह बात आयेगी, और जिस तरह की सेलेक्ट कमेटी की राय होगी, मामलों पर गौर करने के बाद कि कितना वक्त लगेगा और कितना नहीं लगेगा, वैसे किया जायेगा। हम इस में अपनी कोई खास राय नहीं रखते।

एक सवाल मुकुन्द लाल जी ने उठाया है। और वह सवाल था थर्ड पार्टी क्लेम का। इस वक्त जो मौजूदा मुआवजे का कानून है उस में उन्होंने कहा है कि जिनका रुपया इवैक्वीज के ऊपर चाहिये था, उनको इस बात का हक है कि वह अपना क्लेम रजिस्टर करा सकें। वह रजिस्टर हो गये हैं और उन के क्लेम के अधिकार के लिये हम इसमें उचित प्रबन्ध रखेंगे क्योंकि हमारी मंशा नहीं है कि हम उसमें किसी का पैसा लें। यह दूसरी बात है कि क्या शरायत हों, क्या उनकी जरूरियात हों। इन तमाम बातों पर गौर किया जायेगा लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनको पैसा देने का कोई इरादा न हो।

बहुत सी बातें क्लेम के बारे में कही गई। आप को याद होगा कि कुछ दिनों पहले इसी सेशन के अन्दर एक कानून इस भवन ने पास किया है क्लेम्स के वेरिफिकेशन के बारे में। उस में इस बात की पूरी गुंजायश रक्खी गई है कि जो क्लेम दाखिल हुआ था अगर उसके बारे में कुछ शिकायत हो तो उसका रिवीजन हो सकता है, और उस वक्त भी जब उस पर बहस हो रही थी तो मैंने यह आश्वासन भवन को दिया था कि उसमें 'सुओ मोटो रिवीजन' के अख्त्यार दिये गये हैं। जो ऐसे मामलात मेरे इल्म में लाये जायेंगे कि जिन में कुछ सख्ती हुई है या किसी दूसरी वजह से उसका रिवीजन होना चाहिये तो हम दोबारा उन की जांच पड़ताल करा लेगें चूंकि बहुत सी दरख्वास्तें आई हैं और हम उनकी जांच पड़ताल करा रहे है, इसलिये मैं समझता हूं कि इस कानून में हमें उन्ही क्लेम्स को मानना पड़ेगा जिनका वेरिफिकेशन हो चुका है, यह दूसरी बात है कि दूसरे कानून के मातहत जहां पर कोई ताकत रक्खी गई है, उसका दोबारा वेरिफिकेशन करा सकें।

एक सवाल जो बहुत से आनरेबुल मेम्बरों ने उठाया वह यह है कि उस धन में कुछ वृद्धि की जाय जो कि गवर्नमेंट इस कम्पेन्सेशन पूल के अन्दर डालना चाहती है। यह मामला, एक वर्ष से ऊपर हो गया, जब गवर्नमेंट के सामने आया। जो कुछ भी श्री गोपालस्वामी आय्यंगर साहब ने एलान किये थे, जो बातें मैंने कहीं, जो बातें गवर्नमेंट के दूसरे मेम्बरों ने कहीं, या गवर्नमेंट की तरफ से जो आश्वासन दिये गये थे, उन तमाम के ऊपर पूरे तौर से ध्यान दिया गया और उसके बाद एक फैसला हुआ।

उस फैसले के अनुसार एक विज्ञप्ति जारी की गई और वह फैसला वही था जो कि आब्जेक्टस ऐन्ड रीजन्स में दिया हुआ है। यानी जो कर्जा पुरुषार्थियों को जो कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं, दिया गया है, जो जायदाद गवर्नमेंट ने बनाई हैं, मई १९५३ तक उन के बसाने के लिये, फाइव इअर प्लैन या दूसरे किसी तरीके से जो प्राविजन है, वह सब का सब गवर्नमेंट की तरफ से कम्पेन्सेशन पूल में डाला जायगा। मैं यह बतलाना चाहता हूं कि गवर्नमेंट को जो कुछ इस सम्बन्ध में कम्पेन्सेशन पूल में डालना था, उसका अन्तिम निर्णय हो चुका है अभी हाल में एक शार्ट नोटिस क्वेश्चन पूछा गया था, उस स्टेटमेंट के सम्बन्ध में जो कि भवन के सामने रक्खा था, कि मैं कोई आश्वाशन दिला सकूंगा या नहीं कि गवर्नमेंट की तरफ से उस में कोई पया डाला जायेगा। चुनांचे मैंने नहीं चाहा कि बाहर कोई आशायें बांधे क्योंकि आशायें बांधने के बाद फिर उन के टूटने से सब से बड़ी नाउम्मीदी होती है, रायें अपनी अलग अलग हो सकती हैं, श्रद्धेय टंडन की वह राय है, और मैं नहीं कहता कि उनकी राय में कोई तत्व नहीं है, लेकिन बहरहाल जो लोग इस वक्त गवर्नमेंट को चला रहे हैं उन्होंने इस मामले पर भी विचार किया कि कोई टैक्स लगना चाहिये या नहीं लगना चाहिये। गवर्नमेंट मौजूदा हालात में कितना रुपया दे सकती है और कितना नहीं दे सकती है, इस बारे में भी पार्लियामेंट इस निर्णय पर पहुंची थी कि जो कुछ हो रहा है उसका एक मर्तबा ऐलान कर दिया जाय। अब मैं नहीं देखता कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई और पैसा मिल सकेगा।

सभापति महोदय द्वारा विचाराधीन प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया तथा सदन ने इसे स्वीकृत किया।

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

सरदार इकबाल सिंह (फाजल्का-सिरसा)

श्री राघवाचारी : क्या मैं इस सम्बन्ध में विशेषाधिकार का एक प्रश्न उठाऊं ? यह एक दूसरे सदस्य के सम्बन्ध में है जिसका निर्वाचित होना घोषित किया गया है। यह श्री अशोक मेहता के सम्बन्ध में है। उनके निर्वाचित होने की सूचना अभी तक सदन को नहीं दी गई है।

सभापति महोदय : अधिसूचना प्राप्त की गई है तथा वह अवश्य आ सकते हैं तथा शपथ ग्रहण कर सकते हैं।

श्री राघवाचारी : मेरे कहने का आशय यह है कि उन्हे प्रातः आकर शपथ ग्रहण करने का अधिकार था तथा वह इस वाद विवाद में भाग ले सकते थे। यद्यपि उनके चुनाव की घोषणा आज तीन दिन पहले की गई है फिर भी उसकी सूचना, छुट्टियों के कारण, यहां नहीं पहुंची। ऐसी दशा में उन्हें तुरन्त ही कार्यवाही करनी चाहिये थी। इसके लिये किसी गजट अधिसूचना की आवश्यकता नहीं है।

जन प्रतिनिधान (निर्वाचन तथा निर्वाचन याचिका संचालन) नियम, १९५१ के नियम ६७ के अन्तर्गत निर्वाचन अधिकारी को उक्त निर्वाचन की सूचना तीन अधिकारियों को देनी थी जिनमें से लोक सभा का सचिव एक है। तो ज्यों ही किसी सदस्य के निर्वाचित होने की घोषणा की जाये त्यों ही उसे यहां एक सदस्य की हैसियत से काम करने का अधिकार प्राप्त होता है।

सभापति महोदय : सचिव को निर्वाचन आयोग से अभी सूचना मिली है कि वे सज्जन निर्वाचित हुये हैं। उसे यह सूचना प्रातः नहीं मिली थी। सूचना तत्काल ही नहीं

[सभापति महोदय]

दी गई है किन्तु नियम ६७ के अन्तर्गत यह यथा सम्भव शीघ्रता से दी गई है। चूंकि निर्वाचन आयोग से सूचना प्राप्त की गई है इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि यदि माननीय सदस्य आये हैं तो वह सहर्ष शपथ ग्रहण कर सकते हैं।

श्री राघवाचारी : यह इस बात पर निर्भर नहीं है कि सचिव को परिणाम की सूचना कब दी गई है अपितु इस बात पर निर्भर है कि घोषणा कब की गई है।

सभापति महोदय : नियम ६७ के अन्तर्गत निर्वाचन के परिणाम की घोषणा होने के बाद ज्योंही, सम्भव होगा त्योंही, निर्वाचन अधिकारी को यह सूचना निर्वाचन आयोग तथा लोक सभा के सचिव को देनी होती है।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : क्या किसी सदस्य को इस सदन का सदस्य बनने के लिये यह एक आवश्यक शर्त है ? नौकरशाही में दो दिन के स्थान पर दो महीने का समय लगे। क्या इसका अर्थ यह होगा कि निर्वाचित सदस्य तब तक अपने निर्वाचन क्षेत्र का इस सदन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा ?

सभापति महोदय : मैं इस काल्पनिक प्रश्न में नहीं जाना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य को अभी शपथ ग्रहण करने की अनुमति दी गई है ; यदि दूसरे माननीय सदस्य भी यहां होंगे तो वह सहर्ष शपथ ग्रहण कर सकते हैं।

सभा अब कल सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित होगी।

इसके पश्चात सभा बुधवार, १९ मई, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिए स्थगित हुई।